# लोक-सभा वाद-विवाद

# का

# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION

# OF

# 4th

# LOK SABHA DEBATES

[ छठा सत्र / Sixth Session ]

[ खंड 23 में अंक 21 से 31 तक हैं / Vol.XXIII contains Nos. 21 to 31 ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

*Price* : One Rupee

# विषय-सूची/CONTENTS

अंक 29-बुधवार, 18 दिसम्बर, 1968/27 अग्रहायण, 1890 (शक)
*No. 29—Wednesday December 18, 1968/Agrahayana 27, 1890 (Saka)*

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:


| तारांकित प्रश्न संख्या/S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 811 | भूतपूर्व सैनिकों के लिए कृषि भूमि का अलाट किया जाना | Allotment of Agricultural Land to the Ex-servicemen | 1–5 |
| 812 | हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड | Hindustan Aeronautics Ltd. | 5–9 |
| 814 | 1968-69 में प्रतिरक्षा उत्पादन कार्यक्रम | Defence Production Programme in 1968–69 | 10–13 |
| 815 | छावनी बोर्डों के अधीन क्षेत्र | Cantonment boards Areas | 13–16 |
| 816 | राजस्थान नहर क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों को बसाना | Resettlement of Ex-servicemen in Rajasthan Canal Area | 16–18 |
| अ. सू. प्र. संख्या/S. N. Q. Nos. | | | |
| 4 | उत्तर प्रदेश में अध्यापकों द्वारा भेजे गये तारों का रोका जाना | Withholding of Telegrams sent by school Teachers in U.P. | 18–25 |


## प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS


| तारांकित प्रश्न संख्या/S. Q. Nos. | | | |
|---|---|---|---|
| 813 | वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में दुभाषिये | Interpreters in External Affairs Ministry | 25–26 |
| 817 | आकाशवाणी के कार्यक्रम | A.I.R. Programmes | 26 |
| 818 | समवाय-कार्य विभाग | Department of Company Affairs | 26–27 |
| 819 | हिंडन हवाई अड्डा | Hindon Airport | 27 |
| 820 | भारतीय भाषाओं में विदेशी प्रसारण | External Broadcasts in Indian Languages | 27–28 |


---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

| | | |
|---|---|---|
| 821 आकाशवाणी द्वारा समाचारों का प्रसारण | News Publicity by AIR | 28-29 |
| 822 आधुनिक युद्ध में नेपाम बमों का प्रयोग | Use of Napalm Bombs in Modern Warefare | 29 |
| 823 भारतीय नौसेना का विकास | Development of Indian Navy | 29 |
| 824 अंग्रेजी फिल्मों का आयात | Import of English Films | 30 |
| 825 भारतीय नौसेना का आधुनिकीकरण | Modernisation of Indian Navy | 30 |
| 826 चीन अधिकृत क्षेत्रों के बारे में अमरीका में उप-प्रधान मंत्री का वक्तव्य | Statement by Deputy Prime Minister in USA on Chinese occupied Territory | 31 |
| 827 19 सितम्बर, 1968 को सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में फिल्म | Film on Central Government Employees' strike on 19.9.68 | 31-32 |
| 828 लद्दाखी भाषा में पुस्तकों का प्रकाशन तथा रेडियो प्रसारण | Books published and Broadcasts made in Ladakhi Language | 32 |
| 829 गाजियाबाद में फिल्म उद्योग समूह | Film Industry complex at Ghaziabad | 32-33 |
| 830 अणु-शक्ति | Nuclear Energy | 33 |
| 831 इसराइल के प्रतिरक्षा मंत्री की पत्नी के लिये बीजा | Visa for the wife of Israeili Defence Minister ... | 33-34 |
| 832 नेहरू लियाकत अली समझौता | Nehru Liaquat Ali Pact | 34 |
| 833 पाकिस्तान द्वारा हिन्दुओं को पारपत्र देना | Issue of Passports to Hindus by Pakistan | 34-35 |
| 834 बाढ़ में पश्चिमी पाकिस्तान को बह गये व्यक्ति | Persons washed away to East Pakistan by Floods | 35 |
| 835 छावनी क्षेत्रों में रहने वाले असैनिक लोगों का पुनर्वास | Rehabilitation of civilians living in Cantonment Areas | 35-36 |

| | | |
|---|---|---|
| 836 पाकिस्तान को रूस से परमाणु सहायता | Soviet Nuclear Aid to Pakistan | 36 |
| 837 गंगा नदी पर पाकिस्तान का दावा | Pakistan's claim over Ganga River | 36 37 |
| 838 टेलीविजन सेट | Television Sets | 37 |
| 839 संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो | Veto in United Nations | 37 |
| 840 विदेश स्थित भारतीय मिशनों में नियुक्त मंत्रालयों के अधिकारी | Officers belonging to Ministries posted in Indian Missions | 37–38 |

अता. प्र. सं. /U. S. Q. Nos

| | | |
|---|---|---|
| 4934 कीनिया से वापिस आये भारत मूलक लोग | Repatriates from Kenya | 38 |
| 4935 आयुध कारखाना, जबलपुर | Ordnance Factory, Jabalpur | 38 |
| 4936 मध्य प्रदेश में औद्योगिक उपक्रम | Industrial undertakings in Madhya Pradesh | 38–39 |
| 4937 मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों के लिये कृषि भूमि का आवंटन | Allotment of agricultural land to Ex-Servicemen in Madhya Pradesh | 39 |
| 4938 भारतीय माल पर नेपाल द्वारा लगाया गया शुल्क | Duty imposed by Nepal on Indian Goods | 39 |
| 4939 खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा मांगी गई सहायता | Nature of help asked for by Khan Abdul Ghaffar Khan from India | 40 |
| 4940 गांधी शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिये खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत आने का निमंत्रण | Invitation to Khan Abdul Ghaffar Khan to visit India to participate in Gandhi centenary celebrations | 40–41 |
| 4941 काबुल में श्री जयप्रकाश नारायण की अब्दुल गफ्फार खां से भेंट | Shri Jayaprakash Narayan's meeting with Khan Abdul Ghaffar Khan in Kabul | 41 |

| अता.प्र. संख्या/U.S.Q. Nos. विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी) | WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd. | |
| 4942 भारत चीन सीमा पर चीन की सैनिक तैयारी | Chinese Military Preparations on Sino-Indian border | 41 42 |
| 4943 सिक्किम को सहायता | Aid to Sikkim | 42 |
| 4944 भारत में चीन के तथा चीन में भारत के राजदूत की नियुक्ति | Exchang of Ambassadors with China | 43 |
| 4945 स्वर्गीय जवाहर लाल के पिछले जन्म दिवस समारोह पर लार्ड मौंटबेटन का भाषण | Lord Mountabatten's Speech on Shri Jawahar lal's Last Birthday Anniversary | 43-44 |
| 4946 मजगोन डाक्स लिमिटेड | Mazagon Docks Ltd. | 44 |
| 4947 मजगोन डाक्स लिमिटेड | Mazagon Docks Ltd. | 44 |
| 4948 मजगोन डाक्स लिमिटेड | Mazagon Docks Ltd. | 44-45 |
| 4949 मजगोन डाक्स लिमिटेड | Mazagon Docks Ltd. | 45-46 |
| 4950 राजनयिक नियुक्तियां | Diplomatic Appointments | 46-47 |
| 4951 केन्द्रीय आर्थिक पुंज में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति | I.F.S. Officers Assigned to Central Economic Pool | 47 |
| 4952 अधिकारियों की विदेशों में नियुक्ति | Posting of Officers Abroad | 47-48 |
| 4953 केनिया में रहने वाले भारतीय लोग | Indians Living in Kenya | 48 |
| 4954 भारतीय नौसेना | Indian Navy | 48 |
| 4955 समाचारों की कतरनें | Press clippings | 49 |
| 4956 योजना आयोग में हिन्दी तथा अंग्रेजी के स्टेनो-टाइपिस्ट तथा स्टेनोग्राफर्स | Hindi and English Steno-Typists and Stenographers in Planning Commission | 49-50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4957 | मुयींउद्दीन निश्ती उर्स में भाग लेने हेतु पाकिस्तानियों के लिये बीजा | Visas for Pakistanis for participating in Khawaja Muinuddin Chistis urs | 50 |
| 4958 | लखनऊ प्रतिरक्षा संस्थान में सांकेतिक हड़ताल | Token strike in Defence Establishments in Lucknow | 50–51 |
| 4959 | समाचार एजेंसियों को सहायता | Aid to News Agencies | 51 |
| 4960 | यूरेनियम डाई ऑक्साइड ईंधन | Uranium Dioxide Fuel | 51 |
| 4961 | हाई टैम्परेचर थोरियम रिएक्टर | High Temperature Thorium Reactor | 51–52 |
| 4962 | बंगलौर के निकट हैग्गनूर गांव में शूटिंग रैंज में घटना | Incident in Shooting Range in Village Heggaur near Bangalore | 52 |
| 4963 | वैदेशिक कार्य मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग | Use of Hindi in External Affairs Ministry | 52–53 |
| 4964 | उत्तर प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश में नये रेडियो स्टेशन | New Radio Station in Uttar Pradesh Rajasthan and Madhya Pradesh | 53 |
| 4965 | हिन्डन हवाई अड्डे के निकट फरूखनगर जाने वाली सड़क | Road to Farrukh Nagar near Hindon Airport... | 53 |
| 4966 | आकाशवाणी के कर्मचारियों द्वारा टैक्सी का प्रयोग | Use of Taxis by A.I.R. employees | 54 |
| 4967 | अणु शक्ति के शान्तिपूर्ण प्रयोग के लिये अनुसंधान केन्द्र | Research Centres for peaceful uses of Atomic Energy | 54 |
| 4968 | दरभंगा रेडियो स्टेशन | Darbhanga Radio Station | 54–55 |
| 4969 | ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों को नागरिकता का दिया जाना | Grant of Citizenship to Indian living in U.K. | 55 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 70 | सांताक्रूज हवाई अड्डे पर विमान का दुर्घटना ग्रस्त होना | Aircraft Crash at Santa Cruz Airport | 55–56 |
| 4971 | विदेशों में गांधी जयन्ती समारोह | Gandhi Jayanti Celebrations in Foreign Countries | 56 |
| 4972 | चीन के साथ सम्बन्धों के बारे में संसद् सदस्यों का ज्ञापन | Memorandum from M.Ps about Relations with China | 56 |
| 4973 | भूमध्य सागर में रूसी सेनाओं का जमाव | Concentration of Soviet Forces in the Mediteranean | 57 |
| 4974 | टेलीविजन का प्रसार | Expansion of Television | 57 |
| 4975 | मंत्रियों द्वारा व्यापारियों को मिलने की अनुमति दी जाना | Audience Granted by Ministers to Businessmen | 58 |
| 4976 | हिन्दी अनाउन्सर | Hindi Announcers | 58 |
| 4977 | मिग फैक्टरी नासिक के पास पकड़े गये पाकिस्तानी जासूस | Pakistani spies found around MIG Factory, Nasik | 58–59 |
| 4978 | लद्दाख में रेडियो सेट | Radio sets in Ladakh | 59 |
| 4979 | लेह और कारगिल में क्षेत्रीय प्रचार | Field Publicity in Leh and Kargil | 59 |
| 4980 | कार्गिल में आकाशवाणी केन्द्र | AIR station at Kargil | 59 |
| 4981 | प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कार्यवाही | Action on ARC Reports | 60 |
| 4982 | न्यूकलीअर इंडिया का हिन्दी संस्करण | Hindi version of 'Nuclear India' | 61 |
| 4983 | भारतीय युवक द्वारा जाली पार-पत्र पर लन्दन की यात्रा | Indian boy travelling on a Bogus Passport to London | 61 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4984 | भारतीय माल का अफगानिस्तान को निर्यात और पाकिस्तानी माल का नेपाल को निर्यात | Export of Indian Goods to Afghanistan and Pakistani Goods to Nepal | 61–62 |
| 4985 | मंत्रियों द्वारा संसद् सदस्यों के पत्रों के उत्तर | Reply to letters of M.Ps. to Ministers | 62 |
| 4986 | इलेक्ट्रानिक्स के विकास से सम्बन्धित भाभा समिति का प्रतिवेदन | Bhabha Committees Report on development of Electronics | 62–63 |
| 4987 | बर्मा में निरुद्ध भारतीय राष्ट्रिकों को स्वदेश लौटाना | Repatriation of Indian Nationals detained in Burma | 63–64 |
| 4988 | नई दिल्ली में नौसैनिक स्कूल चाणक्यपुरी | Naval School in Chankyanpuri, New Delhi | 64 |
| 4989 | विभिन्न मंत्रियों में विषयों का बटवार | Allocation of subjects among various Ministers | 65 |
| 4990 | एच० एस० 748 विमान | HS 748 Aircraft | 65–66 |
| 4991 | श्री रिचर्ड निक्सन का विद्रोही नागाओं को तथाकथित पत्र | Reported letter from Mr. Richard Nixon to Rebel | 66 |
| 4992 | शंघाई में रहने वाले सिख परिवारों की गिरफ्तारी | Arrest of Indian Sikh Families in Shanghai | 66–67 |
| 4993 | गोरखपुर सर्किल में वयस्क शिक्षा कार्यक्रम | Adult Education Programme in Gorakhpur Circle | 67 |
| 4994 | संयुक्त राष्ट्र संघ को जाने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल किये गये संसद् सदस्य | M.Ps. included in Indian Delegation to UN | 67–68 |
| 4995 | हज यात्री | Haj Pilgrims | 68–69 |
| 4996 | राजस्थान में अणु शक्ति केन्द्र | Atomic Power Station in Rajasthan | 69 |

| अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos. | विषय Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd. | | |
| 4997 हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड | Hindustan Aeronautics Ltd. | 69 |
| 4998 परमाणु खनिज संसाधनों की खोज | Exploration of Atomic Mineral Resources | 69–70 |
| 4999 चलचित्र कलाकारों द्वारा प्रस्तुत विविध भारती कार्यक्रम | Vividh Bharati Programme presented by Flim Artists | 70 |
| 5000 योजना की कुछ मदों का ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाया जाना | Shifting of Items of Planning to Rural Areas | 70–71 |
| 5001 सन्देक गांव के निकट पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ी | Pakistani Piquest near Sandek Village Ferezpur | 71 |
| 5002 भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का आवंटन | Allotment of land to Ex–servicemen | 71 |
| 5003 कलकत्ता में रहने वाले चीनियों को साम्यवादी चीन के धन का प्राप्त होना | Money being received by Chinese living in Calcutta from Communist China | 72 |
| 5004 राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक | National Development council's Meeting | 72 |
| 5005 भारतीय सैनिक अकादमी के लिये राष्ट्रीय छात्र सेना के कैडटों का चुनाव | Selection of NCC Cadets to Indian Military Academy | 73 |
| 5006 विदेशों को भेजे जाने वाले शिष्टमंडल | Delegations to be sent Abroad | 73 |
| 5007 विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिक | Indian Nationals living in Foreign Countries | 74 |
| 5008 योजना आयोग की अनुसंधान कार्यक्रम समिति द्वारा सर्वेक्षण कराया जाना | Research Programme Committee of Planning Commission | 74 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.


| अता. प्र. सं./U.S.Q.Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 5009 | हिन्द महासागर के उत्तरी भाग के बारे में सतर्क रहना | Vigilance on Northern Part of the Indian Ocean | 74 |
| 5010 | ब्रिटेन के वैदेशिक-कार्य तथा राष्ट्रमंडल सचिव से वार्ता | Talks with UK Foreign and Commonwealth Secretary | 75 |
| 5011 | डायमण्ड हारबर जल कपाट | Diamond Harboar Sluice Gates | 75 |
| 5012 | नौ सेना में मछुओं की भर्ती | Recruitment of Fishermen in Navy | 76 |
| 5013 | आकाशवाणी पर संसद् सदस्यों की वार्ताएं | Talks by M.Ps. on AIR | 76-77 |
| 5014 | दिल्ली के योजना परिव्यय में कटौती | Slicing of Plan Outlay of Delhi | 77 |
| 5015 | लद्दाख के प्रमुख लामा द्वारा दलाई लामा का संयुक्त राष्ट्र संघ में समर्थन करन के बारे में वक्तव्य | Statement by Head Lama of Ladakh to Support Dalai Lama at U.N. | 77 |
| 5016 | समाचार पत्रों में साम्प्रादायिक भावना फैलाने वाले लेखों पर प्रतिबन्ध | Banning of Communal Writings in Press... | 77-78 |
| 5017 | भूटान के लिये नया संविधान | New Constitution for Bhutan | 78 |
| 5018 | विद्रोही नागा नेता का चीन से वापिस लौटना | Return of Rebel Naga Leader from China | 78 |
| 5019 | सक्रिय (लाइव) ट्रांसमीटर पर काम करने वाले आकाशवाणी के मैकेनिक | A.I R. Mechanics Working on Live Transmitters | 79 |
| 5020 | उपग्रहों का छोडा जाना | Launching Ranges of Satellites | 79-80 |

| अता.प्र.संख्या / U.S. Q. Nos. | विषय Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर जारी/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd. | | |
| 5021 | कश्मीर के विकास के बारे में गजेन्द्रगडकर आयोग का प्रतिवेदन / Gajendragadkar Commission's Report on development of Kashmir | 80 |
| 5022 | अणु शक्ति विभाग में अराजपत्रित अनुसचिवीय कर्मचारी / Non-Gazetted Ministerial Staff in Atomic Energy Department | 80 |
| 5023 | विदेशों में भारतीय दूतावासों के बारे में विदेश सेवा निरीक्षकों की सिफारिशें / Foreign Service Inspector's Recommendations on Indian Missions Abroad | 81 |
| 5024 | पूना छावनी बोर्ड / Poona Cantonment Board | 81 |
| 5025 | प्रधान मंत्री की लातीनी अमरीकी देशों की यात्रा के समय भारतीय दूतावासों द्वारा प्रचार पर किया गया व्यय / Expenditure on Publicity incurred by Indian Embassies during Prime Minister's Tour of Latin American Countries | 81–82 |
| 5026 | परमानेन्ट मैगनेटस कम्पनी द्वारा भूमि का अर्जन / Acquisition of and by Permanent Magnets Co. | 82–83 |
| 5027 | पश्चिम बंगाल की विकास योजनाएं / Development schemes of West Bengal | 83 |
| 5028 | बंगाली चलचित्रों को मनोरंजन कर से छूट / Exemption of Bengali films from Entertainment tax | 83 |
| 5029 | पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय छात्र सेना दल / N.C.C. in West Bengal | 84 |
| 5030 | सलाहकार समितियां / Advisory Committees | 84 |
| 5031 | वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान में धन का विनियोजन / Investment in Scientific and Technological Research | 84 |
| 5032 | परिवार साथ रखने वाले स्थानों पर तैनात सैनिकों के लिये आवास की व्यवस्था / Accommodation for Military Personnel hen posted at Family Stations | 85 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5033 | विद्रोही नागाओं के साथ मुठभेड़ | Clash with Rebel Nagas | 85-86 |
| 5034 | हिन्द महासागर में रूसी नौ सेना के स्क्वैड्रन | Squadrons of Russian Navy in Indian Ocean | 86 |
| 5035 | बर्मा में नजरबन्द भारतीय राष्ट्रिक | Indian Nationals under detention in Burma | 86 |
| 5036 | परमाणु विकास कार्य | Atomic development works | 86-87 |
| 5037 | भारतीय आयोजन के लिये विदेशी विशेषज्ञ | Foreign Experts for Indian Planning | 87 |
| 5038 | अमरीका में भारतीय दूतावास में सांस्कृतिक सहचारी के कर्त्तव्य | Duties of Culcural Attache in Indian Embassy in USA | 87 |
| 5039 | क्यूबा में पृथक भारतीय राजदूत | Separate Indian Ambassador in Cuba | 87-88 |
| 5040 | 1965 का भारत - पाक संघर्ष | Indo-Pak. conflict of 1965 | 88 |
| 5041 | ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो सेट | Community Radio sets in Rural areas | 89 |
| 5042 | 1971 तक प्रत्येक भारतीय के लिये एक रेडियो सैट का लक्ष्य | Target of one Radio set for every Indian by 1971 | 89 |
| 5043 | कम लागत वाले रेडियो सेटों को कीमतें | Price of low cost Radio sets | 90 |
| 5044 | सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिन्दी कार्य | Hindi work in I & B Ministry | 90-92 |
| 5045 | आकाशवाणी के कार्यक्रम से उत्तेजक गानों के प्रसारण बन्द करना | Stopping broadcasts of provocative songs from AIR programmes | 92 |
| 5046 | 'केवल वयस्कों के लिये' चलचित्र | Films for Adults only | 93 |

| अता. प्रश्न संख्या/ U.S.Q. Nos. | विषय Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd. | | |
| 5047 विदेशों में हिन्दी फिल्मों का प्रदर्शन | Hindi Films for Exhibition in foreign countries | 93 |
| 5048 कुछ वितरकों द्वारा दिखाने के लिये दी गयी फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगाना | Banning of Films released by certain Distributors | 93–95 |
| 5049 'गौरी' चलचित्र | Film Gauri | 95 |
| 5050 ताशकन्द फिल्म समारोह | Tashkent Film Festival | 95-96 |
| 5051 स्वर्गीय श्री जवाहरलाल के पिछले जन्म दिवस समारोह पर लार्ड मौंटबैटन का भाषण | Lord Mountbatten's speech on Shri Jawahar Lal's last Birthday Anniversary | 96 |
| 5052 भारत नेपाल सीमा पर गिरफ्तार किये गये नेपालियों की रिहाई | Release of Nepalese arrested on Indo Nepalese Border | 96–97 |
| 5053 फिल्मों को प्रदर्शन की स्वीकृति प्रदान करना | Release of Films | 97 |
| 5054 फिल्म फैडरेशन, स्कीम एक्टर्स गिल्ड तथा इंडियन मीशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन में नाम निर्देशन | Nominations to Flim Federation screen Actor Guild and IMPPA | 98 |
| 5055 भूतपूर्व विदेश सचिव श्री आर. के. नेहरू को साम्यवादी चीन के बारे में गोपनीय फाइलें सौंपना | Placing of Confidential Files relating to communist China at the disposal of Shri R.K. Nehru, former Foreign Secretary | 98–99 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 403 दिनांक 18 दिसम्बर, 1968 के उत्तर में शुद्धि | Correction of Answer to U.S.Q. No 403 dated 18th December, 1968 | 99 |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना | Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance | 99–104 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| टाटा उर्वरक परियोजना से विदेशी सहयोग वापिस लिया जाना | Withdrawal of foreign collaboration to Tata Fertilizers Project | 99 |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the Table | 104-105 |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति | Committee on Private Member's Bills and Resolutions | 105 |
| 42 प्रतिवेदन | Forty Second Report | 105 |
| अत्यावश्यक सेवाएं बनाये रखने का विधेयक—~~जारी~~ | Essential Services Maintenance Bill ~~Contd~~ | 105 |
| संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव | Motion to pass as amendment | 105 |
| श्री जे० मुहम्मद इमाम | Shri J. Mohmed Imam | 107 |
| श्री राणे | Shri Rane | 108 |
| श्री बलराज मधोक | Shri Bal Raj Madhok | 108 |
| श्री अमृत नाहटा | Shri Amrit Nahata | 109 |
| श्री वी० कृष्णमूर्ति | Shri V. Krishnamoorthy | 110 |
| श्री क० नारायण राव | Shri K. Narayan Rao | 110 |
| श्री ही० ना० मुकर्जी | Shri H.N. Mukerjee | 111 |
| श्री एस० एम० जोशी | Shri S. M. Joshi | 112 |
| श्री विभूति मिश्र | Shri Bibhuti Mishra | 112 |
| श्री के० रमानी | Shri K. Ramani | 112 |
| श्री चेंगलराया नायडू | Shri Chengalraya Naidu | 113 |
| श्री समर गुह | Shri Samar Guha | 113 |
| श्री रणधीर सिंह | Shri Randhir Singh | 113 |
| श्री अब्दुल गनी दार | Shri Abdul Ghani Dar | 113 |
| डा० मैत्रीयी बसु | Dr. Maitreyee Basu | 113 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| श्री स० मो० बनर्जी | Shri S.M. Banerjee | 114 |
| श्री विद्याचरण शुक्ल | Shri Vidya Charan Shukla | 114 |
| **अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) 1968–69** | Supplementary Demands for Grants (Railways), 1968-69 | 116 |
| श्री गाडिलिंगन गौड | Shri Gadilingana Gowd | 116 |
| श्री चपलाकान्त भट्टाचा | Shri C.K. Bhattacharayya | 117 |
| श्री ओंकार लाल बेरवा | Shri Onkar Lal Berwa | 118 |
| श्री परिमल घोष | Shri Parimal Ghosh | 119 |
| **विनियोग (रेलवे) संख्या 5 विधेयक,** | Appropriation (Railways) No. 5 Bill. | 120 |
| पुरःस्थापित तथा पारित | Introduced and passed | 120 |
| **अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1966–67** | Demands for Excess Grants (Railways), 1966-67 | 121 |
| श्री राजा राम | Shri Rajaram | 122 |
| श्री ओंकार लाल बोहरा | Shri Onkar Lal Bohra | 123 |
| डा० रानेन सेन | Dr. Ranen Sen | 123 |
| श्री शिंकरे | Shri Shinkre | 124 |
| श्री लोबो प्रभु | Shri Lobo Prabhu | 124 |
| श्री सरजू पाण्डेय | Shri Sarjoo Pandey | 124 |
| श्री क० नारायण राव | Shri K. Narayana Rao | 124 |
| श्री परिमल घोष | Shri Parimal Ghosh | 124 |
| **विनियोग (रेलवे) संख्या 6 विधेयक, 1968** | Appropriation (Railways) No. 6 Bill, 1968 | 125 |
| पुरःस्थापित तथा पारित | Introduced and passed | 125 |
| **सदस्य द्वारा आज की कार्यवाही में प्रयोग किये गये कुछ शब्दों का वापिस लिया जाना** | Withdrawal by Member of certain words used by him in Today's proceedings | 127 |

| | | |
|---|---|---|
| **अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पंजाब) 1968–69** | Supplementary Demands for Grants (Punjab), 1968–69 | 127 |
| श्री के० एम० अब्राहम | Shri K.M. Abraham | 127 |
| श्री गु० सिं० ढिल्लो | Shri G.S. Dhillon | 128 |
| श्री कंवर लाल गुप्त | Shri Kanwar Lal Gupta | 129 |
| श्री रणधीर सिंह | Shri Randhir Singh | 129 |
| श्री मीठा लाल मीना | Shri Meetha Lal Meena | 130 |
| श्री शिव नारायण | Shri Sheo Narayan | 130 |
| श्री समर गुह | Shri Samar Guha | 130 |
| श्री बूटा सिंह | Shri Buta Singh | 131 |
| श्री कं० हाल्दर | Shri K. Halder | 131 |
| श्री प्रेम चन्द वर्मा | Shri Prem Chand Verma | 131 |
| श्री प्रकाशवीर शास्त्री | Shri Prakash Vir Shastri | 132 |
| श्री साधू राम | Shri Sadhu Ram | 132 |
| श्री किकर सिंह | Shri Kikar Singh | 133 |
| श्री जगन्नाथ पहाड़िया | Shri Jagannath Pahadia | 133 |
| **पंजाब विनियोग विधेयक, 1968** | Punjab Appropriation Bill, 1968 | 135 |
| पुर:स्थापित तथा पारित | Introduced and passed | 135 |
| **अनुदानों की अनुपूरक मांगे (पांडिचेरी) 1968–69** | Supplementary Demands for Grants (Pondicherry), 1968–69 | 136 |
| **पांडिचेरी विनियोग विधेयक, 1968-69** | Pondicherry Appropriation Bill, 1968-69 | 137 |
| पुर:स्थापित तथा पारित | Introduced and passed | 137 |
| **अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1968-69** | Supplementary Demands for Grants (General) 1968–69 | 138 |
| श्री कंवर लाल गुप्त | Shri Kanwar Lal Gupta | 138 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| श्री बूटा सिंह | Shri Buta Singh | 139 |
| श्री समर गुह | Shri Samar Guha | 139 |
| श्री एस. कन्डप्पन | Shri S. Kandappan | 139 |
| श्रीमती इलापाल चौधरी | Shrimati Ila Palchoudhuri | 140 |
| श्री रवि राय | Shri Raby Ray | 141 |
| श्री दिनेश सिंह | Shri Dinesh Singh | 142 |
| श्री यशवन्तराव चव्हाण | Shri Y.B. Chavan | 142 |
| **विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1968** | Appropriation (No. 5) Bill, 1968 | 43 |
| पुर:स्थापित तथा पारित | Introduced and passed | 143 |
| **अनुदानों की अनुपूरक मांगें (बिहार), 1968–69** | Supplementary Demands for Grants (Bihar) 1968–69 | 144–146 |
| **बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1968** | Bihar Appropriation (No. 2) Bill, 1968 | 146 |
| पुर:स्थापित तथा पारित | Introduced and passed | 146 |
| **असैनिक रक्षा नियम 1968 में संशोधन के बारे में प्रस्ताव वापसी** | Motion re. Modification to civil defence Rules 1968-withdrawa | 147 |
| श्री श्रीनिवास मिश्र | Shri Srinibas Misra | 147 |
| श्री विद्याचरण शुक्ल | Shri Vidya Charan Shukla | 147 |
| **आधे घंटे की चर्चा** | Half-an-Hour Discussion | 148 |
| **इन्द्रप्रस्थ भवन में हुई घटनाएं** | Incidents in Indrraprastha Bhavan | 148 |
| श्री म. ला. सोंधी | Shri M.L. Sondhi | 148 |
| श्री रवि राय | Shri Rabi Ray | 151 |
| श्री कंवर लाल गुप्त | Shri Kanwar Lal Gupta | 151 |
| श्री एम. कंडप्पन | Shri S. Kandappan | 151 |
| श्री श्रीनिवास मिश्र | Shri Srinibas Misra | 151 |
| श्री यशवन्तराव चव्हाण | Shri Y.B. Chavan | 152 |

# लोक-सभा
## LOK-SABHA

**बुधवार, 18 दिसम्बर, 1968/ 27 अग्रहायण, 1890 (शक)**
*Wednesday, December* 18, 1968/*Agrahayana* 27, 1890 (*Saka*

---

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**
*Lok-Sabha met at Eleven of the Clock*

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Speaker** *in the Chair* }

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### Allotment of Agricultural Land to the Ex-Servicemen

*811. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Defence be pleased to State :

(a) whether it is a fact that the Central Government or State Governments have made no provison for the allotment of agricultural lands to such ex-servicemen as are on salaried posts in any service;

(b) whether the land allotted to the landless and retired ex-servicemen is according to the ranks held by them while in service and if so, the acreage prescribed rank-wise; and

(c) whether enquiries are made in such cases before allotment of land to verify that they are not in service and that they do not possess any land ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० र० कृष्ण)** : (क) से (ग) ; एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

### विवरण

भूतपूर्व सैनिकों को भूमि अलाटमेंट राज्य सरकार विशेष या संघीय प्रादेशिक प्रशासन के नियमों के अन्तर्गत की जाती है। यह नियम राज्यवार विभिन्न हैं। कुछ राज्यों

में उदाहरणतः गुजरात में इस बात को कोई महत्व नहीं दिया जाता कि भूतपूर्व सैनिक बारोजगार है या नहीं। कुछ अन्य राज्यों में जैसे कि आंध्र प्रदेश सीमा सड़क संगठन और राष्ट्रीय छात्रदल में नियुक्ति कृषि भूमि की अलाटमेंट में बाधा नहीं होती। कुछ अन्य राज्यों में जैसे कि मैसूर भूमि भूतपूर्व सैनिकों को दी जाती है अगर वह गरीब हों, और गरीबी का लक्षण है 1200 रुपये वार्षिक तक की आय। सिवाए एक दूर के क्षेत्र में पुनरावास योजना के, जहां अफसरी पद के व्यक्तियों को आकर्षित करना आवश्यक समझा गया था, कि वह बसने वाले भूतपूर्व सैनिकों का नेतृत्व कर सके, सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों को पद के आधार पर अलाट की जाने वाली भूमि की एकड़ों की संख्या में कोई भिन्न भेद नहीं बरता जाता। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अलाटमेंट के हर मामले में प्रार्थनापत्र नियमों के अनुरूप था प्रायः जांच की जाती है।

जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, रक्षा मन्त्रालय की भूमि, जो अस्थायी तौर पर रक्षा आवश्यकताओं से फालतू होती है, आमतौर पर कृषि उद्देश्यों के लिए पट्टे पर दे दी जाती है। आमतौर पर उन बेरोजगार भूतपूर्व सैनिकों को जिन्हें सहायता दरकार होती है उन पर तरजीह दी जाती है जो पहले पुनरावासित हो चुके हों और बारोजगार हों। प्रार्थनापत्र प्रायः सम्बन्धित डी० एस० एस० एण्ड ए० बोर्ड की मार्फत प्राप्त की जाती हैं जो तथ्यों की जांच करते हैं इससे पहले कि वह भूमि अलाट करने वाले अधिकरण को भेजी जाएं। अलाटमेंट करते समय प्रार्थी द्वारा धारण किये गये पद को कोई महत्व नहीं दिया जाता।

**Shri Hukam chand Kachwai :** What is the difference between the present rules and those existed during the British period regarding the allotment of land to ex servicemen ? Will the Government consider the desirability to allot the land under their possession themselves ? Has any special consideration been shown in respect to the allotment of land to Harijans Military personnel and officers ? Keeping in view the fact that incidents of clashes take place now and then on Chinese and Pakistan-boarders and infiltratores from these two countries in trade into our territory,have the Government considered the question of rehabilitating ex-servicemen in these areas by allotting them land there ?

**श्री मं० रं० कृष्ण :** भूमि राज्य सरकारों की है। अधिकतर राज्य भूतपूर्व सैनिकों तथा युद्ध में मारे गये सैनिकों को बसाने में बहुत सहायता कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार भी लगभग 150 परिवारों को अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में और 200 परिवारों को नेफा में बसाने की योजना हैं। भूमि देने के सम्बन्ध में नियम राज्य सरकारें बनाती हैं। राज्य सरकारें भूतपूर्व सैनिकों को बसाने में यथासम्भव सहायता कर रही हैं।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** I want to know the difference between the present rules and those existed during the British period in respect of the allotment of land to ex-servicemen. Have Government scheme to rehabilitate ex-servicemen in border areas along the Pakistan and China--border ?

**श्री मं रं० कृष्ण :** अंग्रेजों के शासन काल में आज की तुलना में भूतपूर्व सैनिकों को बसाने का उत्तरदायित्व बहुत कम था। बसाये जाने वाले लोगों की संख्या उत्तरोत्तर

बढ़ती जा रही है। इसलिए हमें राज्य सरकारों पर निर्भर करना पड़ता है। लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों तथा स्थानों में बसाने के बारे में सरकार विचार कर रही है। नेफा में कुछ भूतपूर्व सैनिक बसाये जा रहे हैं।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** May I know whether Government have prepared any scheme to give special assistance to the widows of the personnel killed in the war ? Since the Military comes direct under the Central Government, do the Government propose to frame uniform rules for all the states in respect of allotment of land to the military personnel ? Do Government also propose to allot the railway land along the railway tracks to the military personnel. Do Government also propose to increase the pension of the ex-servicemen keeping in view the increase in the cost of living?

**श्री मं० रं० कृष्ण :** युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों के आश्रितों को राज्य सरकारें भूमि देती हैं। चूंकि वही इस बात का निर्णय करती हैं कि किस परिवार को कितनी भूमि दी जानी चाहिए इसलिए इस सम्बन्ध में नियम भी वही बनाते हैं। यदि केन्द्रीय सरकार को इन सब मामलों का निर्णय करना पड़े तो हम सब राज्यों में एक समान नियम नहीं लागू कर सकते हैं।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** Mr. Speaker, Sir my question has not been answered fully. My question is do the Government propose to increase the pension according to the increase in the cost of living.

**Shri M.R. Krishna :** The State Government are aware of this fact and they are taking action in this direction also.

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) :** मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। पेंशन देना केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है। हम समय-समय पर बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखते हुए कुछ तदर्थ राशि देते हैं।

**Shri Randhir Singh :** The British used to compensate the Jawans by giving them land, Jagirs, awards etc. in order to keep their morale high. Our Jawans showed their bravery during the conflicts with China and Pakistan. The question of allotting them land etc. was raised by Sardar Pratap Singh Kairon. But today compl ints are being received that they have not been given land. Howmany complaints and how many cases are pending in respect of the families whose all the sons fought during the conflicts with China and Pakistan and injured there but they have not been given any land ? Will the Government take step to remove their complaints ? Will the Government formulate any scheme to compensate these Jawans and officers in order to keep their morale high, inculcate the sense of patrriotism in them and to encourage the persons belonging to martial races to join the army ?

**श्री मं० रं० कृष्ण :** अनेक राज्यों के लोगों से प्रार्थना पत्र मिले हैं। उन पर हम विचार करते हैं और अपनी सिफारशें करके उन्हें राज्य सरकारों को वापिस भेज देते हैं। जिन भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सरकारें भूमि नहीं देती हैं उनके मामलों पर सीधे प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है।

**श्री लोबो प्रभु :** भूतपूर्व सैनिकों को भूमि देने के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है । इन प्रक्रियाओं में सबसे बड़ी कमी है कि राज्य तुरन्त यह नहीं बता सकते हैं कि वे भूतपूर्व सैनिकों को कितनी भूमि दे सकते हैं । यह हरिजनों तथा अन्य लोगों से भी सम्बन्धित है । मैं इस बात का प्रयत्न कर रहा हूं कि तालुक मुख्यालय द्वारा यह जानकारी देने की व्यवस्था की जाये । क्योंकि खेती की जाने वाली लगभग 1/5 भाग भूमि विकास अधिकारियों के अन्तर्गत होती है । अतः मैं चाहता हूं कि प्रतिरक्षा मंत्रालय राज्य सरकारों से कहे कि सैनिक बोर्डों में जानकारी उपलब्ध की जाये ताकि सैनिकों को जानकारी के लिये गांव के अधिकारियों का मुंह न ताकना पड़े ।

**श्री मं० रं० कृष्ण :** प्रतिरक्षा मन्त्री इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को बार बार लिखते रहते हैं और राज्य सरकारें प्रतिरक्षा मंत्रालय को उपलब्ध तथा उसमें से भूतपूर्व सैनिकों को दी जा सकने वाली भूमि के बारे में सूचित करती हैं । राज्य सरकारें प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के आधार पर भूमि का वितरण करती हैं ।

**श्री लोबो प्रभु :** क्या यह जानकारी सैनिक, नाविक तथा वैमानिक जिला बोर्डों में उपलब्ध नहीं की जा सकती है ?

**श्री म० रं० कृष्ण :** जी हां, हमें केन्द्रीय सरकार के सैनिक, नाविक तथा वैमानिक जिला बोर्डों से भी जानकारी मिलती है ।

**श्री लोबो प्रभु :** नहीं मिलती है ।

**श्रीमती सुधा रेड्डी :** यद्यपि राज्य सरकारों का उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों की सहायता करना है, फिर भी देखना यह है कि छोटे अधिकारी इस दिशा में उचित ढंग से कार्य करते हैं अथवा नहीं । सरकार द्वारा भूमि देने में विलम्ब के कारण सैनिक परिवारों में असन्तोष है । कई बार तो ऐसा कहा जाता है कि भूमि देने के लिये जंगल साफ करने पड़ेंगे और कई वर्षों तक लिखापढ़ी करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकलता है । मंत्री महोदय का, इस बात के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है कि राज्य सरकारें भूतपूर्व सैनिकों तथा जवानों के परिवारों को शीघ्र भूमि दें ।

**श्री मं० र० कृष्ण :** यह सच है कि अनेक राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों को भूमि देने तथा उनकी सहायता करने में विलम्ब होता है । सैनिक जिला बोर्डों में जनता के नेता, भूतपूर्व सैनिक तथा कलेक्टर होते हैं । राज्यपाल भी इस बोर्ड के साथ किसी सीमा तक सम्बन्धित रहता है । हम इन्हें अधिक कार्यकुशल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और आशा है कि वे भविष्य में अधिक कार्यकुशलता से कार्य करेंगे ।

**श्री सनर गुह :** इस बात को देखते हुए कि आजाद हिन्द फौज के लोग अब काली सूची में नहीं है और उन्हें अब दोषयुक्त घोषित कर दिया गया है तथा सरकार ने सिद्धांत रूप में उसी आधार पर पेंशन तथा अन्य सुविधाएं देना मान लिया है जो भूतपूर्व सैनिकों को मिलती हैं, क्या सरकार आजाद हिन्द फौज के लोगों को भी कृषि भूमि देगी ।

**श्री मं० र० कृष्ण :** आजाद हिन्द फौज के लोगों को वह कुछ दिया गया है जो उन्हें अभी तक नहीं मिलता था। वर्तमान प्रतिरक्षा मन्त्री ने अपना पद सम्भालने के समय से ही आजाद हिन्द फौज के प्रति बड़ा नरम दृष्टिकोण अपनाया है और उन्हें सहायता दी है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आजाद हिन्द फौज के कितने लोगों को भूमि दी गई है।

## हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड

***812. श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड की स्थापना के समय और 31 मार्च, 1968 को उसकी अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी कितनी थी;

(ख) 31 मार्च, 1968 को कम्पनी पर केन्द्रीय सरकार, बैंकों और अन्य निकायों का अलग-अलग कितना ऋण था;

(ग) गत तीन वर्षों में कम्पनी ने ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया; और

(घ) गत तीन वर्षों के कार्यकरण के क्या परिणाम निकले हैं, उसको कितना लाभ हुआ और यदि हानि हुई है तो हानि के क्या मुख्य कारण है और 1968-69 के बारे में क्या अनुमान है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य-मंत्री (श्री ल०ना० मिश्र) :** (क) से (घ) : एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

### विवरण

(क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड उससे पहले विद्यमान हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड के एरोनाटिक्स इण्डिया लि० के साथ समविष्टि पर 1-10-64 को अस्तित्व में आया। कम्पनी का 1-10-1964 और 31-3-1968 के सरमाए का ढांचा इस प्रकार था :

| | 1-10-64 को | 31-3-1968 को |
|---|---|---|
| | (लाख रुपयों में) | |
| अधिकृत सरमाया | 5000 | 5000 |
| अदाशुदा सरमाया | 2280 | 3853 |

(ख) 31-3-1968 को बकाया ऋण इस प्रकार थे :

| | |
|---|---|
| केन्द्रीय सरकार से | 3360 लाख रु० |
| सबसिडाईज्ड हाऊसिंग योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से | 1.04 लाख रु० |
| सबसिडाईज्ड योजना के अन्तर्गत मैसूर सरकार से | 10.09 लाख रु० |

एच ए एल उपदान निधि से 71.62 लाख रु०

स्टेट बैंक आफ इण्डिया से, केश क्रेडिट हिसाब से 53.66 लाख रु०

(ग) पहले तीन वर्षों में कम्पनी द्वारा अदा किया गया ब्याज इस प्रकार था :

(लाख रुपयों में)

| | |
|---|---|
| 1965-66 | 17.79 |
| 1966-67 | 62.71 |
| 1967-68 | 246.31 |

(घ) क्षदरण का उपबन्ध करने के पश्चात् विक्रय और नेट लाभ नीचे दिये गए हैं :

| | विक्रय | नेट लाभ |
|---|---|---|
| | (लाख रुपयों में) | |
| 1965-66 | 1646.33 | 121.98 |
| 1966-67 | 2923.76 | 126.24 |
| 1967-68 | 4127.54 | 129.98 |

1968-69 वर्ष में 209 लाख रुपये का लाभ अनुमानित है ।

**Shri Prem Chand Verma** : The statement laid by Hon. Minister. shows that about Rs. 73 crores are invested in this company and it has earned a profit of Rs. 29 lakhs and that too at the cost plus base prices. I want to know whether the Government will consider the question of bringing down the HAL prices to the international price structure.

I want to know whether it is a fact that 33 per cent of the jigs and tools worth Rs. 65 lakhs, which are used for the manufacture of HS 748 Aircrafts, are lying unutilised in the Kanpur Division since 1966 and the labour in the same ratio is surplus or idle. Now there is not a demand for gliders also and the labour and machinery used for their manufacture will also surplus. I want to know the concrete steps being taken or proposed to be taken by the Government to fully utilise this machinery and labour.

**Shri L. N. Mishra** : So far as the price are concerned, in the Bangalore Division the price is fixed on the basis of cost-puls-base. The parts of some aircrafts are costlier but the cost of our aircrafts on the whole compares favourably with the international price

So far as figs and tools in the Kanpur Division are concerned it is not true that they are lying unutilised. The Kanpur Factory is working according to its capacity and is manufacturing Abro 748 crafts. Therefore there is no question of any unemployment, retrenchment or surplus stocks.

But in the case of Gliders. it is true that their demand has decreased and we have, therefore, reduced their production accordingly.

**Shri Prem Chand Verma** : May I know whether it is a fact that the cost of the airframe of H S 748 comes to Rs. 58 lakhs and for that we import material worth Rs. 57

lakhs. Similary imported material worth Rs. 8 lakhs is used for the manufacture of its engine which costs Rs. 15 lakhs. I want to know the steps taken by the Government to reduce the imported material during the last four years.

Secondly, they had made the frame of H. F. 24 make II, two years age. But they have neither manufactured its engine nor have they made any arrangements for that. I want to know whether the Government would purchase for many foreign company the design of this mark-II engine and hand over these fighter planes to the I. A. F. soon. I would also like to know the success achieved in the research being conducted in this regard.

**Shri L. N. Mishra :** As far as the question of H. F. 784 is concerned I want to tell you that this is a fact that some parts of this plane are being imported and we are progressively .....

**श्री रंगा :** इस प्रकार के उत्तर से क्या लाभ। बताया जाना चाहिए कि कितने प्रतिशत

**श्री ल० ना० मिश्र :** विमान के निर्माण में 60 प्रतिशत से अधिक लागत का सामान तथा पुर्जे आदि भारत में तैयार किये जाते हैं केवल 40 प्रतिशत मूल्य का साज-सामान बाहर से मंगाया जाता है। लेकिन धीरे-धीरे हम इस आयात को भी कम करना चाहते है। जहां तक एच एफ. 24 मार्क II का सम्बन्ध है यह सच है कि हम फ्रेम बनाने के लिये गये थे और हमने फ्रेम बना भी लिया है, जहां तक इंजन का सम्बन्ध है, जैसा कि आपको विदित ही है, मर्क II इंजन के बारे में कहानी थी। उसके बारे में किसी देश के साथ हमारा एक समझौता सा है, लेकिन हमने इस एच. एफ. 24 मार्क II विमान को बनाने का निश्चय नहीं किया है। हमारे पास रि-फ्हिटिंग सिस्टम वाला नये किस्म का एच. एफ. 24 विमान है। माननीय सदस्य ने यात्री विमान के बारे में कहा। एच. एस. 748 परिवहन एव यात्री विमान है और इस समय हमारे पास हमारी क्षमता के अनुसार पर्याप्त क्रयादेश हैं और यदि और क्रयादेश मिलें, तो हम एच. एस. 748 विमानों का और अधिक संख्या में निर्माण करेंगे।

**श्री बलराज मधोक :** विमान उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग है। सैनिक तथा असैनिक दोनों ही प्रयोजनों के लिये मांग बढ़ रही हैं। इस समय बंगलौर, कानपुर तथा हैदराबाद में विमान बनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। क्या उन्हें अलग-अलग करने की दिशा में कोई प्रयत्न किया जा रहा है ताकि हम असैनिक प्रयोजन के लिये एक स्थान पर विमान बनाये और दूसरे स्थान सैनिक प्रयोजन के लिये बनाये ताकि भिन्न-भिन्न स्थानों पर वर्तमान विविधीकरण से मुक्ति पायी जा सके। इस समय कानपुर कारखाना कुछ भी नहीं कर रहा हैं। उसने केवल थोड़े से एव्रो विमान बनाये है जिनका प्रयोग इंडियन एयरलाइन्स ने किया है। मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कानपुर कारखाने को पूर्णतः समाप्त करके हैदराबाद में अन्य मिग विमान कारखाने के अलावा बंगलौर में पूर्णत सैनिक विमान तैयार करने का काम आरम्भ करेगी जिससे खर्च की बचत होगी ?

**श्री ल० ना० मिश्र :** हमने "हाल" को पुनर्गठित करने का निर्णय किया है। मिग विमानों के निर्माण के लिये हमारे पास एक मिग उद्योग समूह है और बंगलौर डिवीजन में

एच० एफ० 24 विमान नैट विमान, पुष्पक विमान, कृषक विमान आदि सम्बन्धी काम होगा। कानपुर में एच०एस० 748 विमान का कार्य होगा। जहां तक एच एस. 748 विमान की कारगरता का सम्बन्ध, वह पूरी तरह प्राप्त कर ली गई है। हमने कई विमान बनाये हैं और आधे दर्जन एच० एस० 748 विमान इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को दिये है जो काफी अच्छे चल रहें है और उसके लिये लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं।

**श्री बलराज मधोक ;** इस सब काम को क्या आप एक स्थान पर नहीं कर सकते हैं।

**श्री ल० ना० मिश्र :** जहां तक एक या दो स्थानों पर इन कारखानों के जमाव का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को पता है कि बंगलौर डिवीजन का अपना अलग इतिहास है वह बहुत पहले स्थापित हो गया था जो आज कुछ सैनिक विमान तथा कुछ छोटे प्रशिक्षण विमान बना रहा है। हम इस व्यवस्था पें गड़बड़ नहीं करना चाहते। लेकिन भार हलका करने के लिये हमने तीन यूनिटें स्थापित करने का निर्णय किया है। यथा-एक मिग विमान उद्योगसमूह, नासिक, कोरापत तथा हैदराबाद की देखरेख के लिये एक कानपुर में एच० एस० 748 के लिये जो परिवहन विमान है।

**श्री श्रद्धाकर सूपकार :** इस बात को देखते हुए कि जहां तक विमान क्षमता का सम्बन्ध है पाकिस्तान अपनी प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ा रहा है, क्या हम भी अपनी इस विमान की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं ? दूसरी बात यह है कि हम इस प्रतिरक्षा विमान के उत्पादन में कब तक आत्म-निर्भर हो जायेंगे ?

**श्री ल० ना० मिश्र :** यह सच है कि हम आत्म निर्भर बनना चाहते हैं लेकिन यह कहना बहुत कठिन है कि हम कब तक आत्म-निर्भरता प्राप्त कर सकेंगे। जहां तक क्षमता का सम्बन्ध है, हमने एक निश्चित कार्यक्रम बनाया है और लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

**श्री रंगा।** क्या हमारे देश में हैलीकाप्टरों का निर्माण करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है क्योंकि उनकी मांग विशेषत: हमारी सुरक्षा के सम्बन्ध में बढ़ रही है ? क्या नैट विमान अथवा हमारे किसी अन्य विमान के तीन या चार स्थानों पर निर्माण करने तथा उनके भागों को इन तीन चार स्थानों में से किसी एक जगह पर जोड़ने के प्रश्न पर विचार किया गया था ताकि सरकार के दिमाग में सुरक्षा का प्रश्न सर्वोपरि हो और यदि किन्हीं प्रति कूल परिस्थितियों में दुश्मन ने हमें नुकसान पहुँचाना चाहा, तो वह सब कुछ नष्ट नहीं कर सकेगा और ज्यादा से ज्यादा सफलता मिलने पर भी केवल एक भाग को ही नुकसान पहुँचा सकेगा ?

**श्री ल० ना० मिश्र :** जहां तक हैलीकोप्टरों का सम्बन्ध है, हम एक फ्रान्सिसी फर्म के सहयोग से एल्यूट हैलीकोप्टर बनाते हैं और निर्माण चल रहा है। लेकिन मैं नहीं कह सकता कि उत्पादन अब तक सन्तोषजनक रहा है। लेकिन हम इसके लिये भरसक कोशिश कर रहे हैं और हमें आशा है कि हम एक या दो वर्ष में काफी कुछ प्रगति कर सकेंगे।

जब हम कोई नया कारखाना स्थापित करते हैं, तो सुरक्षा के पहलू पर सदैव विचार किया जाता है। जहाँ तक नैट, एच० एफ० 24 तथा अन्य विमानों का सम्बन्ध है, वे बंगलौर में बनाये जाते हैं और वर्तमान व्यवस्था में इधर उधर करना मुश्किल होगा।

**श्री विक्रम चन्द महाजन।** क्या विमान तथा विमान इंजन बनाने में नये लोगों को प्रशिक्षित करने के लिये कोई प्रशिक्षण संस्था स्थापित की गई है ?

**श्री ल० ना० मिश्र :** बंगलौर में हमारे पास एक अच्छा डिजायन यूनिट है।

**Shri Ranjit Singh :** The Hon. Minister has stated just now that they were trying to manufacture also-engines in collaboration with a foreign country, the name of which is known to the whole House that is U. A. R. I do not know why the Minister was hesitating to teli the name of that country. I want to know the amount spent on and the foreign money involved in the project which was started in U. A. R. to manufacture also-engines for us and which is now being considered of no use ? Secoondly, how many Indian technicians were there and how many are still there and what for they are there and what are the reasons for not recalling them so far ?

**Shri L. N. Mishra :** So far as our engines are concerned, it is not true that our engines were being manufactured in U. A. R. They were manufacturing their engines and we were making our frame and there was no contract or agreement to the effect that we would be manufacturing engines there. On the contrary it was decided that they would manufacture their engine and we would make our frame. We sent our frame there which was put to trail and it was successful. Their engine was also successful in the trial.

So far as the number of technicians and the expenditure involved is concerned, nothing can be said at this stage. Broadly speaking, not a heavy expenditure was involved. We had sent some piols and technicians for training and there is no financial commitment.

**श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या होवर विमान की प्रतिरक्षा सेवाओं के लिए उपयोगिता को दृष्टि में रखते हुए उसका कोई अध्ययन किया गया है ?

**श्री ल० ना० मिश्र :** जी, नहीं,

**Shri Rabi Ray :** May I know the steps being taken by the Government to reduce the percentage of the imported equipments and materials and whether any time limit has been fixed for that ? My second question is what is the progress made so far in regard to production in the Koraput M.I.G. Factory which is under construction ?

**Shri L. N. Mishra :** So far as the percentage is concerned, we are trying to reduce it to the minimum. But it will never be possible to achieve 100 percent self-sufficiency idigenously.

So far as Koraput is concerned, it has started production and we are going to get it inaugurated by the Chief Minister of Orissa on the 2nd next month.

**Defence Production Programme in 1968-69**

*814 **Shri Sharda Nand :**
**Shri Onkar Singh :**
**Shrt Kanwar Lal Gupta :**

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the work of defence production for the year 1968-69 has not been going on according to the schedule ;

(b) if so, the extent to which the work is lagging behind and the reasons therefor ; and

(c) the target fixed in this regard and whether it would be possible to achieve the said target this yaer ?

**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) 1968-69 के दौरान उत्पादन कार्यक्रम प्रायः प्रत्याशा के अनुसार चल रहा है, सिवाय कुछ मदों के, कि जहां प्राकृतिक कठिनाइयां रही हैं ।

(ख) और (ग): यह विस्तार देना लोकहित में नहीं होगा परन्तु हम निरन्तर सतर्क हैं ।

**Shri Sharda Nand :** May I know whether major portion of production is being exported to other countries and if so, the foreign exchange earned therefrom ?

**Shri L. N. Mishra :** We are not doing that so far. But we are finding out some market for this purpose. It is not possible to say as to how much we shall be able to export.

**Shri Sharda Nand :** We are just copying foreign countries in production of defence goods. May I know the reason for not manufacturing these items according to our own requirements ?

**Shri L. N. Mishra :** No, Sir. We are not copying. We have got our own design too. It is correct that in some cases, there is collaborater and some agreement have been entered into. We are manufacturing our own arms.

**Shri Kanwar Lal Gupta :** It is said that it is not in public interest to disclose any thing about defence but at the same we should be assured that arrangements of defence production and defence are satisfactory. We were told these things in 1962 also. If we read the books written by former Defence Secretary Shri Khera and General B. M. Kaul, a very said picture comes before us. In view of this we want to know the extent to which we are prepared to face the threats of Pakistan and China ? I want to know whether Government would appoint a committee which should go into this matter and make recommendations as to how deficiencies can be made up keeping in view the new inventions ? May I know whether it is a fact that in case of war we can fight only for a week with our ammunition.

**Shri L. N. Mishra :** It is incorrect to say that we have ammunition for only a week. No country can function with this much ammunition.

we have always been vigilant about the preparations of China and Pakistan and therefore we do not feel the necessity appointing any Committee. Moreover it is 1965 and not 1962. I do not want to elaborate it any further.

**Shri Kanwar Lal Gupta :** I want that the House should be assured about the defence preparedness. If Government is not prepared to appoint an Expert Committee then I want to know as to how the House would be assured ?

**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** विशेषज्ञ समिति की इसलिये कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह मामला देश की सुरक्षा के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि उत्पादन और सैनिक दृष्टि से इस सम्बन्ध में निरन्तर विचार विमर्श किया जाता है। विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है और इस पर सभी सेना अध्यक्ष, सचिव (प्रतिरक्षा उत्पादन) और सचिव (प्रतिरक्षा) और हम स्वयं विचार विमर्श करते हैं।

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा उत्पादन के कुछ कारखानों में, जहां आधुनिक मशीनें तैयार होती हैं, केवल 75 प्रतिशत मशीनों का उपयोग होता है और 25 प्रतिशत अप्रयुक्त पड़ी रहती है ? जब कभी प्रतिरक्षा निरीक्षणालय के कुछ अधिकारी वहां पर जाते हैं, उसी दिन 33 मशीनों को तेल आदि देकर चालू किया जाता है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये अधिकारी इन कारखानों में गये थे और उन्होंने अप्रयुक्त क्षमता के बारे में प्रतिरक्षा मन्त्रालय को कब बताया था और इस क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिये क्या कारगर उपाय किये जा रहे हैं ?

**श्री ल० ना० मिश्र :** यह बात ठीक नहीं है।

**श्री रंगा :** माननीय सदस्य स्वयं इन कारखानों में गये हैं और वह कहते हैं कि अधिकारी वहां गये हैं और उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है।

**श्री ल० न० मिश्र :** वास्तव में हमारे आयुक्त कारखानों में निश्चित समय से अधिक समय तक काम होता है, 11 घण्टे की दो पारियां काम करती हैं। एक दिन में 22 घण्टे काम होता है। हम तो चाहते हैं कि हमारे पास फालतू क्षमता हो परन्तु हमारे पास वह नहीं है।

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या वह इन मामलों की पुनः जांच करेंगे ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** यह सम्भव है कि किसी एक कारखाने में कुछ फालतू क्षमता हो। यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में जानकारी दे तो मैं उस पर विचार करूंगा।

**श्री नन्दकुमार सोमानी :** भाभा समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति सन्तोषजनक नहीं है और अब इलैक्ट्रानिक समिति ने हाल ही में दो सिफारिशें की हैं जो महत्वपूर्ण है। एक यह है कि इलैक्ट्रानिक क्षेत्र में औद्योगिक लाइसेन्स प्रक्रियाओं में सुधार किया जाना चाहिये जिससे इस क्षेत्र में शीघ्र औद्योगीकरण हो सके। दूसरी सिफारिश यह है कि सरकारी

क्षेत्र के लिये कुछ मदें निश्चित होनी चाहिये जिनकी प्रतिरक्षा विभाग को बहुत आवश्यकता रहती है। इलैक्ट्रानिक समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

**श्री ल० ना० मिश्र :** भाभा समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है, यह कहना अनुचित है। हम इन सिफारिशों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित कर रहे है। वर्ष 1963-64 में 26 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ था, इस वर्ष 88 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ है। भाभा समिति ने दस वर्ष के समय में 300 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के उत्पादन की योजना बनाई है। हमें आशा है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

**श्रीमती सुशीला रोहतगी :** क्या प्रतिरक्षा उत्पादन के हमारे सभी कारखाने अपनी अधिकतम क्षमता पर कार्य कर रहे हैं और उनमें कोई अप्रयुक्त क्षमता नहीं है ?

**श्री ल० ना० मिश्र :** यही प्रश्न श्री पाणिग्रही ने पूछा था और मन्त्री महोदय ने उसका उत्तर दिया है।

**Shri Prakash Vir Shastri :** May I know whether it is a fact that there have been some differences between scientists and some officers of Defence Ministry and as a result thereof suggestions of those scientists are not being implemented ? I would also like to know whether efforts have been made to resolve these differences and if so the results thereof ? Whether it is also a fact that activities of some persons working in ordnance Factories or suspicious and if so action being taken to curb them ?

**Shri L. N. Mishra :** As far as I know there are no differences between Scientist and Officers of Ministry of Defence. There is a committee under the chairmanship of Defence Minister in which we discuss defence matters in which all the three Service Chiefs, representative of Research and Scientific Department also take part. I am not aware of any differences.

We are quite vigilant towards the elements to which our hon'ble Member has drawn our attention.

**Shri Chandra Jeet Yadav :** No doubt, Government have taken effective steps to make the country strong after Chinese and Pakistan aggression but our preparedness is not in conformity with the progress made in the field of defence science and technology. We have not been in a position to manufacture a jeep which could run on the height of 15, 16 thousand feet and we have to import the same from Japan. In view of this whether our Government is prepared to make our Research Organisation more capable or collaborate with any one of the advanced countries so that we may be in touch with the progress being made in the field of science and technocology and get ourselves prepared accordingly ?

**Shri L. N. Mishra :** The scientists of one country have been visiting other countries in order to know the progress being made in defence science.

**श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :** प्रतिरक्षा उत्पादन वैज्ञानिक और विश्वविद्यालयों में नियुक्त वैज्ञानिक कुछ क्षेत्रों में एक-सा कार्य कर रहे हैं। क्या उनके कार्यकलापों में समन्वय लाने की कोई व्यवस्था है जिससे एक ही कार्य दो स्थानों पर न हो ?

**श्री ल० ना० मिश्र :** एक समिति है जिसमें महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा विज्ञान प्रयोगशालाओं के प्रतिनिधि और वैज्ञानिक सलाहकार तथा अन्य वैज्ञानिक भी सम्मिलित हैं ।

**श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों में तथा देश के बाहर उपलब्ध तकनीकी ज्ञान का सार्वजनिक हित में उपयोग किया जा सके ?

**श्री ल० ना० मिश्र :** जैसा कि मैंने पहले बताया है कि प्रतिरक्षा मन्त्री की अध्यक्षता में एक समिति बनी हुई है जिसमें देश की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और अनुसन्धान और विकास संगठन के निदेशक भी भाग लेते हैं और सब मिल कर विचार विनिमय करते हैं ।

**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार को पता है कि नाथूला दर्रे पर बहुत बड़ी संख्या में चीन की सेनाएं तैनात हैं और वे हमारे सैनिकों को सम्बोधन कर के प्रचार कर रहे हैं ? इसलिए क्या सरकार हमें यह बतायेगी कि क्या चीन की इस चुनौती का मुकाबला हथियारों और गोलाबारूद से किया जायेगा ?

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में मिग विमान बनाए जाते हैं परन्तु ये जल्दी ही प्रचलित हो जायेंगे । क्या प्रतिरक्षा मन्त्रालय यह आश्वासन देने की स्थिति में है कि हम चीन की इस नई चुनौती का सामना कर सकेंगे ?

**श्री स्वर्णसिंह :** इस मामले पर अभी हाल में एक दिन विस्तार से चर्चा हुई थी । मैंने बताया था कि हमें उत्तर और पश्चिम में स्थित अपने पड़ोसियों से बराबर खतरा बना हुआ है और हम उसका सामना करने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं ।

यह सही है कि मिग का स्थान लेने वाले कुछ विमान भी हैं, परन्तु मिग विमान काफी समय तक हमारी आवश्यकता पूरी करते रहेंगे । हम उस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं और आशा है कि हम मिग से अधिक क्षमता वाले विमान प्राप्त करने में सफल होंगे ।

फालतू पुर्जों के बारे में कोई कठिनाई नहीं है । हम उन्हें प्राप्त कर रहे हैं ताकि विमान हमेशा चालू रहे और लडाई में प्रयोग में लाए जा सकें ।

**Cantonment Boards Areas**

***815 : Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a Fact that Government have sent a circular to the Cantonment Boards on the 23rd March, 1968 consequent to which many difficulties have been caused in the way of construction and repair of the old houses ;

(b) if so, whether Government propose to remove civilian population from the Cantonment Boards areas ; and

(c) whether it is also a fact that Government now propose to allow construction of only one-storeyed houses in the Cantonment Boards areas and restrictions have been imposed on the construction of double-storeyed houses ?

**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण)** : (क) से (ग) : एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

**विवरण**

(क) यह सच कि पुरानी ग्रांटों के स्थानों पर भवननिर्माण, के नियमन के सम्बन्ध में पहले विभिन्न पत्रों को समेकित करते हुए 23 मार्च, 1968 को एक पत्र जारी किया गया था । इस पत्र की कार्यान्विति ढंग के विकास में सहायता देगी और समेकित छावनी निधियों में उचित आय में सहायता सुनिश्चित करेगी । वह मरम्मत में बाधा नहीं डालती परन्तु सरकारी भूमि का लाइसेन्स लेने वालों को बाध्य करती है कि वह अतिरिक्त निर्माण करने, या विभाग करने या उद्देश्य में परिवर्तन से पहले भूमि पट्टे पर लें ।

(ख) छावनी क्षेत्रों से असैनिक निवासियों को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । तदपि, ऐसी सरकारी भूमि जिसे पुनःग्रहन करने का उपबन्ध है, आवश्यकता पड़ने पर रक्षा या अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के पुनःग्रहण की जा सकती है ।

(ग) छावनी में एक से अधिक मन्जिल का निर्माण छावनी नियमों द्वारा नियमित किया जाता है । दो मन्जिल मकानों के निर्माण पर सरकार द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया । तदपि, पुरानी ग्रांट की शर्तों पर सरकारी भूमि का लाइसेन्स लेने वाले को अतिरिक्त निर्माण इत्यादि से पहले पट्टे पर भूमि लेना पड़ती है ।

**Shri Maharaj Singh Bharati** : I do not know why Government do not feel the neccssity of amending this obsolete law. The hon. Minister has stated in his reply that if no changes have been made in the houses constructed on leased lands then no increase is made in the lease because they are bound by law. Therefore Government have introduced this rule that if any lease-holder wants to erect a wall for bifurcating the house or constructs a double-storey it will be treated as a new lease and more money will have to be paid. I want to ask a specific question. There is acute shortage of accommodation at present. Despite this, have Government made it their policy that no new constructions should be allowed on the lands leased out ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : जी नहीं । हमारी नीति यह नहीं है । हम चाहते हैं कि मकान बनाए जायें और उनमें सुधार भी हो परन्तु उस पर कुछ नियन्त्रण तो होना चाहिये । हम किसी को मनमाने ढंग से मकान बनाने की अनुमति नहीं दे सकते ।

**Shri Maharaj Singh Bharati** : The hon. Minister has replied that the this communication has been issued to increase the revenues of the Cantonment Boards. I want a categorical assurance from the hon. Minister. They may apply new rules and regulations to the new constructions but it should not be treated as a new lease and the lease money should not be increased ?

**श्री स्वर्ण सिंह** : माननीय सदस्य उत्तर के एक भाग को ही उद्धृत कर रहे हैं । उन्हें अन्य भाग को भी सामने रखना चाहिये जिसमें कहा गया है :

'इस पत्र की कार्यान्विति ढंग के विकास में सहायता देगी और समेकित/छावनी निधियों में उचित आय में सहायता सुनिश्चित करेगी ,"

यह एक उचित उद्देश्य है और मैं नहीं समझता कि इस पर आपत्ति करने की गुंजायश है।

**Shri Maharaj Singh Bharati :** I know about the Meerut Cantonment Board, So many cases are pending there. Applications for new constructions have been rejected and the applicants have been asked to pay Rs. 500 in case they are paying Rs. 50 at present. Then alone they can get permission. I want to know whether such application are pending with them ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** अधिकतर पट्टों के बारे में यह एक साधारण शर्त है कि मूल निर्माण में फेर बदल करने पर या अधिक क्षेत्र में नया निर्माण करने पर पट्टा देने वाले को कुछ अधिक राशि लेने का हक होगा। यह पैसा सरकार को नहीं मिलना है अपितु यह छावनी निधि में जमा होगा जिसे सड़कों में सुधार, रोशनी नालियों की व्यवस्था और इसी प्रकार के कार्य में खर्च किया जाना है।

**Shri Onkar Lal Berwa :** Are the Cantonment are as governed by the municipal Acts of the States concerned or the Government have their own laws or rules in regard to housing and sanitation there ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** इसके लिये एक अलग कानून-छावनी बोर्ड अधिनियम-है।

**श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** नागरिकों को छावनी क्षेत्रों में जाने तथा वहां पर बसने के लिये प्रोत्साहित किया गया था ताकि वे सैनिक कर्मचारियों की सेवा कर सकें। परन्तु इस पत्र के अनुसरण में छावनी अधिकारियों ने सैनिक क्षेत्रों को असैनिक क्षेत्रों से अलग कर दिया है और वे सैनिक कर्मचारियों को असैनिक क्षेत्रों में आने की अनुमति नहीं देते। वे मकानों तथा टूटी फूटी दीवारों की मरम्मत भी नहीं करने देते। यदि वे चाहते हैं कि असैनिक जनसंख्या वहां रहे तो उन्हें अपने मकानों की मरम्मत तथा उन्हें नया रूप देने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती है ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** मैं यह चाहता हूँ कि असैनिक जनसंख्या जो छावनी की बहुत महत्वपूर्ण सेवा करती है वहां पर रहे परन्तु मकानों के निर्माण, उनके विस्तार तथा सुधार के बारे में उन्हें बोर्ड के नियन्त्रण में रहना पड़ेगा। ये प्रतिबन्ध लगाने का केवल मात्र उद्देश्य यही है। यह नगर निगमों, नगर बोर्डों और नगरपालिकाओं से बहुत भिन्न नहीं है।

**Shri Madhu Limaye :** The Cantonment Act is very old. I had invited Govt.'s attention to one of the rules under which in the cantonment areas clothes of Europeans and black people were not to be washed and dried together. Later on it was abrogated. The hon. Minister has assured us that Government will soon come forward with an amending Bill. A Bill in my name is also pending in the House. May I know when an amending Bill is going to be introduced ?

**Shri Swaran Singh :** It is true that a proposal to amend the Cantonment Board Act under consideration since long. We are anxious to introduce it at the earliest But I cannot give any definite idea about the time now.

**Shri Madhu Limaye :** Some time should be indicated. It has been pending since long. My Bill is also pending. The Prime Minister and the Defence Minister are present. Some idea about the time should be given. Will it be introduced in the next session ?

**Resettlement of Ex-Servicemen in Rajasthan Canal area**

+

*816. **Shri Balraj Madhok :** **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
**Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Jagannath Rao Joshi :**

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Rajasthan Government had made a declaration to settle ex-soldiers in the five-mile long belt of the canal area; and

(b) if so, the acreage of land allotted to ex-soldiers so far in this context as also the future plan in regard thereto ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री म० रं० कृष्ण) :** (क) और (ख): जैसा कि 14-8-1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4043 के उत्तर में कहा गया है, राजस्थान सरकार ने भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ-साथ 5 मील की पट्टी में 50,000 एकड़ भूमि के संरक्षण की सूचना दी थी, परन्तु उनके ताजा पत्र के अनुसार लगता है, पोंग बांध के निमज्जित क्षेत्र के निर्वासितों समेत अलाटियों की विशेष श्रेणियों को भूमि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के कारण, राजस्थान सरकार अपने पहले उद्देश्य को कार्यरूप में लाने को असमर्थ है ।

**Shri Bal Raj Madhok :** Sir, on the 14th August 1968 two question-one in my name and the other in the name of Shri Barupal-were asked. The reply was that the information was being collected from the State Governments and would be laid on the Table of the House when received It is December now. But no information has been furnished to the House so far. Just now the hon. Minister has stated that the Rajasthan Govt. had reserved 50,000 acres of land for this purpose, but the State Government are apparently unable to get it vacated. Is it not a fact that the Govt. and the Defence Ministry are committed to implement this plan and the Ministry had invited applications from ex-servicemen in this connection ? From the defence point of view this area is very vital. But the State Government are reluctant because the people already living there will have to be settled elsewhere and they need their votes. The State legislators are therefore putting obstacles in the way of its implementation. Party politics is coming in the way of the implementation of the national plan. If it is a fact may I know whether Government themselves will take up the task of setting ex-servicemen in that area ?

**श्री म० रं० कृष्ण :** 21 मई, 1966 को राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को संकेत दिया था कि वह अवकाश प्राप्त सैनिकों को बसाने के लिये लगभग 50,000 एकड़ भूमि रखेगी 24 अगस्त, 1966 को राज्य सरकार ने पुनः यह भूमि देने की इच्छा व्यक्त की । हाल ही में उन्हें यह भूमि देने में कठिनाई पाई क्योंकि वहां से जो व्यक्ति हटाए जाएंगे पहले उन्हें कहीं बसाना होगा । फिर भी राजस्थान सरकार भूतपूर्व सैनिकों को बसाने में कतरा नहीं रही है । उन्होंने उप-समितियां बनाई हैं । जून, 1968 तक राजस्थान सरकार के पास 2000 आवेदनपत्र लम्बित पड़े थे और उन्होंने कहा है कि उन सब आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा और भूतपूर्व सैनिकों को भूमि दी जायेगी ।

**Shri Bal Raj Madhok :** I have asked whether the State Government is deliberately not shifting those people from there because the Members of the State Assembly are resisting it for the sake of getting their votes.

**श्री मं० रं० कृष्ण :** 2000 आवेदनपत्र राज्य सरकार के पास आए पड़े हैं। उन्होंने उप-समितियां बनाई हैं और इन सभी 2000 लोगों को भूमि दी जा रही है।

**Shri Bal Raj Madhok :** After the experience of 1965 conflict. Pakistan has been making preparations on the Punjab border. According to the reports reaching us Pakistan has been making more offensive preparations on the Rajasthan and Gujarat border. There, our side of the border is sparsely populated and is less developed. The Rajasthan Canal has not been constructed and arrangements for water supply have not been made. A large number of persons have shifted from that area because of drought conditions. For the defence of that area it is very essential that people should be rehabilitated there and defence preparations should be made. Will Government think over the possibility of setting up Nehal Type of military settlements on the entire border so that if Pakistan again indulges in misadventure there, we can give him a befitting reply ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** माननीय सदस्य को यह ध्यान में रखना चाहिये कि भूमि तथा भूमि पर पुनर्वास राज्य के विषय हैं। हम उन्हें कोई विशेष नीति अपनाने के लिये राजी कर सकते हैं परन्तु अन्तिम निर्णय राज्य सरकार ही कर सकती है।

जहां तक पाकिस्तान और राजस्थान तथा पाकिस्तान और गुजरात के बीच अपनी सीमाओं की रक्षा करने का प्रश्न है, यह हमारे ध्यान में है। हम अपनी उस सीमा की अखण्डता तथा प्रभुसत्ता बनाए रखने के लिये उपाय कर रहे हैं और करते रहेंगे।

**Shri Jagannath Rao Joshi :** The hon. Minister has stated that the question of resettlement on land is a state subject. He cannot evade this question like this. Defence and, security is a Central subject. Keeping this in view, have Government issued instructions to States to give priority to the task of providing employment to ex-servicemen as well as their resettlement ?

**Shri Swaran Singh :** In Madhya Pradesh, the hon. Member's party is in power, so he should try to bring that Government round to his own views in this matter, because there is such a land there.

**श्री बलराज मधोक :** यह दलीय राजनीति का प्रश्न नहीं है। मंत्री महोदय ने इस तरह का उत्तर देकर किसी दल के प्रति कोई भलाई नहीं की है। यह प्रश्न सीमान्त क्षेत्रों से सम्बन्ध रखता है और हम जानना चाहते हैं कि वहां पर लोगों को बसाने के उद्देश्य से ही नहीं अपितु सीमा की सुरक्षा के उद्देश्य से भी उन क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

**श्री स्वर्ण सिंह :** दो अलग प्रश्न हैं। एक सामान्य प्रश्न है जो श्री जोशी द्वारा उठाया गया है अर्थात् भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने तथा बसाने आदि के लिये प्रत्येक सम्भव कार्यवाही करना। मैं कोई दलगत विषय उठाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। परन्तु संविधान के अनुसार भूमि राज्य का विषय है। भूमि पर बसाने तथा सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई नई भूमि

के बारे में पुनर्वास नीति राज्य सरकारों का विषय है । जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, हम बड़े इच्छुक हैं कि राज्य सरकारें, चाहे वे किसी भी दल से सम्बन्ध रखती हों, भूमि उपलब्ध करने में हमारी सहायता करें ताकि भूतपूर्व सैनिकों को बसाया जा सके । मैंने माननीय सदस्य की आलोचना नहीं की थी अपितु मेरा उद्देश्य यह था कि वे राज्य में अपने मित्रों तथा मतदाताओं को इस बात के लिये राजी करें कि केन्द्र का इरादा नेक है ।

जहां तक सीमा की सुरक्षा का प्रश्न है, माननीय सदस्य को वहां पर रह रहे लोगों की भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिये । बड़े पैमाने पर लोगों के हटाये जाने की कोई योजना किसी प्रकार से भी व्यवहार्य नहीं है । जहां पर जमीन खाली पड़ी है हमें उन लोगों को, जो सीमा क्षेत्र का कठिन जीवन व्यतीत कर सकते हैं, वहां पर बसाना चाहिये । इसके लिये ही हम राज्य सरकारों को राजी कर रहे हैं ।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि नई बसी भूमि में पुनर्वास का प्रश्न एक महत्वपूर्ण विषय है । परन्तु अंग्रेजों ने 70–80 वर्ष पहले जो किया उसे दोहराना बेमानी है क्योंकि उस समय इतनी अधिक जनसंख्या नहीं थी । इसलिये कोई ठोस सुझाव देने से पहले इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

## अल्प सूचना प्रश्न

### SHORT NOTICE QUESTION

### उत्तर प्रदेश में अध्यापकों द्वारा भेजे गये तारों का रोका जाना

**अ.सू.प्र.सं.14. श्री स० कुण्डू :** **श्री रवि राय :**
**श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** **श्री नन्दकुमार सोमानी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल अध्यापकों द्वारा लखनऊ तारघर से भेजे गये तारों को उत्तर प्रदेश में डाक व तार अधिकारियों द्वारा रोक लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने तार रोके गये; और

(ग) इन तारों को रोकने के क्या कारण थे ?

**संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी हां, सैकण्डरी टीचर्स एसोसियेशन की संघर्ष समिति द्वारा बुक कराये गये एकसे पचास तारों का गन्तव्य स्थान को प्रेषण नहीं किया गया ।

(ख) यह तथ्य नहीं है कि तारघर ने तारों को बुक करने से इन्कार कर दिया, पर बुक करने के बाद यह पता लगा कि तार आपत्तिजनक हैं और इसलिए उनको रोक लिया गया ।

**Shri George Fernandes :** What type of dictatorship is this. Are you not ashamed of this

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । क्या आप कृपया बैठ जाएंगे ?

**कुछ माननीय सदस्य :** ऐसी क्या आपत्तिजनक बात है ? **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । आप जानना चाहते हैं कि क्या आपत्तिजनक है । यह छोटी सी बात है । श्री कुण्डू का नाम सबसे ऊपर है । वे यह पूछ सकते हैं, मंत्री महोदय का कहना है कि यह आपत्तिजनक है और आप उनसे सहमत नहीं होते हैं । **(व्यवधान)**

**Shri George Fernandes :** There should be some limit. Is this their private property ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । मुझे सब कुछ निकालना पड़ेगा । शान्ति, शान्ति । यह एक छोटी सी बात है । उनका कहना है कि यह आपत्तिजनक बात है और आप उनसे सहमत नहीं हैं । यहां चार नाम दिए हुए हैं । श्री कुण्डू उठ कर यह पूछ सकते हैं कि आपत्तिजनक क्या है । यह एक मामूली सी बात है । परन्तु आप सब जोर से बोलने लगते हैं । श्री कुण्डू को शीघ्र ही मौका मिलेगा और वे इसके बारे में पूछ सकते हैं ।

**डा० राम सुभग सिंह :** (ग) इन सभी तारों का मजमून आपत्तिजनक होने के कारण उनका सक्षम प्राधिकारी की सलाह से भारतीय तार अधिनियम की धारा 5(1) (ख) के अन्तर्गत रोक लिया गया ।

**श्री कुण्डू :** यह शर्म और दुःख की बात है, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं और उत्तर-प्रदेश के हजारों अध्यापकों को अपना संदेश अधिकारियों को नहीं भेजने दिया गया क्योंकि मंत्री महोदय का कहना है कि ये तार आपत्तिजनक थे । यह ऐसा कार्य है जिसे तानाशाह भी करने में हिचकिचाएगा, मंत्री महोदय की तो क्या बात है । हजारों अध्यापक जेल में बन्द है । हर रोज वे हमसे सरकार से बात करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं । परन्तु उन्हें शिक्षा मंत्री से नहीं मिलने दिया जाता है । मेरा पहला प्रश्न यह है कि तार में आपत्तिजनक क्या बात है और वे इसे सभा पटल पर रखें ।

**श्री जार्ज फरनेन्डीज :** तार में जो लिखा है उसे पढ़िये । **(व्यवधान)**

**डा० राम सुभग सिंह :** माननीय सदस्य श्री कुण्डू ने बहुत से विशेषणों का प्रयोग किया है । मैं इन सबका स्वागत करता हूं । मुझे उनकी बुद्धि पर दया आती है कि वे नियम को बदलने की परवाह नहीं करते । अगर उनके विचार तानाशाह जैसे नहीं होते तो वे इस नियम को लोकतंत्रीय तरीके से बदल सकते थे । वे हमें यह सबक सिखा रहे हैं कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं । परन्तु न तो श्री जार्ज फरनेन्डीज और न श्री कुण्डू ने नियम को बदलवाने की चिन्ता की है । **(व्यवधान)** आप यहां नाटक रचा रहे हैं । आपका व्यवहार शर्मनाक है क्योंकि आप इस सबको नाटक का रूप दे रहे हो । **(व्यवधान)**

**Shri George Fernandes :** The Britisher's blood is running in their veins.

**Shri Sita Ram Keshri :** Withdraw it.

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है । तार में क्या था ? तार का विषय क्या है ? क्या वे इसको सभा पटल पर रखेंगे ?

**श्री राम सुभग सिंह :** मैं तार के विषय को सभा पटल पर रखूंगा ।

**श्री उमानाथ :** तार में क्या था ? यह क्यों आपत्तिजनक था ? उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है । **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** तार में क्या था ? वे इसको सुनना चाहते हैं ।

**डा० राम सुभग सिंह :** उसमें हड़ताल की सफलता पर बधाइयां दी हुई थी और हड़ताल को शान्तिपूर्वक जारी रखने को कहा गया था.....**(व्यवधान)**

**श्री उमानाथ :** इसमें आपत्तिजनक क्या था ?

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने श्री उमानाथ को बोलने के लिए नहीं कहा है । श्री कुण्डू अपना दूसरा प्रश्न पूछें ।

**श्री कुण्डू :** अंग्रेजों ने 1885 में भारतीय तार अधिनियम को बनाया था । डा० राम सुभग सिंह ने कहा है कि ये तार रोक दिए गए थे । भारतीय तार अधिनियम की धारा 5, जिसका कि अंग्रेजों ने कानूनी रूप दिया, में कहा गया है कि सार्वजनिक आपात्कालीन स्थिति के होने में सरकारी अधिकारी इसको रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं और ऐसा करने में उन्हें किसी विशेष अधिकारी से आदेश प्राप्त करना चाहिए और केन्द्र अथवा राज्य सरकार से, जैसा कि मामला है, इस बारे में सार्टिफिकेट लेना चाहिए । क्या उस समय उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक आपात्कालीन स्थिति थी । तार के साथ ऐसी क्या बात थी ? इसमें हड़ताल के सफल होने के बारे में बधाई दी हुई थी । क्या उस समय कोई सार्वजनिक आपात्-कालीन स्थिति थी । अंग्रेजों ने कभी भी मनमाने ढंग से इसका प्रयोग नहीं किया । परन्तु यह सरकार 21 वर्ष के पश्चात इसका प्रयोग स्वेच्छा से कर रही है । मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने भारतीय तार अधिनियम की धारा 5 का दुरुपयोग किया है ।

**डा० राम सुभग सिंह :** यह राज्य सरकार की जानकारी में किया गया था । यह उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय की जानकारी में किया गया है ।

**Shri Bibhuti Mishra :** Mr. Speaker, The term that the Britisher's blood is running in their veins may be expunged from the proceeding.

**Shri Prem Chand Verma :** Sir, we can also say that the Russian blood is there in them.

**Shri Randhir Singh :** This is not proper. We are Indians.

**Shri Sheo Narain :** Shri Fernandes is abusing.

**अध्यक्ष महोदय :** जो कुछ कहा गया है मैं उस पर विचार करूंगा। अगर कोई आपत्तिजनक बात होगी तो उसको निकाल दूंगा, मैं रिकार्ड को पढ़ूंगा। अगर कोई आपत्तिजनक बात होगी तो मैं उसको निकाल दूंगा। और यह प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

**Shri Molahu Prashad :** The rules and regulations of the Britishers may also be removed.

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को इस तरह खड़ा नहीं होना चाहिए। मैं उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। आपको 21 तारीख के बाद बाहर चिल्लाने के लिए काफी समय मिल सकता है।

**श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** कोई अति-उत्साहित अधिकारी वहां अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहता था और उसने जल्दी में काम किया। मैं कहना चाहूँगा कि यह संहिता कुछ पुरानी हो गई है। क्या मंत्री महोदय और सरकार इस मामले की ओर ध्यान देंगे और इस संहिता में आवश्यक संशोधन करके सभा के सामने रखेंगे ताकि संहिता में किसी कमी को दूर किया जा सके ? साथ में मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि क्या वे ऐसा कोई मापदण्ड निर्धारित करेंगे जिसके आधार पर जनता द्वारा दिए गए तार को अधिकारी लेने से इन्कार कर सकता है, क्योंकि संदेश को प्रेषित करना नागरिक का आधारभूत अधिकार है।

**डा० राम सुभग सिंह :** हम इस सुझाव को ध्यान में रखेंगे।

**Shri Raj Ray :** It is quite natural that such excitement is there on this question The officers have taken action inspite of the fact that there is a Indian Telegraph Act and also they do not admit that the people of India was given the right of forming Unions after the Constitution came into effect in 1950. So keeping in view this I want to know whether the Indian Telegraph Act will be revised and for this a legislation will be brought in the coming Budget Session ? May I know whether the action will be taken against the official who issued such order that the telegrams should be with held and who m sused his powers ?

**Dr. Ram Subhag Singh :** I have already replied half of the question raised by the Hon. Member in reply to the question of Shri Kothari. The officer is not at fault but I will looks into it. I can not give assurance to this House at present regarding the revision of the Indian Telegraph Act.

**Shri Sheo Narain :** Do not give him any assurance.

**श्री नन्द कुमार सोमानी :** ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय ने अपने अफसरों में से एक अफसर के अविवेकपूर्ण कार्य को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है। मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि सरकार के इस सम्पूर्ण प्रश्न के संहिताकरण करने के आधार पर जिसमें सन्देश, चाहे वह अश्लील या अत्यधिक आपत्तिजनक अथवा राजद्रोह पूर्ण अथवा राष्ट्र विरोधी हो, पर पाबन्दी लगाने के अतिरिक्त और इन क्षेत्रों का सीमांकन करने के अतिरिक्त उन्हें सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए ताकि लोगों के सन्देश को प्रसारित करने के अधिकार को कायम रखा जाये।

**डा० राम सुभग सिंह :** वास्तव में मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया था जब श्री रवि राय ने ऐसा ही प्रश्न पहले पूछा था। मेरा ऐसा विचार नहीं है कि उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। जहां तक अधिनियम के समीक्षा और संहिताकरण का प्रश्न है, मैं इस बारे में कोई वचन नहीं देता परन्तु संसद उन सब संविधियों की समीक्षा करना चाहती है।

**श्रीमती सुशीला रोहतगी :** मैं नहीं जानती कि तार का विषय कैसे और क्यों आपत्तिजनक है। सम्बन्धित अधिकारी इसके कारणों को अच्छी तरह जानते होंगे। हम महसूस करते हैं कि यह इससे भी कुछ अधिक होगा। क्या मैं जान सकती हूं कि जब यह तार रोका गया था तो क्या इसके कारण अध्यापकों को बताये गये थे ताकि वे इसे दुबारा लिख कर दूसरा तार भेज सकते।

**डा० राम सुभग सिंह :** हमने न केवल कारण बताए थे अपितु हमने संयुक्त संघर्ष समिति से वह पैसा भी वापिस लेने को कहा था जो उन्होंने तार बुक करते समय जमा कराया था।

**Shri S. M. Banerjee :** Mr. Speaker, the telegram contained the news of the strike which had taken place. It was written that the strike was a success and asked them to go on peacefully as well as the other people were congratulated on the success of the strike. You have been editorials regarding that published in the newspapers. All the political parties congratulated the teachers for their peaceful strike which they carried on. Even our education Minister has said that the teachers carried on their agitation peacefully and no subversion had taken place. The telegram, which was just read out in the House, contains the congratulations given to other people for their peaceful strike. I think Dr. Ram Subhag Singh is a product of National Movement He is a national leader so I want to ask from him what was the justification for the withholding such telegram which was fully informative and there was no harm to the country by this ? Secondly, at such a time when thousands of teachers were arrested and the Governor, the Prime Minister and the education minister were trying that the strike might be ended and the problem solved then who issued the order for with holding this telegram. The name of that authority may be stated.

**Dr. Ram Subhag Singh :** I have earlier replied to the question that it w s done at the instance of the Secretary of the Home Department of Uttar Pradesh.

**श्री स० मो० बनर्जी :** मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दिया जा सकता है। क्या मैं जान सकता हूं कि एक राष्ट्रीय नेता होने के नाते वे यह मानते हैं कि ऐसा करना गलत था।

**अध्यक्ष महोदय :** यह किसी उत्तर का प्रश्न नहीं है।

**श्री स. मो. बनर्जी :** He became angry when a member said that Britishers blood was running in their veins. But there is nothing in it. They are sitting here as a successor of English people.

**Shri Sheo Narain :** Every citizens has got fundamental rights as enumerated in the Indian Constitution. So I want to know whether he will withdraw this fundamental rights ? If the teachers had sent the telegram then what was the justification in withholding it and if it was allowed to be sent then whether the heaven would fall down ? Has

not that official interfered with the fundamental right of that citizen and whether the hon. Minister will call for an explanation from that responsible officer ?

**Dr. Ram Subhag Singh :** The Hon member has raised a very important question. I know he has got something for the teachers in his heart and he has made efforts to get the just demands conceded from the Prime Minister and the Education Minister. I will try to implement what is in his heart. I know he does not shed crocodile tears like Shri Fernandes.

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** अभी जो तार का विषय पढ़ कर सुनाया गया उससे पता चलता है कि इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी। क्या मैं जान सकता हूं कि जब मन्त्री महोदय को यह प्रश्न मिला और उनको सम्बन्धित अधिकारियों से पूछ-ताछ करने के बाद जो सूचना मिली तो क्या यह उनके विचार में नहीं आया कि इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी और क्या उन्होंने यह जानने का प्रयत्न किया कि यह रोका क्यों गया ? क्या यह इसलिए था कि डाक अधिकारियों को यह अनुदेश दिए गए थे कि जब तक हड़ताल जारी है, वे किसी भी एजेंसी द्वारा केन्द्रीय अधिकारियों अथवा दिल्ली को कोई तार अथवा सन्देश भेजने नहीं दें।

**डा० राम सुभग सिंह :** यह सब लखनऊ में हुआ, और ठीक-ठीक ब्यौरा देने की वजह से मैंने यह अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार किया।

**श्री क० नारायण राव :** मुझे इसमें कुछ भी आपत्तिजनक बात नहीं लगती परन्तु सब ल धारा के उपबन्धों को भली-भांति लागू करने से है। जहां तक विशेषकर इस तार का सम्बन्ध है, हमने इसे पढ़ लिया है और हमें इस तार में कोई गलत बात नहीं लगी और न इसमें कोई आपत्तिजनक बात थी। इस सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहूँगा कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश एक ऐसा सामान्य आदेश है जिसमें हड़तालों से सम्बन्धित तारों को भेजना निषिद्ध है अथवा यह किसी व्यक्ति के तार के वांछनीयता देखने के अपने निर्णय पर है इन सब बातों को देखते हुए क्या सरकार मामले पर आगे विचार करेगी और यह देखेगी कि अगर सामान्य आदेश भी जारी किया जाता है तो इसको स्वीकार करने से पूर्व इस आदेश के गुण-दोषों पर भी विचार किया जायेगा।

**डा० राम सुभग सिंह :** ऐसा कोई सामान्य आदेश नहीं है। जब कभी किसी अधिकारी को सन्देह होता है तो वह समुचित राज्य के अधिकारी से सलाह-मशविरा करता है और यह इसी के अनुसरण में किया गया, फिर भी जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाया है, मैं इस मामले पर विचार करुंगा।

**श्री एस० कंडप्पन :** हम अभी तक यह समझते आये थे कि तार विभाग का कर्त्तव्य सन्देशों को भेजना है, परन्तु दुर्भाग्यवश, हमें आज ये मालूम हुआ है कि यह विभाग पत्रों तथा तारों की जांच भी करता है कि उनको भेजा जाये अथवा रोक दिया जाये। यह बड़ा गम्भीर मामला है।

इसके दूरगामी परिणाम होंगे। लखनऊ में हुई घटनाओं को देखते हुए क्या सरकार स्पष्ट आश्वासन देने के लिए तैयार है कि तार में लिखी बातें आपत्तिजनक होने पर भी डाक

और तार विभाग को तार की न तो जांच पड़ताल ही करनी चाहिए और न उसे रोकना ही चाहिए। हो सकता है कि डाक और तार विभाग को यह अधिकार हो कि वह तार में लिखी बातों के बारे में गृह-कार्य मन्त्रालय को सूचित करे किन्तु उसको तार की छानबीन करने का कार्य स्वयं अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए ? मैं इस सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहता हूं।

**डा० राम सुभग सिंह :** मैं इसे स्वाकार करता हूँ। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमें राज्य के अधिकारियों के कहने के अनुसार कार्य करना पड़ता है।

**श्री एस० कंड़प्पन :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। इस विभाग विशेष के सम्बन्ध में सरकार को राज्य के अधिकारियों पर निर्भर नहीं करना चाहिए।

**डा० राम सुभग सिंह :** बुकिंग क्लर्क अथवा केन्द्रीय तार कार्यालय के अधिकारी द्वारा इसकी छानबीन नहीं की गई थी किन्तु उसने सम्बन्धित अधिकारी से सलाह लेने के बाद ही तार को रोका था और सम्बन्धित व्यक्ति को सूचित कर दिया गया था।

**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख :** मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल में दिये गये एक निर्णय की ओर दिलाता हूं। बिहार के गन्ना आयुक्त को बिहार विनियमों के अन्तर्गत कोई प्रतिबन्ध विशेष को लगाने अथवा उठाने के मामले में अपने विवेक का प्रयोग करना था। मुख्य मन्त्री ने आदेश दिया था कि यह विवेक एक विशेष तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिये और तद्नुसार गन्ना आयुक्त ने अधिसूचना जारी कर दी थी। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि मुख्यमंत्री के कहने पर इस प्रकार निर्णय लेना कानूनी रूप से गलत है। अतः इस मामले में भी डाक तथा तार विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के कहने पर इस प्रकार का कार्य करना भी गलत था। क्या सरकार का विचार इस निर्णय के आधार पर इसके लिये उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध अपने विवेक का इस प्रकार प्रयोग करने को अनुशासनहीनता के बराबर मानने के कारण कोई कार्यवाही करने का है ?

**डा० राम सुभग सिंह :** अनुशासनहीनता नहीं। मैं इस मामले की जांच करूंगा।

**Shri Kanwar Lal Gupta :** What was the public emergency involved in the telegram according to the section in respect of Public Emergency read out by the hon. Minister ? It was misinterpreted by the officer concerned. Will the Government will issue detailed instructions to post-officer so that such telegrams should not be with held in future ?

**Dr. Ram Subhag Singh :** I have already replied to this question.

**श्री तेन्नेटि विश्वनाथम :** मन्त्री महोदय गृह विभाग द्वारा उनके विभाग को दी गई सलाह पर निर्भर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग का यह कार्य नहीं था कि वह डाक विभाग को, जो कि पूर्णतः केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत है, सलाह देते नहीं है। किन्तु अधि– नियम में संशोधन करने से पहले क्या डाक विभाग के अधिकारियों को हिदायतें दी जायेंगी कि किसी सन्देश को भेजने से तब तक न रोका जाये जब तक कि उसमें आपत्तिजनक अथवा

अश्लील भाषा का प्रयोग न किया गया हो अथवा वह हिंसा भड़काने वाला न हो ? हम मन्त्री महोदय से इस सम्बन्ध में आश्वासन चाहते हैं ।

**डा० राम सुभग सिंह :** मैं बहुत सोच समझ कर अपनी शक्ति का उपयोग करता हूं मैं समझता हूं कि मैं कभी अपनी शक्ति का गलत उपयोग नहीं करूंगा ।

**Shri Bibhuti Mishra :** May I know whether Government propose to take against the persons who use absurd language in telegram because people deleberately use such language ?

**Dr. Ram Subhag Singh :** I will look deep into the matter after having detailed information from the hon. Member.

**Shri Prakash Vir Shastri :** Mr. Speaker, Sir being a representative of Uttar Pradesh in this House I am fully aware about the teachers' agitation. The teachers resolved at the time of beginning of the agiti itatio in case the agitation takes the turn toward violence, they wculd end the ag titation. May I know whether the Home Department of Uttar Pradesh received such information that the word peacefully meant to create unrest which compelled the Department to issue instructions to the Postal Department- to with hold the telegram ? Was it not proper for ycur Department to use its discretion as to how far the decision of Home Department was correct ?

**Dr. Ram Subhag Singh :** That is all right, But I don't think neces ary to answer it.

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में दुभाषिये

*818. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वैदेशिक सेवा के कुल कितने अधिकारी विदेशी भाषाएं (अंग्रेजी से भिन्न) जानते हैं तथा सर्वोच्च राजनयिक मिशनों में उन मिशनों के अध्यक्षों के साथ जाने के योग्य है ; और

(ख) दुभाषियों पर प्रतिवर्ष कुल कितना धन खर्च किया जाता है तथा उनकी संख्या कितनी है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) भारतीय विदेश सेवा के 294 अधिकारियों में से 224 ने उन्नत स्तर पर विदेशी भाषा में योग्यता प्राप्त कर ली है । बाकी में से प्राय: सभी के कम-से-कम एक विदेशी भाषा का कार्यकारी ज्ञान है । प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर जो लोग सीधे ही भारतीय विदेशी सेवा में लिए जाते हैं उन सभी के लिए अब अंग्रेजी के अतिरिक्त एक अन्य विदेशी भाषा का उच्च स्तर का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है ।

(ख) विदेश-स्थित भारतीय मिशनों। केंद्रों में 103 व्यक्ति दुभाषिया-एवं-अनुवादक के रूप में नियोजित हैं। सरकार उनपर 18,26,425।-रु० खर्च करती है, इसके अतिरिक्त विदेश मंत्रालय में भी 6 दुभाषिए और अनुवादक हैं। उनपर 53,135।—रु० का वार्षिक खर्च है।

**आकाशवाणी के कार्यक्रम**

*817. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी द्वारा अपने कार्यक्रमों में, विशेषकर विविध भारती कार्यक्रम में, पुराने और घिसे पिटे कार्यक्रमों का प्रसारण बार-बार किये जाने के क्या कारण हैं, और

(ख) आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुधारने और इनकी प्रबन्ध व्यवस्था विचारशील, कार्यकुशल और दक्ष व्यक्तियों के हाथों में सौंपने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :** (क) एक प्रसारण संगठन के लिए कार्यक्रमों को बार-बार प्रसारित करना निम्न कारणों से असाधारण बात नहीं है :-

(1) श्रोताओं की मांग,

(2) प्रोग्राम एक्सचेंज की मार्फत अन्य केन्द्रों द्वारा अपने श्रोताओं के लाभ के लिए मांगें,

(3) धन की कमी, और

(4) विभिन्न समयों पर विभिन्न श्रोताओं के लिए।

(ख) आकाशवाणी के कार्यक्रमों में सुधार करने के लिऐ उनका निरंतर पुनरीक्षण होता रहता है। इसके लिए कार्यक्रम सम्बन्धी व्यक्तियों को भर्ती निर्धारित नियमों के अनुसार की जाती है

**समवाय-कार्य विभाग**

*818. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने समवाय-कार्य विभाग को वित्त मंत्रालय में स्थानान्तरित करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस विभाग को वित्त मंत्रालय में स्थानान्तरित करने के लिये प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या कारण बताये हैं ; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार के शासन-तंत्र तथा कार्य-विधि के बारे में आयोग के प्रतिवेदन के पैराग्राफ (कंडिका) 206 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसकी एक प्रति 13-11-1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 413 के उत्तर के रूप में सदन के पटल पर रखी गई थी।

(ग) प्रतिवेदन की समीक्षा की जा रही है।

**Hindon Airport**

*819. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the compensation in respect of the land which was acquired for Hindon Airport has been fully paid ;

(b) if not, the reasons therefor ;

(c) whether it is a fact that the farmers are facing great inconvenience due to the non-receipt of compensation and rent in respect of their land ; and

(d) when a final decision is likely to be taken in this regard ?

**The Minister of Defence (Shri Swaran Singh)** : (a) and (b): Compensation in respect of about 86% of the land has been determined by the Land Acquisition Collector at Rs. 102.4 lakhs. Compensation for tr es; groves, houses, wells, kilns, etc and the remaining land has however still to be determined.

Approximately Rs. 89 lakhs have been disbursed. A further amount of approximately Rs. 12 lakhs has been disbursed "on account" in respect of compensation yet to be determined. The disbursement of the balance of the awarded compensation has not yet been made due non-production of succession certificate, Whereabouts of the entitled persons not being known etc.

(c) and (d): Some inconvenience must be caused to the owners whose compensation has not yet been determined or has been determined but not yet disbursed. The Collector and the local authorities have been requested to expedite the disbursement and determination of the compensation.

## भारतीय भाषाओं में विदेशी प्रसारण

*820. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी से कितनी भारतीय भाषाओं में विदेशी प्रसारण किया जाता है और प्रत्येक भाषा में प्रसारण के लिये कितना समय दिया जाता है,

(ख) आकाशवाणी से कितनी विदेशी भाषाओं में प्रसारण किया जाता है और प्रत्येक भाषा में प्रसारण के लिये कितना समय नियत किया जाता है, और

(ग) क्या चीन गणतंत्र का जनता को भारत की नीतियों का दृढ़ता से परिचय कराने के लिये चीनी भाषा में कोई कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)** : (क) आकाशवाणी से उसकी विदेश सेवा में प्रतिदिन निम्नलिखित चार भारतीय भाषाओं में प्रसारण किये जाते हैं। प्रत्येक भाषा में प्रसारण की अवधि उसके सामने दी गई है।

| | घण्टे-मिनट |
|---|---|
| हिन्दी | 2–30 |
| तंमिल | 1–45 |
| गुजराती | 1–00 |
| कोंकणी | 0–10 |

(ख) प्रत्येक भाषा के सामने दी गई अवधि के लिये निम्नलिखित पन्द्रह भाषायें है :–

| | घण्टे मिनट |
|---|---|
| अंग्रेजी | 9–45 |
| फ्रैंच | 1–00 |
| बर्मी | 1–35 |
| इण्डोनेशियाई | 1–00 |
| कैन्टोनी | 0–45 |
| क्यूओयू | 0–15 |
| अरबी | 1–30 |
| फारसी | 1–15 |
| पुश्तो | 1–30 |
| अफगन (फारसी) | 0–30 |
| नेपाली | 1–15 |
| तिब्बती | 1–00 |
| सिंहाला | 0–30 |
| स्वाहिली | 0–30 |
| थाई | 0–20 |

(ग) जी, हां ।

## आकाशवाणी द्वारा समाचारों का प्रसारण

*821. **श्री श्रीचन्द गोयल : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ने प्रयत्न किया था कि समाचारपत्रों की दो महीने की हड़ताल की अवधि में समाचारों के प्रसार में कमी न आने पाये इसलिए समाचार प्रसारण कार्यक्रम में परिवर्तन के द्वारा समाचार प्रसारणों को अधिक समय दिया जाय,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है, और

(ग) 1965 और 1968 में आकाशवाणी द्वारा समाचारों के लिए औसतन कितना समय दिया जाता था ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)** : (क) और (ख): जी, हां। यद्यपि समाचार बुलेटिनों की संख्या और उनके प्रसारण का समय नहीं बढ़ाया गया था पर इस बात की कोशिश की गई कि खबरें छोटी-छोटी करके ज्यादा कर दी जाएं और उपलब्ध समय के अन्दर अधिक से अधिक खबरें दी जाएं।

(ग) 1965 में खबरों को 21.9 प्रतिशत दिया जाता था और 1968 में 22.7 प्रतिशत 1968 में आकाशवाणी से प्रतिदिन कुल 132 बुलेटिन प्रसारित होते थे। 1968 में आकाशवाणी प्रतिदिन 179 समाचार बुलेटिन प्रसारित कर रहा है।

## आधुनिक युद्ध में नेपाम बमों का प्रयोग

*822. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आधुनिक युद्ध में नेपाम बमों का खुल कर प्रयोग हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उन बमों के निर्माण के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) क्या नेपाम बमों से बचने के लिए कोई रक्षात्मक उपाय सम्भव है और यदि हां तो क्या सरकार उन उपायों का प्रयोग में ला रही हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ला०ना० मिश्र)** : (क) से (ग): हाल के वर्षों में युद्ध में नेपाम बमों का प्रयोग किया गया है। नेपाम बमों के विरूद्ध रक्षा के सीमित उपाय ही शक्य हैं ; और हमारे रक्षा प्रबंधों को शत्रु द्वारा ऐसे बमों के प्रयोग की संभावना का ध्यान है।

## Development of Indian Navy

*823. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Navy is lagging far behind as compared to that of the neighbouring countries from the view point of military equipment and naval force ;

(b) whether it is also a fact that out of the three Indian Forces, the Navy has made slow progress ; and

(c) the scheme formulated by Government for all round development of the Indi. n Navy ?

**The Minister of Defence (Shri Swaran Singh)** : (a) No, Sir

(b) and (c) : The development of the three Services and the allocations made therefor depend upon the nature of the threat facing the country. In this context the Navy may have received less attention in the past, but it is now receiving proportionately greater attention, both to strengthen it and to modernise the Fleet.

### Import of English Films

*824 **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that the foreign films being imported at present propagate violence and are sex provoking which is totally against the Indian traditions ;

(b) if so, whether Government propose to allow import of fimls of educational value in future ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri K.K. Shah) :** (a) It will not be correct to state that the foreign films which are being shown in the country to-day generally depict violence and sex. Films are a visual depiction of themes intended to portray the way of life, social custome and behaviour of the country of location. Nevertheless some films depicting violence and sex have been imported into the country in recent years ; a large number by the Indian importers under the Export Entitlement Scheme. Necessary steps have been taken to ban import of films under this category.

The Central Board of Film Censors, however, exercises due caution in certifying films for exhibition keeping in view the general guidelines prescribed. An Enquiry Committee is currently reviewing the entire question of censorship in the light of the needs of artistic expression, country's social culture and tradition.

(b) and (c) This is already being done.

### भारतीय नौसेना का आधुनिकीकरण

*825. **डा० सुशीला नैयर :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968–69 में भारतीय नौसेना को आधुनिक बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर कितना धन व्यय किये जाने की संभावना है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ग): नौसेना का आधुनिकीकरण एक निरन्तर प्रक्रिया है । सरकार ने 1965–66 से कई पग उठाए हैं जैसे कि नए पोतों की प्राप्ति फ्रिगेटों, सुरंगविध्वसंकों, सागर में जाने वाली रक्षा नौकाओं, टगों और अन्य सैनिकपोतों का निर्माण, एक पनडुब्बी अंग की स्थापना, गोआ, पोर्टब्लेयर और विशाखापत्तनम में अड्डों को सुविधाओं का विकास इत्यादि ।

विभिन्न निर्माण कार्यों, नौसेना डाकयार्ड के प्रसार, छोटे पोतों के अतिरिक्त पोतों के क्रय के लिए रक्षा कैपिटल औटले के अधीन नौसेना के लिए 1968–69 के बजट में 18 64 रूपये का उपबंध किया गया है ।

**चीन अधिकृत क्षेत्रों के बारे में अमरीका में उप प्रधान मंत्री का वक्तव्य**

*826. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उप प्रधान मंत्री ने 2 अक्तूबर, 1968 को वाशिंग्टन में कहा था कि चीनी सेनाएं, जिन्होंने भारत के उत्तरी क्षेत्र पर कब्जा कर रखा हैं, यदि समझौते द्वारा वहां से नहीं हटती तो उनको बाहर धकेलना पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो उप प्रधान मंत्री को इस विशेष अवसर पर ऐसा वक्तव्य किन विशिष्ट कारणों से देना पड़ा ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हैं तो 2 अक्तूबर, 1968 को वाशिंग्टन में दिये गये उनके वक्तव्य का ठीक ठीक मजमून क्या है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ग): 2 अक्तूबर, 1968 को वाशिंग्टन में नेशनल प्रेस क्लब द्वारा आयोजित दोपहर के भोज में उप प्रधान मंत्री से चीन भारत संबंधों पर कई प्रश्न पूछे गए थे । इसके जवाब के दौरान उप प्रधान मंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा था कि चीनियों को उस क्षेत्र से हटाया ही जाना चाहिए जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, उन्होंने यह आशा भी व्यक्त की कि किसी दिन भारत ऐसा करने में समर्थ होगा । उन्होंने यह भी कहा कि अगर चीनी इस क्षेत्र को खाली करने को राजी नहीं होते तो भारत को उन्हें बाहर धकेलना होगा । उप प्रधान मंत्री ने यह भी कहा कि भारत किसी समस्या को युद्ध के जरिये सुलझाने में तो विश्वास नहीं करता लेकिन साथ ही वह ताकत के सामने घुटने टेकने में भी विश्वास नहीं करता ।

**19 सितम्बर, 1968 को सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में फिल्म**

*827. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 सितम्बर 1968 को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के दिन दिल्ली के इंद्रप्रस्थ भवन तथा अन्य स्थानों पर कुछ विदेशियों अथवा भारतीयों द्वारा एक फिल्म बनाई गई थी अथवा फिल्म के शाट लिए गये थे ;

(ख) क्या यह हाल ही में जापान तथा अमरीका अथवा कुछ अन्य देशों में दिखाई जा रही हैं अथवा दिखाई गई है :

(ग) क्या ऐसे अवसरों पर विदेशी फोटोग्राफरों को 'शाट' लेने तथा फिल्में बनाने की अनुमति है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस मामले में सरकार द्वारा अनुमति दी गई थी ।

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (घ): इंद्रप्रस्थ भवन के आसपास फोटो लेने पर कोई पाबंदी नहीं हैं । हो सकता है कि कुछ भारतीय अथवा विदेशी अखबार वालों ने या टेलिविजिन वालों ने 19 सितंबर, 1968 को जब कुछ केंद्रीय

कर्मचारियों ने हड़ताल की थी उस समय चित्र लिए हों। सरकार की कहीं ऐसी किसी फिल्म के दिखाए जाने के समाचार नहीं मिले हैं।

**Books Published and Broadcasts Made in Ladakhi Language**

*828: **Shri Kushak Bakula :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the names and number of books published in Ladakhi language under the National Book Trust and Joy Book Trust scheme to publish books in the various Indian languages ;

(b) the details regarding the programme being broadcast in Ladakhi language from the Delhi station of the All India Radio ;

(c) the manner in which time is allotted to these programmes daily or weekly ;

(d) whether talks and speeches regarding social, cultural, economic and industrial aspects of Ladakh are also organised in the programmes ; and

(e) if no programmes are broadcast in Ladakhi language, the reasons therefor ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) :** (a) The National Book Trust have so far not published any book in the Ladakhi language nor is there any such proposal before the Trust at present. Enquiries are being made regarding Joy Trust.

(b) No programme in Ladakhi language is broadcast from the Delhi Station of All India Radio.

(c) and (d): Do not arise.

(e) This is due to the reason that Delhi Station has its own regional programme pattern to cater to the needs of listeners speaking Hindi, Haryana, Braj, Urdu and Punjabi in addition to its programmes in English.

**गाजियाबाद में फिल्म उद्योग-समूह**

*829. **श्री बसुमतारी :**
**श्री सीताराम केसरी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के निकट गाजियाबाद में एशिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योग समूह की आधार-शिला रखने का निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां पर आधुनिकतम स्टूडियों के अतिरिक्त, एक फिल्म संस्थान होगा जो भारत में इस तरह की दूसरी संस्था होगी और लन्दन में मैडम तुसा के संग्रहालय की तरह का एक मोमी संग्रहालय भी होगा ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस संस्था का संचालन केन्द्रीय सरकार के द्वारा किया जायेगा और इस में कलाकारों, कैमरामेनों टेलीविजन विशेषज्ञों आदि को प्रशिक्षित किया जायेगा ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह)** : (क) और (ख) : इस बारे में 27 नवम्बर, 1968 को सदन में पूछे गये प्रश्न संख्या 2353 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार योजना में एक मोमी संग्रहालय या फिल्म संस्थान स्थापित करने का कोई विचार नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## अणु-शक्ति

*830. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : **क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अणु-शक्ति की रचनात्मक संभावनाओं पर विचार करने के लिए वाशिंगटन में हाल ही में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किये गये थे ; और

(ग) उन निर्णयों को देश में क्रियान्वित करने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ?

**प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : सम्मेलन का उद्देश्य अब तक की गई प्रगति पर पुनर्विचार करना तथा भविष्य की समस्याओं का अनुमान लगाना था। इसमें कोई निर्णय करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ।

## इसराइल के प्रतिरक्षा मन्त्री की पत्नी के लिये बीजा

*831. **श्री श्रद्धाकर सुपकार** :
**श्री हेम बरुआ** :

**क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसराइल में प्रतिरक्षा मन्त्री की पत्नी मिसेस मोशे दयान ने भारत दौरा करने के लिये बीजा के लिये आवेदन किया था और क्या उन्हें बीजा नहीं दिया गया था ;

(ख) क्या इसके बावजूद वह जब भारत आई तो उन्हें लगभग तीन सप्ताह के लिये अस्थायी बीजा दे दिया गया ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

**वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ग) : विकासमान देशों की अर्थ व्यवस्था के लिए दस्तकारी के महत्व पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 4 नवम्बर से 16 नवम्बर दिल्ली में आयोजित गोष्ठी में शामिल होने के लिए श्रीमती दयान ने भारत में तीन सप्ताह तक ठहरने के लिए बीजा के लिए आवेदन किया था। बीजा

दिये जाने के निर्णय को उन तक पहुंचाया जाये उसके पूर्व ही वे इसराईल से 1 नवम्बर को रवाना होकर 2 नवम्बर को नई दिल्ली पहुंच गयी। इसलिए उनको हवाई अड्डे पहुंचने पर ही बीजा दिया जाना था। इन तथ्यों के प्रकाश में जैसा कि माननीय सदस्य का ख्याल है यह कहना उचित नहीं होगा कि श्रीमती दयान को बीजा नहीं दिया गया।

## नेहरु लियाकत अली समझौता

*832. **श्री प्र० र० ठाकुर :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वर्गीय प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरु द्वारा 7 अगस्त, 1950 को इस सभा में की गई इस स्पष्ट घोषणा की जानकारी है कि नेहरु लियाकत अली समझौता एक ऐसा कानून नहीं है जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सके अपितु यदि आवश्यक हो तो सरकार इस समझौते के कंडिकाओं या अनुच्छेदकों में परिवर्तन कर सकती है।

(ख) क्या सरकार ने अब तक करार के कार्यकरण के बारे में समय समय पर वस्तुतः कोई मूल्यांकन अथवा पुनर्विचार किया है और 1950 के इस समझौते की विभिन्न धाराओं में कोई परिवर्तन संशोधन किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा भगत) :** (क) जी हां। लेकिन प्रधान मन्त्री ने उसी बयान में इसका भी संकेत किया था कि इस करार का महत्व इसकी पहुंच में है न कि करार के इस या उस अनुच्छेद में।

(ख) और (ग) : नेहरु लियाकत करार की कार्यान्विति का समय समय पर पुनर्विलोकन किया है। यद्यपि पाकिस्तान ने न तो भाषा द्वारा और न भाव द्वारा ही इसका पालन किया फिर भी इस करार को समाप्त करने की बात नहीं सोचती चूंकि यह सही सिद्धान्तों पद आधारित और सही पहुंच का मूर्तरूप है।

## पाकिस्तान द्वारा हिन्दुओं को पारपत्र देना

*833. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दू सामाजिक तथा राजनैतिक नेताओं तथा व्यापारियों को भारत में अपने सम्बन्धियों से मिलने आने के लिये पारपत्र नहीं दिये गये हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में हमारी सरकार ने क्या विरोध प्रकट किया है और क्या हमारी सरकार का विचार जवाबी कार्यवाही करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) भारत आने के लिये पासपोर्ट लेने में पाकिस्तान के अल्प संख्यक समुदायों के सदस्यों को जो कठिनाइयां होती हैं उनके प्रति भारत सरकार सजग है।

(ख) और (ग): सरकार ने पाकिस्तान सरकार से बार बार यह कहा है कि दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को सामान्य करने की दिशा में एक कदम के रुप में दोनों देशों के बीच आवागमन को सुविधाजनक बनाएं।

**बाढ़ में पश्चिमी पाकिस्तान को बह गये व्यक्ति**

*834. **श्री हिम्मतसिंहका :**
**श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र में अभी हाल की बाढ़ में जलपाईगुड़ी तथा उत्तरी बंगाल के जिलों में बह गये कई व्यक्तियों के बारे में प्रधान मन्त्री को अवगत कराने के लिये इस वर्ष नवम्बर, 1968 के दूसरे सप्ताह में कई संसद-सदस्य उनसे मिले थे;

(ख) सरकारी सूचना के अनुसार इस प्रकार कितने व्यक्ति लापता है तथा उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) ऐसे कितने व्यक्तियों के बारे में पाकिस्तान से सूचना प्राप्त हो गई है और उनमें से कितने वापिस आ गये हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : आधिकारिक सूचना केवल वासुदेव मंडल नामक एक लड़के के विषय में प्राप्त हैं, जिसे पाकिस्तान में बचाया गया था और वह भारत लौट आया। दिल्ली के डा० एस० के० बागची की पत्नी श्रीमती बागची के विषय में भी एक खबर मिली है जो अक्टूबर, 1968 में उत्तरी बंगाल की बाढ़ द्वारा वहां ली गयी थी और कहा जाता है कि वह जीवित है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने अभी तक उस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है। भारत सरकार पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ इस मामले पर सक्रिय ढंग से बातचीत कर रही है

**Rehabilitation of Civilians Living in Cantonme..t Areas**

*835. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have issued orders for not allowing the civilians living in the cantonment areas to resettle there and if so, the details of the scheme for their rehabilitation;

(b) whether it is also a fact that towns of Saugar and Jabalpur have been kept as an exception in this respect ;

(c) whether it is further a fact that thousands of acres of inhabited land will be desolated as a result thereof ; and

(d) if so, whether it is proposed to allot forest land in lieu thereof ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) No, Sir.

(b) to (d) : Do not arise.

## पाकिस्तान को रूस से परमाणु सहायता

*836. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री म० ला० सोंधी :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि रूस पाकिस्तान को परमाणु सहायता देने के लिए सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : पाकिस्तान ऐटामिक ऐनर्जी कमीशन के चेयरमैन ने 17 नवम्बर को कराची में जो बयान दिया था उसके अनुसार, अणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के उपयोग के बारे में पाकिस्तान और सोवियत संघ के बीच सहयोग के विषय में दोनों देशों के बीच, मार्च 1969 में एक द्विपक्षीय करार सम्पन्न होने की आशा है । शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अणु ऊर्जा के इस्तेमाल के क्षेत्र में इस प्रकार का द्विपक्षीय सहयोग कोई नई बात नहीं है ।

## गंगा नदी पर पाकिस्तान का दावा

*837. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने दावा किया है कि गंगा नदी उस के प्राकृतिक साधनों में से है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान ने गंगा नदी पर भारत के दावे को अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध बताया है ; और

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तान के इस प्रकार के प्रचार और दावों को रोकने के लिये भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) : अगर माननीय सदस्य का अभिप्राय यह है कि पाकिस्तान ने समूची गंगा नदी पर दावा किया है तो उसका उत्तर 'नहीं' होगा ।

इस नदी के बारे में पाकिस्तान का दावा चाहे कुछ भी हो, भारत की स्थिति सभी संबद्ध पक्षों को स्पष्ट बता दी गई है कि इस नदी की लम्बाई का, जिस इलाके में यह बहती है, उसका, जो लोग इस पर निर्भर करते हैं उनका, और गंगा के जल में भारत के योगदान

का और हमारे देश की कुल आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं का जहां तक प्रश्न है, गंगा प्रायः सम्पूर्ण रूप से भारतीय नदी है ।

## टेलिविजन सेट

*838. डा० कर्णी सिंह : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता हैं कि कई प्रकार के टेलीविजन सेटों में से खतरनाक रेडियम धर्मिक (रेडियों-एक्टिविटी) निकलती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से देश में निर्मित तथा आयातित सब टेलीविजन सेटों का गाइगर काऊंटर टैस्टे करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) टेलीविजन सेट किसी प्रकार की भयानक विकरणशीलता विमुक्त नहीं करते ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो

*839. श्री वी० चं० शर्मा : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शान्ति संवर्धन के लिये भारत ने बड़े राष्ट्रों को इस बात से सहमत करने के लिये कोई प्रयत्न किये हैं, कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो के अपने अधिकार का प्रयोग करना बन्द कर दें ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस के बारे में बड़े राष्ट्रों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

## विदेश स्थित भारतीय मिशनों में नियुक्त मन्त्रालयों के अधिकारी

*840. श्री लोबो प्रभु : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री 15 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 507 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में अन्य मन्त्रालयों द्वारा स्थापित कार्यालयों में कितने कर्मचारी हैं, उनके पदनाम क्या है और उन पर वार्षिक कितना धन व्यय होता हैं ;

(ख) क्या मिशनों में ऐसे अधिकारी हैं, जो एक ही प्रकार का काम कर रहें है और यदि हां, तो उनके पदनाम, संख्या कितनी है तथा उन पर कितना धन व्यय होता है ; और

(ग) क्या इस बात की जांच की गई है कि मिशनों के कार्यालयों के कर्मचारी स्वतन्त्र प्रतिनिधि के रूप में मंत्रालयों का कार्य कर सकते हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

**कीनिया से वापिस आये भारत मूलक लोग**

4934. श्री बाबू राव पटेल : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 1968 तक कीनिया से कितने भारतीय निष्क्रान्त अथवा शरणार्थी भारत में पहुँच चुके थे ;

(ख) 30 जून 1968 तक उक्त पुनर्वास पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई थी ; और

(ग) राज्य-वार इन लोगों को किस प्रकार की सहायता दी गई हैं और कितने लोगों को पुनः बसाया गया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री, तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क): कोई भी भारतीय राष्ट्रिक कीनिया से भारत में निष्क्रान्त या शरणार्थी के रूप में नहीं आया है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

**Ordnance Factory, Jabalpur**

4935. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether the production of war material has been started in the Ordnance Factory at Jabalpur, Madhya Pradesh ;

(b) if so, the amount of foreign exchange likely to be saved as a result thereof ;

(c) whether the production in this factory conforms to the targets fixed therefor ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) Two Ordnance Factories viz. Gun Carriage Factory, Jabalpur (established in 1901; and Ordnance Factory, Khamaria (established in 1942) are in the Jabalpur area, producing war material.

(b) It is not in the public interest to disclose information regarding the quantum of war material produced in individual ordnance factories or sector-wise.

(c) By and large, production has been in conformity with the targets fixed.

(d) Does not arise.

**Industrial Undertakings in Madhya Pradesh**

4936. Shri G. C. Dixit : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether any specific proposal is under consideration of Government for setting up industrial undertakings in Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan with a view to remove unemployment in drought-hit areas in the State ;

(b) if so, the details thereof and estimated cost thereof ; and

(c) the number of persons likely to be provided employement in each of these undertakings.

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :** (a) to (c): As the Fourth Five Year Plan is yet to be finalised, it is not possible at this stage to indicate which industrial undertakings would be set up in the State of Madhya Pradesh or any details about them.

**Allotment of Agricultural Land to Ex-Servicemen in Madhya Pradesh**

4937. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether there is any scheme for rehabilitating ex-Servicemen in Madhya Pradesh by allotting agricultural land to them and if so, the progress made so far in this respect ;

(b) the number of applications received by the State Government from ex Servicemen for the allotment of land ;

(c) the number of applicants among them as had retired from service before the 15th August, 1947 ;

(d) the number of application received from military personnel injured during the attacks by China and Pakistan and from dependents of those soldiers who were killed during these attacks separately ;

(e) the number of applicants who have since been allotted land and the number of those who have not been allotted land and the time by which land would be allotted to such applicants and

(f) the class-wise priority fixed in these cases and the proportion in which land is distributed amongst them ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) :** (a) to (f) : The information has been called for from the State Government and will be laid on the Table of the House when received.

**भारतीय माल पर नेपाल द्वारा लगाया गया शुल्क**

4938. **श्री गं०च० दीक्षित :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1960 से नवम्बर, 1968 तक नेपाल को भेजे गये कुछ भारतीय माल और दवाइयों पर पाकिस्तानी दवाइयों की तुलना में 7-5 प्रतिशत अधिक शुल्क नेपाल में लगाया गया और भारतीय दवाइयों के नेपाल पहुँचने पर नेपाल द्वारा समझौते के उपबन्धों के विपरीत उन पर एक प्रतिशत शुल्क अधिक लिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय माल पर अधिक शुल्क लगाये जाने के बारे में भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री, तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) और (ख) : माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना प्राप्त की जा रही है और सुलभ होते ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

**खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा मांगी गई सहायता**

4939. **श्री समर गुह :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कभी यह पता लगाने का प्रयत्न किया है कि खान अब्दुल गफ्फार खां पख्तूनों के आत्मनिर्णय के आन्दोलन के लिये भारत सरकार से किस प्रकार की सहायता चाहते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि काबुल के निकट भारतीयों से हुई अपनी भेंट में उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह कहा हैं कि यदि कम से कम भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में पख्तूनों का प्रश्न उठाये, तो वह भारत आने को तैयार हैं ;

(ग) क्या उनके विचारों को ठीक तरह से जानने के लिए कि वह भारत से किस प्रकार की सहायता चाहते हैं तथा उन्हें गांधी जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए भारत आने का अनुरोध करने के लिये संसत्सदस्यों का एक शिष्टमंडल उनके पास भेजा जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो कब तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) 13 नवम्बर, 1968 को लोक सभा में श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा उठाये प्रश्न पर आधे घण्टे की बहस के दौरान, सरकार इस बारे में पहले ही स्थिति बता चुकी है।

(ख) यह सरकार के देखने में नहीं आया है।

(ग) इस समय सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है।

(घ) खान अब्दुल गफ्फार खां ने किसी उपयुक्त समय पर भारत आने का निमन्त्रण पहले ही स्वीकार कर लिया है।

**गांधी शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिये खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत आने का निमन्त्रण**

4940. **श्री समर गुह :** क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारत में गांधी जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिये खान अब्दुल गफ्फार खां को सीधे निमन्त्रण भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो यह निमंत्रण पत्र किसके माध्यम से भेजा गया था ;

(ग) क्या काबुल स्थित भारतीय राजदूत कभी उनसे मिले थे और यदि हां, तो किस कारण से ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार के मन्त्रिमण्डल के किसी मन्त्री को जिन्हें सरहदी गांधी, जिस नाम से वह भारत में प्रख्यात हैं, के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था ; गांधी जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेने का निमन्त्रण देने के लिये काबुल भेजा जायेगा ?

**प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री, तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) खां अब्दुल गफ्फार खां से काबुल में रहने वाले भारत के राजदूत समय-समय पर विचार विनिमय के लिए मिलते रहते हैं ।

(घ) अभी यह विचाराधीन नहीं है ।

**काबुल में श्री जयप्रकाश नारायण की अब्दुल गफ्फार खां से भेंट**

**4941. श्री समर गुह :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री जयप्रकाश नारायण हाल में खान अब्दुल गफ्फार खां से गान्धी जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेने का अनुरोध करने के उद्देश्य से उनसे मिलने के लिये काबुल गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने खान अब्दुल गफ्फार खां को उनके द्वारा की गई प्रार्थना का परिणाम जानने का प्रयत्न किया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि खान अब्दुल गफ्फार खां ने भारत आने की अपनी इच्छा प्रकट की है, बशर्ते कि भारत सरकार पख्तूनों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करे ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) जी नहीं । श्री जयप्रकाश नारायण ने अक्तूबर, 1968 में गांधी शताब्दी समारोह का उद्घाटन करने के लिये काबुल की यात्रा की थी ।

ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

**भारत चीन सीमा पर चीन की सैनिक तैयारी**

**4942. श्री समर गुह :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बत सीमा के साथ-साथ तैनात चीनी सेना कितनी है ;

(ख) क्या तिब्बत सीमा के साथ चीन ने कोई बख्तरबन्द डिवीजन भी तैनात कर रखा है, और यदि हां, तो उसकी शक्ति स्वरूप क्या है तथा उसके पास किस-किस प्रकार के हथियार हैं ;

(ग) इस सीमा के साथ-साथ चीन द्वारा कितने हवाई अड्डे बनाये गये हैं ; तथा वहां इस समय कितनी वायु सेना तैनात है और भविष्य में कितनी वायु सेना तैनात की जाने की सम्भावना है ;

(घ) क्या चीन ने तिब्बत में प्रक्षेपणास्त्र छोड़ने के केन्द्र स्थापित किये हुए हैं और यदि हां, तो उन केन्द्रों की संख्या कितनी है और कितनी दूरी तक पार करने के लिए उन केन्द्रों का प्रयोग किया जायेगा ; और

(ङ) क्या चीन ने काई आण्विक युद्ध केन्द्र भी स्थापित किया है और यदि हां, तो उसमें आण्विक हथियारों का कितना भण्डार है और उनकी मार कितनी है तथा उनकी विनाश-क्षमता क्या है ?

**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) भारत की उत्तरी सीमा पर चीनियों द्वारा लगभग 13 से 16 डिवीजन जमा करने का ज्ञान है।

(ख) और (ग) : सरकार को प्राप्य सूचना को प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

(घ) सरकार ने तिब्बत में एक मोबाईल अड्डा स्थापित किए जाने सम्बन्धी कई रिपोर्टें देखी हैं, परन्तु ऐसी कोई विश्वसनीय सूचना नहीं कि उनकी पुष्टि की जा सके।

(ङ) जैसाकि पिछले 27 नवम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 292 के उत्तर में कहा गया है ऐसा विश्वास किया जाता है कि चीन 20 किलोटन क्षमता के लगभग 40 नापिकीय बम उत्पादित कर सकता है, और इस दर से उस ने शायद 12 बम इकठ्ठे कर लिए हों। चीन मीडियम रेंज के बालिस्टिक मीजाइलों का भी विकास कर रहा है, जिनकी लगभग रेंज 2000 मील है, परन्तु उनके वास्तविक इस्तेमाल का अभी तक कोई ज्ञान नहीं है।

## सिक्किम को सहायता

4943. **श्री प्रदिचन :** **श्री हिम्मतसिंहका :**
**श्री मु० कु० तापड़िया :** **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

**क्या वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम की विकास योजना के लिये भारत से सहायता लेने के लिए सिक्किम के चोग्याल हाल ही में नई दिल्ली आये थे ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और किस प्रकार की सहायता मांगी गई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री योजना मन्त्री, तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) से (ग) : चोग्याल ने 1 से 4 दिसम्बर, 1968 तक भारत की यात्रा की थी। उनकी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य सिक्किम की तीसरी पंचवर्षीय योजना (1966-71) के चालू वर्ष के लिए अतिरिक्त धन की अपनी प्रार्थना पर और सिक्किम में अक्तूबर, 1968 की बाढ़ से जो क्षति पहुँची है उनकी मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता पर विचार विमर्श करना। चोग्याल ने इन दोनों उद्देश्यों के लिए अनुमानतः 2 करोड़ 20 लाख रुपये की प्रार्थना की थी जब कि भारत सरकार सिक्किम सरकार के व्यय-सामर्थ्य के अनुसार, 50-60 लाख रुपये चालू वित्त वर्ष में और 60–70 लाख रुपये अगले वित्त वर्ष में देने पर सहमत हो गई है।

**भारत में चीन के तथा चीन में भारत के राजदूत की नियुक्ति**

4944. **श्री अर्जुन सिंह भदोरिया :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन में भारत के राजदूत तथा भारत में चीन के राजदूत नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**स्वर्गीय जवाहर लाल के पिछले जन्म दिवस समारोह पर लार्ड मौंटबेटन का भाषण**

4945. **श्री समर गुह :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लार्ड मौंटबेटन ने नेहरु के सम्बन्ध में अपने भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा था कि मैंने उन्हें (नेहरु को) आजाद हिन्द फौज के स्मारक पर फूल चढ़ाने के लिए स्थानीय भारतीयों (सिंगापुर) के निमन्त्रण को अस्वीकार करने को कहा था .....वह फूल माला न चढ़ाने के लिए सहमत हो गये थे ;

(ख) क्या लार्ड मौंटबेटन की उक्त बात लाल किले में आजाद हिन्द फौज के लोगों के विरुद्ध चलाये गये मुकदमें में जवाहर लाल नेहरु द्वारा किये गये योगदान के सर्वथा विपरीत है ;

(ग) क्या सरकार के पास उक्त बात की सत्यता को सिद्ध करने के लिये कोई दस्तावेज है ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या आजाद हिन्द फौज, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरु के सम्मान की रक्षा करने के लिए सरकार का विचार सिंगापुर में आजाद हिन्द फौज के स्मारक जिसे तत्कालीन ब्रिटिश एडमिरल लार्ड मौंटबेटन के सेनापतित्व में ब्रिटिश सेना द्वारा गिरा दिया गया था, पुनः निर्माण करने का है ?

**प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री, तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) सम्भवतः माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार का ध्यान इस सम्बन्ध में लार्ड मौंटबेटन के विचारों की ओर दिलाया गया है । इसका उत्तर हां में है ।

(ख) लाल किले में आजाद हिन्द फौज के लोगों के विरुद्ध चलाये गये मुकदमें में प्रधान मन्त्री जवाहर लाल नेहरु का योगदान इतिहास का एक सुप्रसिद्ध अंश है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) ये मानना पड़ेगा कि सम्पूर्ण सिंगापुर एक स्वतन्त्र देश है और भारत सरकार के लिए विदेशों में स्मारकों का निर्माण करना व्यवहार्य नहीं ।

**मजगोन डाक्स लिमिटेड**

**4946. श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मजगोन डाक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, उस समय इसके निदेशक मंडल के सदस्य कौन-कौन थे और वही निदेशक मण्डल कब तक कार्य करता रहा ; और

(ख) इस समय निदेशक मंडल के सदस्य कौन-कौन हैं और इस कम्पनी के अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक निदेशक का नाम क्या है उनकी नियुक्ति कब हुई थी, उनकी पदावधि कितनी है और उनकी सेवा की शर्तें क्या हैं ?

**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र)** (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2762/68]**

**मजगोन डाक्स लिमिटेड**

**4947. श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मजगोन डाक्स लिमिटेड को (एक) अनियमितताओं (दो) चोरी (तीन) माल में कमी हो जाने (चार) आग लगने या ऐसे किन्हीं अन्य कारणों से कितनी हानि हुई है ;

(ख) क्या इन मामलों की जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) मजागां डाक लिमिटेड को अप्रैल, 1960 से कि जब सरकार द्वारा वह हस्तगत की गई थी, चोरी, स्टाक में कमी अथवा आग लगने के कारण किसी प्रकार की क्षति नहीं उठानी पड़ी । एक ठेकेदार द्वारा ब्यौरों से निम्न सप्लाई की गई इमारती लकड़ी के कारण कम्पनी को 1960 और 1961 के दौरान 24318,05 रुपये का नुकसान उठाना पड़ा था ।

(ख) और (ग) : मामले की जांच की गई थी, और जांच के परिणामस्वरूप संबंधित कर्मचारी को चेतावनी दी गई थी और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था ।

**मजगोन डाक कम्पनी**

**4948. श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजगोन डाक्स लिमिटेड ने खरीद, ठेकों और बिक्री हेतु कर्मचारियों की भर्ती (500 रुपये मासिक से अधिक वेतन वाले पदों के लिए) के लिये उपयुक्त नियम बनाये हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे नियम क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ये नियम, बनाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो ये नियम कब तक बनाये जायेंगे ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल०ना० मिश्र):** (क) जी हां।

(ख) सेविवर्ग की भर्ती, चयन और नियुक्ति या तो बोर्ड आफ डारेक्टर्ज़ द्वारा की जाती है या मैनेजिंग डारेक्टर द्वारा, और यह बात वेतनमानों पर आधारित है। रिक्त स्थानों के लिए अखिल भारतीय समाचारपत्रों में इश्तहार दिया जाता है, और चुनाव मेरिट, अनुभव और योग्यता को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी द्वारा किया जाता है क्रय, ठेकों और विक्रय के लिए समाचारपत्रों में इश्तहारों द्वारा टेण्डर आमन्त्रित किए जाते हैं, सिवाए सिलेक्टिड टेंडरिंग के, इन्डेंटिंग, टेण्डरों के लिए पूछताछ, और स्टाक के क्रय, सीधे क्रय, लोहे और इस्पात के क्रय और आयात मदों के क्रय के लिए विस्तृत नियम विद्यमान हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## मज़गोन डाक्स लिमिटेड

4949. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मजगोन डाक्स लिमिटेड की स्थापना के समय और 31 मार्च, 1968 को उसकी अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी कितनी थी ;

(ख) 31 मार्च, 1968 को उस कम्पनी ने कितना ऋण देना था, इसमें से केन्द्रीय सरकार, बैंकों तथा अन्य पक्षों को कितना-कितना ऋण देना था ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में इस कम्पनी ने ब्याज के रूप में कितनी राशि दी है; और

(घ) इसके पिछले तीन वर्षों के कार्य के क्या परिणाम हैं, इसे कितना लाभ अथवा हानि हुई है और हानि के मुख्य कारण क्या है और वर्ष 1968-69 के बारे में क्या अनुमान है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) मज़ागां डाक लिमिटिड सरकार द्वारा अप्रैल, 1960 में एक चालू संस्था के तौर पर खरीदी गयी थी। अधिग्रहण के समय इस का अधिकृत सरमाया 200 लाख रुपये था और अदाशुदा सरमाया 63 लाख रुपये। 31-3-1968 को इसका अधिकृत सरमाया 400 लाख रुपये था और अदाशुदा सरमाया 300 लाख रुपये।

(ख) 31-3-68 को सरमाया के लिए ऋण तथा कम्पनी द्वारा बैंक से ओवरड्राफ्ट 571.47 लाख रुपये था। इसमें से 453 लाख रुपये सरकार को सरमाए के लिए ऋण के तौर पर शेष देय था, और 118.47 लाख रुपये स्टेट बैंक आफ इण्डिया से ओवरड्राफ्ट था।

(ग) सरमाए के लिए ऋण और बैंक से ओवरड्राफ्ट पर ब्याज के तौर पर कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों में देय ब्याज था :-

| 1965-66 | 1966-67 | 1967-68 |
|---|---|---|
| | (लाख रुपयों में) | |
| 9.48 | 15.38 | 22.11 |

(घ) गत तीन वर्षों में कम्पनी के कृत्य के परिणाम और अर्जित लाभ इस प्रकार थे :-

| | 1965-66 | 1966-67 | 1967-68 |
|---|---|---|---|
| | | (लाख रुपयों में) | |
| उत्पादन | 390.91 | 501.27 | 692.84 |
| कर से पहले लाभ | 17.98 | 24.90 | 40.71 |
| कर देने के पश्चात लाभ | 8.23 | 17.59 | 40.71 |
| डिविडेण्ड | 5.82 | 9.93 | 14.33 |
| | (साढ़ेचार प्रतिशत) | (पांच प्रतिशत) | (पांच प्रतिशत) |

1968-69 के दौरान अनुमानित उत्पादन और लाभ नीचे दिए गए हैं :-

| | |
|---|---|
| उत्पादन | 1083-00 लाख रू० |
| कर से पहले लाभ | 55-00 लाख रू० |
| कर देने के पश्चात लाभ | 59-00 लाख रू० |

## राजनयिक नियुक्तियां

**4950. श्री कामेश्वर सिंह :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में कई उच्चस्तरीय राजनयिक नियुक्तियां भारतीय विदेश सेवा संवर्ग से बाहर के व्यक्तियों से की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी नियुक्तियां की गई ;

(ग) क्या ऐसी नियुक्तियों के लिये भारतीय विदेश सेवा के नियमित संवर्ग के अधिकारी उपलब्ध नहीं थे, ; और

(घ) यदि भारतीय विदेश सेवा संवर्ग के अधिकारी उपलब्ध थे, तो इस संवर्ग से बाहर के व्यक्तियों से नियुक्तियां करने के क्या कारण थे ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) और (ख) : पिछले दो वर्षों में भारतीय राजनयिक मिशन प्रमुखों के पदों पर भारतीय विदेश सेवा संवर्ग से बाहर की ग्यारह नियुक्तियां की गई हैं।

(ग) और (घ) : राजनयिक मिशन प्रमुखों की अधिकांश नियुक्तियां नियमित भारतीय विदेश सेवा संवर्ग के अधिकारियों में से की जाती हैं। लेकिन, सरकार अन्य वर्गों के विशिष्ट व्यक्तियों को विशेष कार्यों के लिए चुनने के लिए स्वतंत्र है, जैसे कि स्वाधीनता के बाद से प्रथा रही है।

**केन्द्रीय आर्थिक पुंज में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति**

**4951. श्री कामेश्वर सिंह :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक मामलों पर विशेषज्ञतापूर्ण सलाह देने के लिये भारतीय विदेश सेवा के कुछ अधिकारियों को नियमित रूप से सह-सदस्यों के रूप में केन्द्रीय आर्थिक पुंज में नियुक्त किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) केन्द्रीय आर्थिक पुंज (सेन्ट्रल इकोनोमिक पूल) अभी तक नहीं बनाया गया है। लेकिन, जहां तक भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों को आर्थिक और वाणिज्यिक मामलों में प्रशिक्षण देने का प्रश्न है, सभी स्तर के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर वाणिज्य मंत्रालय में भेजने का नियमित प्रबन्ध है। भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों को इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक-कार्य विभाग में भी प्रतिनियुक्त किया जाता है।

(ख) अब तक जिन अधिकारियों ने वित्त और वाणिज्य मंत्रालयों में कार्य किया है उनकी संख्या क्रमशः 6 और 28 है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**अधिकारियों को विदेशों में नियुक्ति**

**4952. श्री कामेश्वर सिंह :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले पांच वर्षों या इससे अधिक समय से भारत में नियुक्त उनके मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का विदेशों में स्थानान्तरण नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) भारतीय विदेश सेवा के केवल तीन ही ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्हें पांच वर्ष से अधिक अवधि से विदेशों में नियुक्ति पर नहीं भेजा गया है। इनमें से दो के स्थानान्तरण के आदेश हो चुके हैं।

(ख) ये अधिकारीगण व्यक्तिगत कारणों से अपनी खुद ही की मर्ज़ी से मुख्यालय पर रहे हैं ।

**Indians Living in Kenya**

4953. **Shri Sharda Nand :**
**Shri Onkar Singh :**
**Shri Kanwar Lal Gupta :**

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the present position in regard to the Indians living in Kenya and holding British passports ;

(b) whether the U. K. Government have accepted some of the proposals of the Government of India in this regard ;

(c) if so, whether Government had held negotiations with the Kenyan Government also ; and

(d) if so, the reaction of Kenyan Government thereto ?

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi)** (a) and (b) : For some time past there has been no exodus of people of Indian origin holding British passports from Kenya. Arrangements have, however, been made between the Government of India and the Government of the United Kingdom in regard to resettlement of those who may be compelled to leave Kenya and who may wish to come to India.

(c) and (d) : As these persons are the responsibility of the British Government the question of negotiations with the Government of Kenya does not arise.

**भारतीय नौसेना**

4954. **श्री शारदा नन्द :** **श्री कंवर लाल गुप्त :**
**श्री ओंकार सिंह :** **श्री जि० ब० सिंह :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 6 महीनों में भारतीय नौसेना में सुधार लाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत में फ्रिगेट बनाने का क्या लक्ष्य है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) नौसेना का विकास एक निरन्तर तथा चिरावधिक प्रक्रिया है, और सरकार ने इस उद्देश्य के लिए 1965-66 से कई पग उठाए हैं। इन में अन्तर्ग्रस्त हैं नए पोतों की प्राप्ति, फ्रिगेटों, सुरंगविध्वंसकों, समुद्र में जाने वाली रक्षा नौकाओं, टगों और अन्य सहायक पोतों का निर्माण, पनडुब्बी अंग की स्थापना, और गोआ, पोर्ट ब्लेयर और विशाखापत्तनम इत्यादि में अड्डों का विकास ।

(ख) लीएंडर किस्म के फ्रिगेटों का भारत में निर्माण चतुर्थ योजना अवधि के दौरान प्रत्याशित है ।

**Press clippings**

4955. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
**Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
**Shri Hardayal Devgun :**

Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state :

(a) whether it is a fact that press clippings are sent by the Press Information Bureau to the various Ministries and Departments for necessary action ;

(b) if so, the total number of press clippings sent to the various Ministries and Departments during the first nine months of 1968 ;

(c) the number of Hindi and English clippings among them ;

(d) whether it is a fact that at present there are no suitable arrangements for taking out Hindi press Clippings from Hindi newspapers ; and

(e) if so, the reasons therefor and the date by which these arrangements would be made ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) :** (a) Yes, Sir.

(b) 3,88,600 approximately.

(c) Hindi clipping 36,500 approximately; English clippings 3,52,100 approximately.

(d) The list of Hindi dailies and weeklies scrutinised for supply of clippings to the Ministries/Departments has recently been reviewed and four more dailies have been added. The list will continue to be reviewed from time to time. The present arrangement has been found to be working satisfactorily.

(e) Does not arise.

**Hindi and English Steno-Typists and Stenographers in Planning Commission**

4956. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
**Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
**Shri Hardyal Devgun :**

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the numer of Hindi and English Steno-typists and Stenographers, separately, in the Planning Commission and the number of employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes out of them;

(b) whether all the Stenographers working in the Planning Commission at present have got through the examination held by the Union Public Service Commission;

(c) if not, whether posts were reserved for Scheduled castes and Scheduled Tribes at the time of holding Departmental tests;

(d) if not, the reasons therefor;

(e) whether posts were also reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes at the time of recruitment of Steno-typists. and

(f) if not, the reasons therefor ?

**The Prime Minister Ministry of Atomic Enregy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :** (a)

**Steno typists**

| | Total no. of persons. | Scheduled Castes. | Scheduled Tribes. |
|---|---|---|---|
| Hindi | 2 | — | — |
| English | 40 | 1 | — |

**Stenographers**

| | Total no. of persons. | Scheduled Castes | Scheduled Tribes. |
|---|---|---|---|
| Hindi | 1 | | |
| English | 123 | 1 | 1 |

(b) Yes, Sir.

(c) and (d): Do not arise.

(e) and (f): There is no separate cadre of Stenotypists. From among the Lower Division Clerks whosoever secures proficiency in taking down dictation in Shorthand at a speed of 80 words per minute is utilised as Steno-typist on a special pay of Rs. 20.00 per month. Therefore, the question of making reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the posts of Stenotypists does not arise.

**Visas for Pakistanis for Participating in Khwaja Muinuddin Chisti's Urs.**

4957. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the number of Pakistani citizens given visas for participating in Urs of Khwaja Muinuddin Chisti at Ajmer this year; and

(b) the amount in Indian currency sanctioned by Government for the participants in the function ?

**The Prime Minister, Minister of Planning, Minister of Atomic Energy, and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :** (a) Visas were issued to 132 pilgrims from Pakistan to participate in the Ajmer Urs held in September/October, 1968.

(b) The Government of India did not sanction any expenditure for these pilgrims. However, the District Magistrate and the Municipal Council, Ajmer, incurred an expenditure of Rs. 1398. 69 in connection with the arrangements for the pilgrims.

**Token Strike in Defence Establishments in Lucknow**

4958. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Defence Establishments in Lucknow observed one-hours token strike in September, 1968.

(b) if so, the causes thereof; and

(c) the steps taken by Government in this regard ?

**The Minister of Defence (Shri Swaran Singh)** : No, Sir.

(b) and (c): Do not arise.

**Aid to News Agencies**

4959. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the amount of grants and nature of assistance of grants and nature of assistance given by Government to news agencies of all India level, nemely, P. T. I., U. N. I., Hindustan Samachar and Bharati during the last five years ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah)** : Government have sanctioned a loan of Rs. 55 Lakhs to Press Trust of India for the construction of their office building at Parliament Street, New Delhi. The first instalment of Rs. 12 lakhs was paid in March, 1968. A loan of Rs. 4 lakhs was paid to the U. N. I. in December, 1967 for the development af its services. Government have decided in principle to give loan of Rs. 5 lakhs to Samachar Bharati for the purchase of telecommunication equipment. The first instalment of Rs. 75,000/- was given in May, 1967. The question of release of further instalment is under consideration. An application from Hindustan Samachar for a loan of Rs. 10 lakhs for the purchase of equipment etc. is under consideration.

2. Recognised news agencies are allowed concession in the rentals for teleprinter circuits and rates of telegrams, and rebate on trunk call bills, by the P. and T. Department. They are also accorded by Press Information Bureau accreditation and other facilities for the collection and dissemination of news. In addition, Government also subscribe to their services.

**Uranium Dioxide Fuel**

4960. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government have accepted the suggestion of the Bhabha Atomic Research Centre, pending with Government for a long time in regard to the preparation of the uranium dioxide fuel for Tarapore Atomic Reactor; and

(b) if so, the amount of investment involved in the aforesaid project and the name of the place where it would be located ?

**The Prime Minister, Minister of Atmoic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi)** : (a) The Department of Atomic Energy has decided to establish the facilities for producing enriched Uranium Oxide fuel elements for use in the Tarapur Atomic Power Project. The detailed project reports in respect of these facilities are under preparation.

(b) The plants are likely to cost about Rs. 150 lakhs and will be established at Hyderabad along with the Nuclear Fuel Complex.

**High Temperature Thorium Reactor**

4961. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government have been conducting any experiment in regard to high temperature thorium reactor; and

(b) if so, the extent of success attained so far ?

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):** (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**बंगलौर के निकट हैग्गनूर गांव में शूटिंग रेंज में घटना**

**4962. श्री ना० स्व० शर्मा :**
**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
**श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

क्या **प्रतिरक्षा मन्त्री** 14 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4045 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला बंगलौर के हैग्गनूर गांव में हुई घटना के बारे में जानकारी इस बीच प्राप्त कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख) : 14 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न का उत्तर अब तक एक वचन-विवरण के रूप में दिया जा चुका है, जिसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2763/68]**

असैनिक और सैनिक अफसरों पर सम्मिलित एक बोर्ड ने 28 अगस्त, 1968 और उस के पश्चात् मिल बैठते निधन प्राप्त व्यक्तियों के निकट कुटुम्बियों को अन्त में देय मुआवजे की राशि के लिए सिफारशें की हैं, तथा उन व्यक्तियों के लिए भी जो घायल हुए, और कार्यवाही की जा रही है।

**Use of Hindi in External Affairs Ministry**

**4963. Shri Narain Swarup Sharma :**
**Shri Atal Bihari Vajpayee :**
**Shri Jagannath Rao Joshi :**

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 2/29/68.-O.L. dated the 6th July, 1968 has been received in his Ministry;

(b) if so, the action taken of proposed to be taken in accordance with paragraphs 3 to 7 of the Office Memorandum referred to above;

(c) the number of tenders, agreements, contracts, licences, premits, notifications and administrative reports issued by his Ministry and its Subordinate offices and Institutes in Hindi also during August and September, 1968. and

(d) the number of those Class I officers who neither know Hindi nor attend Hindi training classes regularly ?

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :** (a) Yes, Sir.

(b) A copy of the Office Memorandum has been circulated to all Sections/Indian Missions and Posts abroad/Regional Passport Offices etc., of the Ministry of External Affairs for careful compliance. Progress in the implementation of these instructions is being watched through the Quarterly Reports. To facilitate the use of Hindi. "help" literature i. e. dictionaries etc., are being supplied to all Missions etc. The proposal to strengthen the translation unit is under active consideration and the pace of training under the Hindi Teaching Scheme is also being accelerated. Hindi Teaching Classes under the Scheme are also arranged in Indian Missions abroad wherever it is possible.

(c) The requisite number is given below :

| | |
|---|---|
| Tenders, contracts, Jicences permits and administrative reports | Nil |
| Agreements | 1 |
| Notifications | 94 |

(d) 71

**New Radio Station in Uttar Pradesh Rajasthan and Madhya Pradesh**

4954. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have opened Radio Stations at Mathura, Bikaner, Jaipur, Bhopal and Indore; and

(b) if so, whether it is proposed to set up a separate Radio Station at Kotah, Ajmer or at some nearby place in view of its industrial importance ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shr K. K. Shah)** : (a) Yes, Sir.

(b) A Radio Station is already functioning at Ajmer and Kotah area is being served by the Radio Stations at Ajmer a Indore.

**Road to Farrukh Nagar Near Hindon Airport**

4965. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of Defence be pleased to state

(a) whether the alternative road which was to be constructed for Farrukh Nagar as a result of the road leading to the aforesaid town falling in the Hindon Airport area has been completed,

(b) if not, the reasons therefore, and

(c) whether it is a fact that the residents of Farrukh Nagar and the nearby localities are facing great inconvenience for want of this road ?

**The Minister of Defence (Shri Swaran Singh)** : (a) to (c): Only a small portion of the alternative road is yet to be completed, as some portion of the land required is still to be acquired. However, some inconvenience is being felt by the residents of the area as the road already constructed has deteriorated due to heavy traffic. This matter is being taken up with the local authorities.

**Use of Taxis By Air Employees**

4966. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the employees of Air, Television Department and the Press Information Bureau are allowed to use Taxis besides the Staff Cars,

(b) if so, the amount of expenditure incurred by each of these three Departments on taxi fare during the last 6 months,

(c) whether it is a fact that some Guides have also been engaged along with these taxis, and

(d) if so, the expenditure incurred by each of the said Department on them during the above period ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) :** (a) Yes, Sir.

(b)

| | | |
|---|---|---|
| All India Radio | ... | Rs. 36,402·90 |
| Television Centre | ... | Rs. 2,559·10 |
| Press Information Bureau | ... | Rs. 2,040·79 |

(c) Yes, Sir in News Services Division, A. I. R. only.

(d) Rs. 4,104.65.

**Research Centres for Peaceful Uses of Atomic Energy**

4967. **Shri Prakash Vir Shastri :**
**Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to open certain Research Centres for peaceful uses of atomic energy during the Fourth Five Year Plan period,

(b) if so, whether any proposal to set up such a centre at Narola, Uttar Pradesh has been received,

(c) whether the adjoining States of Uttar Pradesh would also have the benefit of this Centre, and

(d) if so, the time by which a final decision in this regard is likely to be taken ?

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :** (a) Consideration is being given to the establishment of new atomic power plants during the Fourth Plan period.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) No decision on the location of the plant or the allocation or power to States has yet been taken.

**दरभंगा रेडियो स्टेशन**

4968. **श्री भोगेन्द्र झा :**
**श्री विभूति मिश्र :**
**श्री शिवचन्द्र झा :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के दरभगा रेडियो स्टेशन को अन्तिम रूप से स्वीकृति दे दी गई है परन्तु केवल धन के अभाव से इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका ;

(ख) यदि हां, तो व्यय की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या 1969 के दौरान इसे कार्यान्वित किया जायगा ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्री ( श्री के० के० शाह )** : (क) दरभंगा में एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति अभी तक नहीं दी गई है । तथापि, दरभंगा में एक रिकार्डिंग स्टूडियो स्थापित करना मान लिया गया है जिस पर पहले ही आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस अवस्था में निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

**ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों को नागरिकता का दिया जाना**

4969. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री को किसी संसद् सदस्य से ब्रिटेन में रहने वाले एक भारतीय के बारे में जो नागरिकता की सभी शर्तों को पूरा करता था परन्तु उसकी प्रार्थना इसलिये अस्वीकार कर दी गयी थी कि उसे नागरिकता के पंजीयन के लिये 'उपयुक्त' नहीं पाया गया, एक पत्र प्राप्त हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो पत्र में की गयी प्रार्थना पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या यह सरकार की नीति है कि जब भारतीय भारत की नागरिकता की मांग करें तो उन्हें ब्रिटेन की नागरिकता लेने की सलाह दी जाये ?

**प्रधान मन्त्री अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी )** : (क) जी हां । माननीय सदस्य का इस आशय का 27 अगस्त, 1968 का एक पत्र मिला था ।

(ख) इस मामले की सावधानीपूर्वक जांच की गई थी और माननीय सदस्यों को 14 अक्तूबर, 1968 को सूचित किया गया था कि संबद्ध व्यक्ति भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर होने के योग्य नहीं ठहरता लेकिन अगर वे स्थायी रूप से भारत में बसने के लिए लौटें तो इस तरह के रजिस्ट्रेशन के लिए उनकी प्रार्थना पर गुणदोष के आधार पर विचार किया जाएगा ।

(ग) जी नहीं । कोई भारतीय जब भारतीय नागरिकता के लिए कहे और वह इसके योग्य ठहरता हो तो भारत सरकार उसे यूनाइटेड किंगडम की नागरिकता ले लेने की सलाह नहीं दिया करती ।

**Aircraft Crash at Santa Cruz Airport**

4970. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an aeroplane of the Indian Air Force met with an accident at Santa Cruz Airport on the 29th September, 1968 ; and

(b) if so the causes of the accident ?

**The Minister of Defence ( Shri Swaran Singh )** : (a) and (b) : While landing at Santa Cruz airport on the 29 September, 1968, there was a burst of the starboard tyre of an aircraft. There was no other damage to the aircraft.

**Gandhi Jayanti Celebrations in Foreign Countries**

4971 **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the names and number of countries other than India in which Indian and foreign citizens had organised Gandhi Jayanti celebrations on the 2nd October, 68.

(b) the number of Indian Embasies abroad which did not organise Gandhi Jayanti celebrations this year ; and

(c) the reasons for which Gandhi Jayanti celebrations were not organised by them ?

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs ( Shrimati Indira Gandhi )** : (a) On the basis of available information, a list showing the names of countries where Gandhi Jayanti was celebrated on 2nd October, 1968 is laid on the Table of the House. [ **Placed in Library See No. LT-2764/68** ].

(b) Nine.

(c) Celebrations were not organised at some places where local conditions were not normal, or local response not adequate, or where the Government concerned desired to hold functions in 1969 the actual centenary year.

**चीन के साथ संबंधों के बारे में संसद सदस्यों का ज्ञापन**

4972. **श्री रवि राय** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक संसद् सदस्यों ने, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के लिये भेजे जानेवाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल का सदस्य चुना गया है, 160 संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत एक संयुक्त ज्ञापन का समर्थन किया है, जिसमें चीन की सरकार के रूप में पेकिंग की बजाय तैवान को मान्यता देने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री ( श्रीमती इन्दिरा गांधी )** : (क) जी हां। लेकिन संबद्ध सदस्य ने सरकार को यह आश्वासन दिया है कि इस प्रश्न पर वह सरकारी नीति का पूर्ण समर्थन करती है और प्रेस के बयान पर उन्होंने भूल से हस्ताक्षर कर दिए थे।

(ख) यह सम्मिलित प्रेस वक्तव्य एक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है, संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल और भारत सरकार की नीति को प्रतिबिम्बित नहीं करती।

**Concentration of Soviet Forces in the Mediteranean**

4973. **Shri Prakash Vir Shastri :**
**Shri Shiv Kumar Shastri :**
**Shri Ram Avtar Sharma :**

"Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Soviet Union has concentrated her forces equipped with atomic weapons in the Mediterranean Sea ;

(b) whether it is also a fact that the Soviet Union started concentrating her Navael forces last year after the conflict in West Asia; and

(c) if so, the reaction of Goverment thereto ?

**The Prime Minister Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :** (a) and (b) : We are aware of the persence of units of the Soviet fleet in the Mediterranean. We do not know nor are we likely to learn of its armaments.

(c) Government have no comments to offer.

**Expansion of Television**

4974. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
**Shri Valmiki Choudhary :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India is a most backward country in the field of television even as compared to Pakistan;

(b) if so, the measures being adopted by Government for the expansion of television service in the country as also for manufacturing cheap radio and television sets; and

(c) The provision proposed to be made for the purpose during the Fourth Plan period ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) :** (a) : India is not the most backward country in the field of television although it does lag behind Pakistan in this field.

(b) and (c) : The draft Fourth Five Year Plan of All India Radio provides for the setting up of TV stations at Bombay, Calcutta, Madras and Kanpur, besides the expansion of Delhi TV Centre at an estimated cost of Rs. 4,73 crores. It has also been decided to set up a TV station at Srinagar alongwith community viewing centres, at a cost of Rs. 1.67 crores.

Licences have been issued, both in the large and small scale sectors, for setting up a production capacity of 30,000 TV sets per annum. The indigenous television sets are expected to be available for sale to public shortly. The Prices of TV sets would come down when large production is established.

The radio industry is well developed and cheap radio receivers are being manufactured in the country. The firms in the small scale sector are generally engaged in the manufacture of cheap radio sets. Industrial licences issued to the radio manufacturers in the organised sector also stipulate that 75% of the production capacity will be for the manufacture of radio sets to be priced at less than Rs. 165/--per set.

## मंत्रियों द्वारा व्यापारियों को मिलने की अनुमति दी जाना

4975. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रीमंडलीय मंत्री उन व्यापारियों और उद्योगपतियों को बात चीत करने की अनुमति दे सकते हैं, जिनके विरुद्ध गम्भीर अपराधिक मामले और या/ आरोप के मामले लम्बित हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रियों को ऐसी मुलाकातें करने के लिये अनुदेश जारी करने का सरकार का विचार है ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** (क) और (ख): मंत्रीमडलीय मंत्री साधारणतया आगन्तुकों (मुलाकाती व्यक्तियों) के अनुरोध पर उनसे बातचीत करते हैं और अपने विवेक के अनुसार ऐसा करने के लिये सहमत होते हैं ।

इस विषय में कोई विशिष्ट अनुदेश नहीं हैं और किसी अनुदेश (हिदायत) का प्रस्ताव भी नहीं है ।

## Hindi Announcers

4976. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item regarding the interview of Hindi Announcers published in the Nav-Bharat Times of the 26th October, 1968;

(b) whether the General Secretary of the All India Radio Broadcasters and Telecasters Guild has "addressed a letter to him levelling charges" against the All India Radio for adopting irregular practices and wasting public money in this regard;

(c) if so, the details of the said letter; and

(d) the reaction of Government thereto ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) :** (a): Yes, Sir.

(b) Yes. Sir.

(c) In the letter, the All India Radio Broadcasters and Telecasters Guild has objected to the scrapping of the selections for Hindi Announcers of Delhi station and has asked for the restoration of the original selections.

(d) It has not been found possible to restore the original selections which were cancelled due to certain irregular administrative procedures. It has been decided to hold fresh selections in which those who were selected can compete.

## Pakistani Spies Found Around MIG Factory, Nasik

4977. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Pakistani spies were apprehended while moving around the MIG 21 factory in Nasik sometime ago; and

(b) if so, the details thereof and precautionary steps taken in this regard ?

**The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L.N. Mishra)** (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**Radio Sets in Ladakh**

4978. **Shri Kushok Bakula :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the total number of radio sets in District Ladakh in Jammu and Kashmir State and the number thereof with the Community Development Centres and private citizens, separately; and

(b) the steps being taken by Government to increase their number with the Community Development Centres ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) :** (a) The total number of radio sets in Ladakh District of Jammu and Kashmir State is 2,287 of which 2,147 are with private citizens and 140 in Community Development Centres.

(b) There is no Central Government scheme for increasing the number of radio sets with the Community Development Centres in Ladakh District at present but the matter will be considered in consultation with the State Government.

**Field Publicity in Leh and Kargil**

4979. **Shri Kushok Bakula :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no effective work is being done by the Field Publicity Departments in Leh and Kargil, because of the shortage of material and equipment; and

(b) the time by which Government would take steps to improve the situation ?

**The Minister of Information and Broadcastnig (Shri K.K. Shah) :** (a) and (b) : No, Sir. It is not a fact that no effective work is being done by the Field Publicity Units in Leh and Kargil. Nor is there any shortage of material and equipment as such with them. In order to further strengthen the units particularly to safeguard against casual breakdown in winter months, a stand-by projector and a generator are being added.

**A. I. R. Station at Kargil**

4980 **Shri Kushok Bakula :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to set up a Radio Station in Kargil;

(b) if so, the date by which it would be implemented; and

(c) whether Govt. have under consideration any scheme to set up a radio Station somewhere in District Ladakh in Jammu and Kashmir State ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) :** (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Action has already been initiated for setting up a radio station at Leh in the Ladakh District of Jammu and Kashmir State.

**प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कार्यवाही**

4981. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष द्वारा भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र में 25 अक्तूबर, 1968 को दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि सरकार द्वारा उन प्रतिवेदनों पर शीघ्रता से विचार न करने के कारण आयोग को सरकार को यह सिफारिश देनी पड़ी थी कि उक्त आयोग के प्रतिवेदनों पर विचार करने के लिये एक मंत्रिमंडल समिति की स्थापना की जानी चाहिये;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) आयोग के प्रतिवेदनों के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) से (ग) : आयोग के अध्यक्ष सम्भवतः आयोग के उस सुझाव की ओर ध्यान दिला रहे थे जिसमें इस बात का उल्लेख है कि मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले आयोग के प्रतिवेदनों पर एक मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा विचार कर लिया जाये। यद्यपि आयोग की सिफारिशों पर सरकार बड़ी गम्भीरता से विचार करती है, तथापि इस उद्देश्य के लिये मंत्रिमंडल के किसी विशिष्ट समिति की आवश्यकता का अनुभव नहीं किया गया है। आयोग द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रतिवेदनों को बड़ी शीघ्रता के साथ निपटाया गया है या इस समय उनकी समीक्षा हो रही है।

आयोग ने अब तक निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं :

1. नागरिकों की शिकायतें दूर करने से सम्बद्ध समस्याएं।
2. आयोजन के लिये शासन-तंत्र (अन्तः कालीन प्रतिवेदन)।
3. आयोजन के लिए शासन-तंत्र (अन्तिम प्रतिवेदन)।
4. सरकारी क्षेत्र के उद्यम।
5 वित्त, लेखा तथा लेखापरीक्षा।
6. आर्थिक प्रशासन।
7. भारत सरकार का शासन-तन्त्र तथा कार्य-विधि।
8. जीवन बीमा प्रशासन।

प्रथम चार प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों में से अधिकांश सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय कर लिये गये हैं, 103 सिफारिशों में से केवल 15 सिफारिशों पर अभी विचार किया जा रहा है, अन्य 4 सिफारिशों का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है।

पद संख्या 5 पर महालेखा परीक्षक के परामर्श से अन्तिम रूप से विचार करने का कार्य समाप्त होने की स्थिति में है और आशा है कि निकट भविष्य में ही निर्णय कर लिये जायेंगे। शेष प्रतिवेदन भी विचाराधीन हैं। पद संख्या 8 का प्रतिवेदन अभी-अभी प्राप्त हुआ है।

**Hindi Version of "Nuclear India"**

4982. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
**Shri Nar Deo Snatak :**

Will the Prime Minister be pleased to state ;

(a) whether Government propose to bring out a Hindi version of the monthly "Nuclear India" published by the Department of Atomic Energy, which is the only journal giving information regarding atomic science :

(b) if so, the time by which the said version is likely to be brought out; and

(c) if not, the reasons therefor ?

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :** (a to (c): There is no proposal at present to bring out a Hindi version of 'Nuclear India', as it deals with high scientific and technical matters and there are obvious difficulties in doing so.

**Indian Boy Travelling on a Bogus Passport to London**

4983. **Shri Bhola Nath Master :**
**Shri Ram Avatar Sharma :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a boy dressed as a girl obtained a passport for London in the name of Jogindar Kaur and on being detected there, he was sent back to India by the same plane by which he had flown to London; and

(b) if so, the action taken against the Officer concerned for issuing bogus passport ?

**The Prime Minister Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :** (a) and (b): The Matter is being looked into and a report will be laid on the Table of the House.

**Export of Indian Goods to Afghanistan and Pakistani Goods to Nepal**

4984. **Shri Sharda Nand :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Pakistan Government have refused to give permission for the transportation of Indian goods to Afghanistan via Pakistan;

(b) whether it is also a fact that Pakistani goods are exported to Nepal through India.

(c) if so, whether Government propose to impose restrictions on the transportation of Pakistani goods to Nepal through this country.

(d) if so, when; and

(e) if not, the reasons therefor ?

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :** (a) The Government of Pakistan have

not agreed to the transit of Indian goods to Afghanistan through West Pakistan by the traditional land route.

(b) to (e) : Pakistani goods intended for Nepal are allowed passage through the Port of Calcutta only. Pakistani goods, are not permitted to go direct from Pakistan to Nepal by land across Indian territory

## मन्त्रियों द्वारा संसद् सदस्यों के पत्रों के उत्तर

4985. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मंत्रियों तथा उनके मंत्रालयों को संसद् सदस्यों के पत्रों की पावती साधारणतया कितने समय में दे देनी चाहिये तथा तत्पश्चात् उनका पूरा उत्तर कितने समय में दे देना चाहिये ;

(ख) कुछ मन्त्रियों तथा उनके मंत्रालयों द्वारा ऐसे पत्रों की पावती न देने अथवा पावती देने के पश्चात् उत्तर न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस मामले में कुछ विशिष्ट हिदायतें देने का कोई प्रस्ताव है ?

**प्रधान मंत्री अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) से (ग) : इस प्रकार के अनुदेश (हिदायतें) पहले से ही हैं जिनमें सुझाव दिया गया है कि संसत्सदस्यों से प्राप्त होने वाले समस्त पत्रों की मंत्रालयों द्वारा उचित रूप से तथा आवश्यकता के अनुसार अभिस्वीकृति (पावती) देनी चाहिये। जिन पत्रों का उत्तर तत्काल न दिया जा सके उनके लिये अन्तरिम (अन्तः कालीन) उत्तर देना चाहिये। यह भी अनुदेश हैं कि ससत्सदस्यों से आने वाले पत्रों को प्राथमिकता दी जाये। इन अनुदेशों (हिदायतों) के प्रति मंत्रालयों का ध्यान पुनः आकर्षित किया जा रहा है।

## इलेक्ट्रानिक्स के विकास से संबधित भाभा समिति का प्रतिवेदन

4986. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक्स के विकास से सम्बन्धित भाभा समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) वर्ष 1966, 1967 तथा 1968 में अब तक कितना इलेक्ट्रानिक सामान तैयार किया गया है; और

(ग) इलेक्ट्रानिक उद्योग में उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल०ना० मिश्र)**(क) से (ग): देश में वैद्युती विकास के सम्बन्ध में भाभा समिति की सिफारशें स्वीकार करली है, और इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त कर दी है।

भाभा समिति रिपोर्ट ने इस बात पर बल दिया है कि वैद्युति मदों का उत्पादन 1964-65 में प्राप्य 25-5 करोड़ रुपयों से बढ़ा 1975 तक 300 करोड़ रुपयों तक कर देना चाहिये।

वैद्यूति मदों का गत दो वर्षों में और चालू वर्ष में प्रत्याशित उत्पादन नीचे दिया गया है :

| | |
|---|---|
| 1966-67 | 50 करोड़ रु० |
| 1967-68 | 65 करोड़ रु० |
| 1968-69 (प्रत्याशित) | 85 करोड़ रु० |

वैद्युति विकास के उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण उपायों में से हैं :

(1) विद्यूति संकटों के लिये लाईसेन्सी क्षमता निरन्तर पुनरीक्षण अधीन है, और बढ़ती हुई आवश्यकताओं का सामना करने के लिये पर्याप्त क्षमता स्थापित करने के लिये अग्रिम कार्य किया जा रहा है। उच्च गुणों के प्रौफेशनल वर्ग के संघटकों का उत्पादन स्थापित करने के लिये भी पट उठाये जा रहे हैं।

(2) परीक्षण यन्त्रों और कम्प्यूटरों के निर्माण के लिये प्रवर्धित क्षमतां स्थापित की जा रही है।

(3) रेडियो रिसीवरों, टी. वी. रिसीवरों और मनोरंजन साजसामान की अन्य मदों के निर्माण के लिये पर्याप्त क्षमता का निर्माण किया जा रहा है।

(4) वैद्यूती उद्योग के लिये आवश्यक साजसामान संघटकों और द्रव्यों के अनुसंधान और विकास के लिये कई एक प्रायोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(5) अपनी उत्पादन यूनिटों में अनुसंधान और विकास सुविधाओं का निर्माण करने के लिये निर्माता यूनिटों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अनुसंधान और विकास के लिये परीक्षण साजसामान के लिये उनके प्रार्थनापत्रों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है।

(6) अन्तरिक्ष सुरक्षा योजना के लिये आवश्यक रडारों और माईक्रोवेव प्रणालियों के लिये उत्पादन तथा लाइन संचार साजसामान का निर्माण स्थापित करने के लिये अतिरिक्त क्षमता स्थापित की जा रही है।

**बर्मा में निरुद्ध भारतीय राष्ट्रिकों को स्वदेश लौटाना**

4987. **श्री स० च० सामन्त :**
**श्री गेदव्रत बरुआ :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तथाकथित अपराधों के लिये बर्मा सरकार द्वारा निरुद्ध किये गये भारतीय राष्ट्रिकों को वापस लौटाने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई;

(ख) इन में से कुछ व्यक्तियों के निरुद्ध किये गये मुकदमों की अब क्या स्थिति है;

(ग) क्य बर्मा में भारतीय दूतावास को यह पता लगाने के लिये कि क्या उनसे उचित व्यवहार किया जा रहा है और क्या उन्हें अपना भोजन प्राप्त करने, अपना बचाव करने के

लिये सलाहकार रखने जैसी आवश्यक सुविधाएं दी गई है जेल में उनसे मिलने तथा उनकी शीघ्र रिहाई कराने और उनके मामलों को निपटाने के लिये बर्मा सरकार से राजनयिक स्तर पर बातचीत करने हेतु कोई हिदायतें दी गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) और (ख) : आर्थिक अपराधों के लिये 1964 में और बाद के वर्षों में जो 25 भारतीय राष्ट्रिक गिरफ्तार किये गये थे उनमें से 13 छोड़ दिये गये हैं और 12 के खिलाफ मामलों पर अभी विचार होना है। इन 12 में से 3 जमानत पर हैं, 3 अब भी जेल में हैं, समी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, और बाकी 6 के खिलाफ अभी मुकद्दमे की सुनवाई शुरु नहीं हुई। जो पहले ही रिहा किया जा चुके हैं, वे भारत प्रत्यावर्तन की विभिन्न स्थितियों में हैं।

नवम्बर 1967 में 36 भारतीय और गिरफ्तार किये गये थे, लेकिन उनके खिलाफ विशिष्ट आरोप नहीं बताये गये हैं और न ही उनके खिलाफ मुकद्दमा चलाया गया है। रंगून-स्थित हमारे राजदूतावास ने इस मामले को बर्मा के अधिकारियों के साथ उठाया है।

(ग) और (घ) राजदूतावास ने इस तरह के बंदियों से साक्षातकार करने के लिये और उनके प्रति उचित व्यवहार तथा पर्याप्त वैध सुविधाओं का सुनिश्चय करने के लिये हर संभव कार्यवाही की है।

## नई दिल्ली में नौसैनिक स्कूल, चाणक्यपुरी

**4988. श्री यशपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नई दिल्ली में नौसैनिक स्कूल चाणक्यपुरी के प्रबन्धकों का विचार जनवरी, 1969 से असैनिक कर्मचारियों के बच्चों की ट्यूशन फीस मनमाने रूप से 20 रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 25 रुपये प्रतिमास कर देने का है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने इसका अनुमोदन किया था;

(ग) क्या यह स्कूल मान्यता प्राप्त है और क्या उसे कोई सरकारी सहायता दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी सहायता दी जा रही है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्णसिंह)** : (क) से (घ) : नौसैना प्राईमरी स्कूल चाणक्यपुरी की बैरकों मे मुख्यत: नाविकों के कल्याण के लिये चाणक्यपुरी में एक निजी संस्थान के तौर पर चलाया गया है। संस्थान को अभी मान्यता प्राप्त नहीं है, और सरकार से उसे कोई अनुदान प्राप्त नहीं होती। स्कूल के प्रसार और शिक्षात्मक सुविधाओं में सुधार के लिये मैनेजिंग कमेटी ने लगता है असैनिकों के बच्चों की फीस 20 से 25 रुपये प्रतिमास से बढ़ा देने का फैसला किया है।

**Allocation of Subjects Among Various Ministers**

4989. **Shri Molahu Prasad :** Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) the names of the subjects allotted to each Minister, Deputy Minister and Minister of State, separately, out of the subjects for which the Government of India are responsible; and

(b) the subjects of the States, where there is President's Rule now, allotted to the Union Ministers, Minister-wise ?

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :** (a) and (b): The Orders of the President appointing Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers specify the portfolios of the Ministers and Ministers of State who are given independent charge of Ministries/Departments. In the case of others only the names of the Ministries/Departments to which they are attached, are given. No general or special Rules have been made by the President or the Prime Minister relating to the division of work among the Ministers of State and Deputy Ministers falling in the latter category. The Minister in charge of a Ministry/Department is ultimately responsible for the transaction of business allotted to that Ministry/Department, and the division of work within the Ministry/Department is regulated from time to time by laying down the category or classes of cases which would be disposed of by the Ministers of State or Deputy Ministers, as the case may be.

**एच० एस० 748 विमान**

4990 **श्री हिम्मतसिंहका :**
**श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में एच० एस० 748 नामक एक नये विमान का डिज़ाइन तैयार किया है तथा उसका विकास किया है, यह विमान यात्री तथा यात्री-एवं माल यातायात के लिये उपयुक्त होगा;

(ख) यदि हां, तो इस विमान की मुख्य-मुख्य बातें क्या है;

(ग) क्या यह विमान इण्डिया एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा अब भी प्रयोग में लाये जा रहे डकोटा विमानों के स्थान पर प्रयोग में लाने के लिये उपयुक्त होगा और यदि हां, तो क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे डकोटा विमानों के स्थान पर प्रयोग में लाने के लिए पर्याप्त संख्या में एच० एस० 748 विमान खरीदने के लिये हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड को आदेश दिये गये हैं;

(घ) क्या यह विमान भारतीय वायु सेना के सैनिक प्रयोग के लिये उपयुक्त होगा; और

(ङ) यदि हां, तो भारतीय वायु सेना के लिये ऐसे कितने विमान खरीदे जा रहे हैं तथा भारतीय वायु सेना उनका कैसे उपयोग करेगी और विभिन्न फर्मों से एच० एस० 748 विमान के लिये कुल कितने क्रयादेश मिले हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):** (क) एच ए एल ने एच० एस० 748 नाम के किसी नये विमान का अभिकल्पन और विकास नहीं किया

है यह विमान एच ए एल द्वारा हाकर सिडले एविएशन लिमिटेड, यू० के० से लाइसेंस के अन्तर्गत बनाया जा रहा है। यह विमान यात्रिक तथा सीमित सामान परिवहन के लिये उपयुक्त है।

(ख) यह एक टर्बो प्रापेलर विमान है, जिसकी 12000 से 20000 फुट की ऊंचाई पर साधारण सक्रियात्मक गति 225-250 नाट है। यह 40 से 52 तक यात्री ढो सकता है। इसकी सीटें अलग की जा सकती है।

(ग) यह विमान डकोटा विमान का स्थान ले लेने के योग्य है। आई० ए० सी० ने अपनी सेवा के डकोटों का स्थान लेने के लिए कई एच० एस० 748 विमानों का आर्डर दिया है।

(घ) तथा (ङ): आई० ए० एफ० द्वारा यह विमान महान विभूतियों और प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। आई० ए० सी० ने 14 विमानों के लिए आर्डर दिया है। कुछ आर्डर आई. ए. एफ. द्वारा भी दिए गए हैं, परन्तु उनकी संख्या प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

## श्री रिचर्ड निक्सन का विद्रोही नागाओं को तथाकथित पत्र

**4991. श्री स्वैल:** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागा नेशनल कौंसिल के वाइस प्रेजीडेंट के इस दावे की जांच की है कि उसके पास अमरीका के राष्ट्रपति, श्री रिचर्ड निक्सन का एक पत्र है जिसमें उन्होंने नागा नेशनल कौंसिल को सहायता देने का आश्वासन दिया है;

(ख) क्या कोई ऐसा पत्र विद्यमान है; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में मिस्टर निक्सन से कोई पत्र व्यवहार किया है ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):** (क) से (ग): 1967 के आखीर में छिपे नागाओं ने जानबूझकर शरारत करके यह कहानी उड़ा दी थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सदस्य उनके साथ हमदर्दी रखते हैं और उन्हें श्री रिचर्ड निक्सन से इस आशय का एक पत्र मिला है। वाशिंगटन-स्थित हमारे राजदूतावास ने श्री निक्सन के कार्यालय से पूछताछ की है कि और उन्हें आश्वासन दिलाया गया है कि श्री निक्सन द्वारा छिपे नागाओं को इस तरह का कोई पत्र नहीं भेजा गया है। भारत में अमरीकी राजदूत ने भी इस आरोप की स्पष्ट अस्वीकृति प्रकट की है

## शंघाई में रहने वाले सिख परिवारों की गिरफ्तारी

**4992. श्री बाबूराव पटेल :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन की सरकार ने शंघाई में रहने वाले 15 भारतीय सिख परिवारों को अचानक गिरफ्तार कर लिया है तथा उन्हें उनकी सम्पत्ति, पशुधन तथा उनके अन्य सामान से वंचित कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक सिख को 7 फुट लम्बी तथा 4 फुट चौड़ी कोठरी में बन्द कर दिया गया था, उसे सभी प्रकार के क्रियाकलापों, दर्शकों तथा जल से भी वंचित कर दिया गया था और उसे दिन रात अत्यधिक यंत्रणा दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन भारतीय सिखों को बचाने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री ( श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी नहीं।

(ख) चीनी प्राधिकारियों ने मनमाने आरोप लगा कर एक सिख भारतीय राष्ट्रिक को गिरफ्तार कर लिया था और उसके साथ दुर्व्यवहार किया था।

(ग) गिरफ्तारी की खबर सुन कर पीकिंग-स्थित भारतीय राजदूतावास ने उन पर लगाए गए अस्पष्ट आरोपों के खिलाफ और उनके लिए कौंसली सुविधाएं अस्वीकार कर देने के खिलाफ चीनी प्राधिकारियों से विरोध प्रकट किया। चीन में भारतीयों के वैध हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने सभी सम्भव कदम उठाए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**Adult Education Programme in Gorakhpur Circle**

4993. **Shri Molahu Prasad** : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether it is a fact that adult education programme was started in one Gram Sabha under each Gram Sewak's area in Gorakhpur Circle from the 26th January, according to the District Planning Officer, Gorakhpur, Uttar Pradesh, d. o. letter No. Pan / 65-66 dated the 27th December, 1965;

(b) whether it is also a fact that the said programme was launched as a pilot project in Charganva, Bhathat and Pipraich Development Blocks of District Gorakhpur; and

(c) if so, the details of the progress made in the said programme ?

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs ( Shrimati Indira Gandhi )** : (a) to (c): The necessary information is being collected from the Uttar Pradesh Government and will be placed on the Table of the House as soon as it is received.

## संयुक्त राष्ट्र संघ को जाने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल किये गये संसद्-सदस्य

4994. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल किये पांच कांग्रेसी संसद-सदस्यों के नाम क्या है;

(ख) सरकार द्वारा अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यों का नामांकन न करने के क्या कारण है;

(ग) इस प्रतिनिधिमंडल पर कितना व्यय हुआ और इससे देश को क्या लाभ हुआ;

(घ) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ को जाने वाले ऐसे विशेष प्रतिनिधिमंडलों में केवल कांग्रेस पार्टी के सदस्य ही जा सकते हैं; और

(ङ) उनके लिये कितनी विदेशी मुद्रा दी गयी ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री ( श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) 1. श्री शांतिलाल कोठारी

2. कुमारी मेरी नाइडू

3. श्री के० आर० गणेश

4. श्री एम० एन० नागनूर

5. श्री टी० एच० सोनवणे

(ख) और (घ): यह प्रतिनिधिमडल सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और स्वभावतः इसमें सिर्फ़ वे ही सदस्य शामिल किए जाते हैं जो सरकार की नीति से सहमत हों ।

(ग) समूचे प्रतिनिधिमंडल का खर्च, जिसमें पांच संसद सदस्य भी शामिल हैं, अनुमानतः 6,40,986 रुपये है । पांच संसद सदस्यों पर अनुमानतः 2,06,332 रूपये का खर्च आएगा । संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का भाग लेना सदस्य राज्य के रूप में आवश्यक है और हमारे लिये निश्चय ही लाभदायक ।

(ङ) समस्त भारतीय प्रतिनिधिमंडल पर होने वाले कुल खर्च में 4,83,582.00 रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा का भी खर्च होने का अनुमान है ।

## हज यात्री

**4995. श्री बाबूराव पटेल** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968 के दौरान लगभग 15,000 से अधिक हज जाने वाले मुसलमान यात्रियों को 2,50,000 रु० से अधिक की विदेशी मुद्रा प्रदान की गयी थी; और

(ख) विदेशी मुद्रा के वर्तमान संकट के दिनों में इतने अधिक भारतीय मुस्लिम राष्ट्रिकों को हज मे जाने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) 1968 में हज के लिए भारतीय यात्रियों के लिए 2,36,25,000/- रु० की विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की गई थी ।

(ख) भारत के विदेशी मुद्रा के संसाधनों के अनुरूप और इस बारे में विगत वर्षों की प्रथा के अनुरूप हज यात्रियों की संख्या 15,000 सीमित कर दी गई थी।

### राजस्थान में अणु शक्ति केन्द्र

4996. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के अणु शक्ति केन्द्र का 40,00,000 किलोवाट क्षमता शक्ति तक विस्तार करने के सम्बन्ध में जिनके लिये भारत तथा कनाडा की सरकार के बीच 1966 में करार पर हस्ताक्षर किये गये थे, अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री ( श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** राजस्थान परमाणु बिजली घर में दो-दो सौ मेगावाट क्षमता के दो यूनिट होंगे। दोनों यूनिटों को स्थापित करने के लिये मंजूरी दे दी गई है तथा इनका निर्माणकार्य प्रगति पर है। आशा की जाती है कि पहला यूनिट सन् 1971 के आरम्भ में तथा दूसरा सन् 1973 में चालू हो जायेगा।

### हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड

4997. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 की रिपोर्ट के अनुसार हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड की उत्पादनकता कम रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) समूची मशीनरी में तीव्रता लाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ताकि उत्पादन को सन्तोषजनक स्तर पर लाया जाये ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) जी हां। 1967-68 वर्ष के दौरान हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के बंगलौर डिवीजन में उत्पादन कम रहा है।

(ख) और (ग): निपज, तकनीकी तथा उत्पादन समस्या और आवश्यक सप्लाईयों की प्राप्ति में विलम्ब के कारण प्रभावित हो रही है। हाल ही में बगलौर डिवीज़न का विस्तृत निरीक्षण किया गया था, और उसकी निष्पति में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालिज हैदराबाद से एक दल की सहायता से उत्पादन आयोजन विभाग को विशेषरूप से पुनर्संठित किया जा रहा है। हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के पुनर्संठन के सम्बन्ध में एरोनाटिक्स कमेटी ने भी कई सिफारिशें की हैं, और इन सिफारिशों के आधार पर कम्पनी के संगठनात्मक ढांचे में आवश्यक परिवर्तन किए जा रहे हैं। आशा हैं कि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के कृत्य में सुधार के सम्बन्ध में कमेटी और सिफारिशें करेगी।

### परमाणु खनिज संस्थानों की खोज

4998. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के परमाणु खनिज संसाधनों की बड़ी मात्रा का अब तक पता नहीं लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस सम्बन्ध मे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठता।

**Vividh Bharati Programme Presented by Film Artists**

4999. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some film artistes present programmes for Jawans in the Vividh Bharati Programme; and

(b) if so, the nature of those film artistes who have presented these programmes during the last eleven months and the amount paid to each of them as remuneration ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah)** : (a) Yes, Sir.

(b) A statement showing the names of film artistes who presented special 'Jayamala, programmes for the Armed Forces from Vividh Bharati during the last eleven months (from 1.1.68 to 30.11.68) is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No LT-2765/68]. As regard the amount paid to each of these artistes, the information is being collected and will be laid on the Table of the House later on.

**योजना की कुछ मदों का ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाया जाना**

**5000.** श्री लोबो प्रभु : क्या प्रधान मंत्री 20 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1430 के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में उत्पन्न हुए रोजगार के 140 लाख 40 हजार अवसरों में से ग्रामीण क्षेत्र में कुल 40 लाख अवसर उत्पन्न हुए हैं और संतुलन बनाने के लिये योजना की किन मदों को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाया जा रहा हैं; और

(ख) क्या योजना आयोग का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में सेना का स्तर बढ़ाने हेतु तारकोल की सड़कें, दुकानें, होटल तथा सिनेमा जैसी अन्य सुविधाओं के लिए निदेशक योजना का समर्थन करने का है ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) और (ख): ग्रामीण क्षेत्र में उत्पन्न हुए रोजगार के अवसरों में केवल कृषि सम्बन्धी व्यवसायों में उत्पन्न रोजगार ही, जिसका अनुमान 40 लाख का है शामिल नहीं हैं बल्कि सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, आवास, स्कूलों, ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों व सेवाओं

में हुए विकास के परिणामस्वरूप उत्पन्न गैर-कृषि रोजगार भी शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न हुए रोजगार के कुल अवसरों की सूचना दे पाना सम्भव नहीं है क्योंकि इन अन्य क्षेत्रों के अन्तर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हुये निवेश के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि, लघु सिंचाई, ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों, ग्रामीण संचार, ग्रामीण स्कूलों, अस्पतालों आदि की वृद्धि को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इससे आशा है ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का विकास सुनिश्चित रूप से अधिक तीव्रता से होगा। चौथी योजना में शामिल किये जाने वाले कार्यक्रमों का ठीक-ठीक ब्यौरा अभी अन्तरिम रूप से तैयार किया जाना है।

**सन्देक गांव के निकट पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ी**

**5001. श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने भूमि नियमों का उल्लंघन करते हुए फिरोजपुर में संदेक गांव के निकट हुसैनीवाला सीमा के 150 गज के अन्दर एक सैनिक टुकड़ी तैनात कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की हैं ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) और (ख): पाकिस्तानियों ने सांघेरके में, उल्लोके स्थित भारतीय पिकेट के सामने वाली सीमा पर, 150 गज के भीतर कोई नयी चौकी नहीं बनाई है।

सांघरेके में इस समय जो चौकी है वह 1962 से चली आ रही है। पाकिस्तानी पक्ष का यह कहना है कि सीमा से 150 गज से अधिक फासले पर है।

**Allotment of Land to Ex-Servicemen**

**5002. Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether land is being allotted to ex-servicemen in District Aligarh (U. P.) and if so, the acreage of land allotted to them during the last two years and the number of ex-servicemen who were allotted land there;

(b) the names of the places where the land has been allotted and the basis of this allotment; and

(c) whether the State Government also undertakes transfer of land belonging to ex-servicemen from one district to another and if so, the details regarding the distribution of land in various districts as also the names of those districts ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) :** (a) to (c): The information has been called for from the State Government and will be laid on the Table of the House when received.

**कलकत्ता में रहने वाले चीनियों को साम्यवादी चीन के धन का प्राप्त होना**

5003. **श्री देवकीनन्द्रन पाटोदिया** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में रहने वाले चीनियों को बड़ी संख्या में साम्यवादी चीन से धन मिल रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली स्थित चीनी दूतावास वितरण ऐजेन्सियों के रुप में कार्य कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने कार्य प्रणाली का पता लगाने का प्रयत्न किया है और क्या इस बात को सुनिश्चित किया है कि वह धन देश में नक्सलवादियों के हाथ में न जाये ?

**प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी नहीं।

(ख) कलकत्ता में कुछ चीनी राष्ट्रिकों को नई दिल्ली स्थित चीनी राजदूतावास से थोड़ा-थोड़ा धन मिला है।

(ग) यह रकम साधारणतः चीनी राजदूतावास द्वारा मनीआर्डर से भेजी जाती है। इस प्रकार के मनीआर्डरों के पाने मात्र से ही कानून के अन्तर्गत कार्रवाई नहीं की जा सकती लेकिन धन पाने वालों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है।

**राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक**

5004. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में क्या निर्णय किये गये ?

**प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद के मुख्य मन्त्रियों की समिति की बैठक 29 नवम्बर, 1968 को नई दिल्ली में हुई।

(ख) समिति ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यों द्वारा अधिक संसाधनों को जुटाने के प्रश्न पर विचार किया। इस सम्बन्ध में विभिन्न सुझाव दिए गए और उन पर विचार-विमर्श हुआ। इस विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों से निवेदन किया गया है कि वे अपने प्रस्तावों को तैयार कर, योजना आयोग को भेज दें।

**Selection of N.C.C. Cadets to Indian Military Academy**

5005. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that twenty five percent of the Cadets of N.C.C. are selected to the Indian Military Academy and if so, the basis on which they are selected ;

(b) the number of cadets selected during the last five years, year-wise ; and

(c) whether said facility has been discontinued this year and if so, the reasons therefor?

**The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M R. Krishna)** : (a) to (c) : Although earlier a larger number of ex- N.C.C. cadets were taken into the Indian Militry Academy, since 1965 arrangements have been made for 32 ex-N.C.C. cadets to be admitted into the Indian Military Academy, so that, after allowing for wastage, an output of 30 Commissioned Officers is ensured.

The numbers of ex-N.C.C. cadets granted Permanent Commissions through the Indian Military Academy during the last five years are :-

| | |
|---|---|
| 1964 | 64 |
| 1965 | 66 |
| 1966 | 27 |
| 1967 | 50 |
| 1968 | 51 |

This intake comprises the entries through Officers Training Unit, which is still continuing, as well as the entry of "C" Certificate N.C C. Cadets, which has been discontinued. These figures also cover some additional intake which was arranged in some years to cover up the deficiencies through other types of entry.

No decision has been taken to stop the intake of ex-NCC cadets through the officers Training Unit Scheme.

**Delegations to be sent Abroad**

5006. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state

(a) the number of Members of Parliament or delegations which are likely to go abroad in the near future on behalf of the central Government ; and

(b) the criteria on which the names of the Members are to be selected for these delegations?

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi)** : (a) At present there is a proposal under consideration to send about seven delegations of Members of Parliament to various countries in Africa and Asia during 1969. The number of M.Ps. in each delegation is not yet decided.

(b) While there is no fixed criterian for the selection of Members of Parliament for the delegation, due care is taken to see that the delegation is representative in character.

**Indian Nationals living in Foreign Countries**

5007. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of External Affairs be pleased to state the steps being taken for the safety of the property of Indian Nationals living in the various countries of the world and for their cultural and social Development ?

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :** Our missions abroad have standing instructions to watch over all aspects of Indian nationals abroad. Appropriate action is taken with the concerned Governments if any problem arises concerning their assets.

Indian communities abroad are encouraged to maintain cultural and other contacts with India, and Indian missions try to present a total picture of India in all aspects.

**Research Programme Committee of Planning Commission**

5008. Shri Brij Raj Singh Kotah : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Research Programme Committee of the Planning Commission has entrusted the work of conducting survey on industrial development and urbanisation in the prominent cities of the South-Eastern Rajasthan to the University Commerce School ;

(b) if so, the time by which the survey would be completed ; and

(c) the procedure of working of the team or experts appointed for the survey work?

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :** (a) The planning Commission (Research Programmes Committee) have sponsored a study on "Urbanisation, Growth Potential and Optimisation of Industrial location in South East Rajasthan" It has been entrusted to the School of Commerce, University of Rajasthan.

(b) The study is scheduled to be completed by September, 1969.

(c) The study for which the methodology and other technical details have been laid down, is being directed by Dr. Om Prakash, Professor and Director of the School of Commerce. He is assisted by a team of paid Research Staff.

**Vigilance on Northern part of the Indian ocean**

5009. **Shri Brij Raj Singh Kotah :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some newspapers have published reports to the effect that Government should exercise strict vigil on the northern part of the Indian Ocean so that territorial integrity of the country is not endangered ; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard?

**The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :** (a) and (b) : Although no such reports have come to Government's notice, Government keep a close watch on any developments in the Indian Ocean which may have a bearing on the territorial intergrity of the country. All possible steps will be taken to safeguard the country's territorial integrity.

**ब्रिटेन के वैदेशिक-कार्य तथा राष्ट्रमंडल सचिव से वार्ता**

5010. श्री स० कु० तापड़िया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सीताराम केसरी :
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री अदिचन :
श्री म० ला० सोंधी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के वैदेशिक-कार्य तथा राष्ट्रमण्डल मंत्री ने भारत-पाक संबंधों विशेष कर काश्मीर के मामले के बारे में पाकिस्तान में दिये गये अपने वक्तव्यों के कारण उत्पन्न कुछ प्रभावों की व्याख्या करने तथा उसके बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए हाल ही में नई दिल्ली का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरणों का सार क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** ( क ) जी नहीं। वे भारत सरकार के नियंत्रण पर भारत की यात्रा पर आए थे।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता। लेकिन, भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार की इस घोषणा का स्वागत किया है कि पाकिस्तान के साथ मसलों को जहां तक हो सके द्विपक्षीय आधार पर निबटाना चाहिए।

**डायमण्ड हारबर जल कपाट**

**5011. श्री कं० हाल्दर :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुरक्षित स्थान होने के नाते डायमण्ड हाल्दर के जलकपाट सेना के अधिकारियों के नियंत्रण में हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन जलकपाटों की अनेक वर्षों से न तो मरम्मत की गई है और न ही वहां से रेत निकाली गई है जिसके फलस्वरूप खेती योग्य एक बड़े भू-भाग में पानी भर जाता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार जब कभी सिंचाई प्रयोजनों हेतु आवश्यक हो लोगों के प्रतिनिधियों को उस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने का है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सेना के अधिकारियों की अनुमति लेना आवश्यक होगा ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) :** (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा के पटल पर रखदी जाएगी।

## नौ सेना में मछुग्रों की भर्ती

5012. **श्री लोबो प्रभु :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री 27 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2316 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इसका पता लगाने का है कि नौसेना में मछुग्रों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है ;

(ख) क्या सरकार ने नौसेना में ऐसे व्यक्तियों की भरती करने के फायदों की जांच की है जिनको जल के सम्बन्ध में प्राकृतिक रूप से ज्ञापन प्राप्त है और यदि हां, तो इसके लिए क्या उपाय निर्धारित किए गये हैं ; और

(ग) क्या इस आशय के अनुदेश है कि नौसेना के भर्ती अधिकारियों को तटीय क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये और यदि हां, तो दक्षिण कनारा जिले से नौसेना में मछुए भर्ती न करने के क्या कारण हैं ?

**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) चूंकि नौसेना में भर्ती संप्रदाय के आधार पर नहीं की जाती । यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) सागर जीवन में रूचि, नौसेना में शामिल होने की अनेक आवश्यक गुणों में से केवल एक है, और सभी पहलुग्रों को ध्यान में रखते हुए यथा सम्भव उत्तमतम भर्ती की जाती है ।

(ग) जी नहीं ।

## Talks by M. Ps. on A.I.R.

5013. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state :

(a) the number of Members of Parliament invited by the All India Radio to express their views on different occasions last year and the number of times each M.P. was invited ;

(b) the basis of their selection and whether any specific procedure is being followed by the A I.R. for this purpose and if so, the details thereof ; and

(c) whether A.I.R. has issued directions to various Stations in regard to broadcasting views and news of M.Ps. and if so, the nature thereof ?

**The Minister of information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) :** (a) 131. Information in regard to the number of times each M. P. was invited to broadcast during last year is being collected and will be laid on the Table of the House. The list of M.Ps. who were invited has been laid on the Table of the House in answer to Unstarred Question No 6279, dated the 28th August, 1968.

(b) Considerations which guide AIR in the selection of participants including Members of Parliament for its programmes are :-

(i) the nature of subject to be dealt with ;

(ii) the standing of a particular individual in his/her respective sphere of activities; and

(iii) the suitability of the person from the point of view of the special requirements of the broadcasting medium.

(c) No Sir.

## दिल्ली के योजना परिव्यय में कटौती

5014. श्री म० ला० सोंधी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने दिल्ली प्रशासन की दिल्ली योजना परिव्यय के सम्बन्ध में 405 करोड़ रुपये की मांग के विरुद्ध इसमें कटौती कर 225 करोड़ रुपये कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : दिल्ली प्रशासन से प्राप्त प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

## Statement by Head Lama of Ladakh to Support Dalai Lamat at U. N.

5015. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a statement made by the Head Lama of Ladakh recently wherein he has requested Government to sponsor and support the Dalai Lama in the United Nations; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister Minister, of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Government have seen Press reports to this effect.

(b) Government has supported in the past and will support any resolution in the U. N. General Assembly calling for the cessation of practices which result in the deprivation of fundamental human rights in Tibet.

## समाचार पत्रों में साम्प्रदायिक भावना फैलाने वाले लेखों पर प्रतिबन्ध

5016. श्री रा० कृ० सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1968 के आरम्भ में सूचना मन्त्रियों के क्षेत्रीय सम्मेलन में समाचार पत्रों में साम्प्रदायिक भावना फैलाने वाले लेखों पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई थी, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : समाचारपत्रों में साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले लेखों से निबटने के प्रश्न पर हाल ही में सूचना मन्त्रियों के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रीय सम्मेलनों में चर्चा की गई थी । सम्मेलन इस बात पर

एकमत थे। कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें साम्प्रदायिक प्रकार के लेखों की कड़ी जांच करती रहें। न मानने पर, अभ्यस्त दोषों समाचारपत्रों के विरुद्ध कानून के अन्तर्गत मुकदमा चलाना होगा। यह स्वीकृत हुआ था कि इस प्रकार के मामलों में सरकारी विज्ञापन देने में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच एक समन्वित दृष्टिकोण रखा जाए।

## भूटान के लिए नया संविधान

5017. **श्री सीताराम केसरी :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नया संविधान तैयार करने के लिए भूटान सरकार ने भारत से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## विद्रोही नागा नेता का चीन से वापिस लौटना

5018. **श्री सीताराम केसरी :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिजो समर्थक फेडरेशन नेता 'जनरल' मोवा चीन से सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर कुछ नागा लोगों के साथ भारत वापिस लौट आया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके भारत वापिस लौटने तथा फिजो समर्थक द्वारा युद्ध की तैयारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) और (ख) : सरकार को जो सूचना मिली है उसके अनुसार छिपे नागाओं के नेता मौवू अंगामी चीन में प्रशिक्षित नागाओं के एक दल के साथ अगस्त से नागालैंड की सीमा पर बर्मा में हैं और नागालैण्ड में घुसने का प्रयत्न करते रहे हैं लेकिन अभी तक सफल नहीं हुए हैं। ऐसा समझा जाता है कि मौवू अंगामी ने अपने दल को दो भागों में बांट दिया है जिससे कि वे नागालैण्ड में आसानी से घुस सकें। हमारी सुरक्षा सेना इन सब बातों के प्रति सजग है और इन दलों को घुसने से रोकने के लिये उसने आवश्यक उपाय कर लिये हैं। अगर ये दल किसी तरह आने में सफल हो गए और इन्होंने उपद्रव करना फिर शुरु किया तो हमारी सुरक्षा सेनाएं इस स्थिति में है कि उनसे कारगर तरीके से निपट सकें।

**सक्रिय (लाइव) ट्रांसमीटर पर काम करने वाले आकाशवाणी के मैकेनिक**

5019. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 16 महीनों में छः व्यक्ति दुर्घटना के कारण मर गए है क्योंकि आकाशवाणी के मैकेनिकों को उनके अधिकारियों ने सक्रिय ट्रांसमीटर पर काम करने के लिये बाध्य किया था,

(ख) क्या इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप एक मजदूर भी मर गया था,

(ग) क्या सुरक्षा विनियमनों के अधीन कोई अधिकारी मैकेनिकों को गरम तार पर काम करने के लिये कह सकता है,

(घ) यदि नहीं, तो क्या इसका पता लगाने के लिये कोई उच्चस्तरीय जांच की गई है, और

(ङ) ऐसे आदेश किस प्रकार दिये गये और मृत तथा घायल कर्मचारियों को प्रतिकर दिया गया है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) :** (क) जी नहीं। आकाशवाणी के मैकेनिकों को ट्रांसमीटरों के चलते समय खतरे वाले स्थानों पर कार्य नहीं करना होता। गत 16 महीने के दौरान 5 दुर्घटनाएं हुई जिनमें ट्रांसमीटरों पर कार्य करते हुए छः व्यक्ति अर्थात तीन मैकेनिक, एक क्लीनर, एक सीनियर इन्जीनियर सहायक और एक खलासी ग्रस्त थे। इनमें से एक दुर्घटना, जिसमें एक मैकेनिक ग्रस्त था, घातक थी और अन्य दुर्घटनाएं लघु प्रकार की थीं।

(ख) जी, हां। इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप एक मैकेनिक की मृत्यु हो गई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जांच की गई थी और यह पाया गया कि मृत को खतरे वाले स्थानों पर कार्य नहीं करना था। परन्तु संयोगवश उसका एक खतरे वाले स्थान से सम्पर्क हो गया।

(ङ) मृत के परिवार को स्टाफ के सदस्यों द्वारा दी गई एच्छिक सहायता के अतिरिक्त 1,000 रुपये का अनुग्रह पूर्वक अनुदान दिया गया है। मृत की विधवा को ग्रेच्यूटी और असाधारण पेंशन देने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। भारत की अनुग्रह निधि से अनुदान देने का एक प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन हैं। पांच अन्य व्यक्तियों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया, क्योंकि दुर्घटनाएं बहुत ही छोटी प्रकार की थीं।

**उपग्रहों को छोड़ा जाना**

5020. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपग्रहों के छोड़े जाने की नई परियोजना के लिये और उपग्रह केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन स्थानों का चुनाव अन्तिम रूप से कर लिया गया है ?

**प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) जी हां ।

(ख) जी अभी नहीं ।

**काश्मीर के विकास के बारे में गजेन्द्र गडकर आयोग का प्रतिवेदन**

5021 **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर के सामाजिक तथा अन्य क्षेत्रीय महत्व को देखते हुए गजेन्द्र गडकर आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया है कि इसके विकास के लिये केन्द्रीय सरकार को विशेष सहायता देनी चाहिये;

(ख) यदि हां, तो इस समय केन्द्र द्वारा राज्य की विकास योजनाओं के लिये कितनी सहायता दी जा रही है; और

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) से (ग) : गजेन्द्र गडकर आयोग जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था । अतः इस आयोग के प्रतिवेदन पर कार्रवाई करना, मुख्यतः जम्मू तथा कश्मीर सरकार की जिम्मेदारी है । फिर भी, यह कहा जा सकता है कि राज्य की वार्षिक योजना 1968–69 के लिये सारी वित्तीय व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जायेगी ।

**अणु शक्ति विभाग में अराजपत्रित अनुसचिवीय कर्मचारी**

5022 **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अणु-शक्ति विभाग में अस्थागी अराजपत्रित अनुसचिवीय कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों ने 1 जुलाई, 1968 को 3 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पूरी करली थी; और

(ग) उनको स्थायी या अर्द्धस्थायी घोषित करने के क्या कारण हैं ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) 1648

(ख) 915

(ग) 1–7–1968 को जिन कर्मचारियों ने 3 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया है उनके मामले विचाराधीन हैं तथा उनमें से जो स्थायीकरण के लिये निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं को स्थायी । स्थायीवत् करने का कार्य किया जा रहा है ।

**विदेशों में भारतीय दूतावासों के बारे में विदेश सेवा निरीक्षकों की सिफारशें**

5023 : **श्री लतीफ अली खां** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री विदेशों में भारतीय दूतावासों के बारे में विदेश सेवा निरीक्षकों की सिफारिशों के बारे में विदेश 4 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3204 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंदन में स्थित भारतीय उच्चायुक्त में जिन 253 पदों को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी उनमें से 110 पदों का समाप्त करने में और कितना समय लगने की संभावना है;

(ख) 110 पदों को समाप्त करने में विलम्ब के कारण कुल कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई; और

(ग) विभिन्न मंत्रालयों, विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को अलग-अलग कुल संख्या क्या है और उन पर प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) सम्बन्धित मन्त्रालयों,/विभागों द्वारा विदेश सेवा निरीक्षकों की सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित करने के प्रयास जारी हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2766/68]**

**पूना छावनी बोर्ड**

5024 : **श्री हेमराज** ; क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि सिविल एरिया कमेटी द्वारा मकानों के लिये जारी किये गये आवेदन पत्रों से प्राप्त आय छावनी बोर्ड, पूना को नहीं मिल रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में छावनी बोर्ड के अधिकारियों को समाप्त करने के क्या कारण है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्णसिंह)** : (क) भवनों के लिये अनुमति के सम्बन्ध में पूना छावनी बोर्ड द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इसलिये भवनों के निर्माण के लिये प्रार्थना पत्रों के कारण हुए राजस्व में ह्रास का प्रश्न उठता ही नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**प्रधान मंत्री की लातीनी अमरीकी देशों की यात्रा के समय भारतीय दूतावासों द्वारा प्रचार पर किया गया व्यय**

5025 : **श्री मधु लिमये** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री की लातीनी अमरीकी देशों की यात्रा के समय भारतीय दूतावास द्वारा और उसके पहले प्रचार पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ख) क्या यात्रा तथा उसके प्रचार पर किये गये व्यय को सरकार आवश्यक समझती है ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) : 106074/95/= रु० (एक लाख छह हजार चौहत्तर रुपये और पिच्चानवें पैसे)।

(ख) : जी हां।

**परमानेन्ट मैगनेट्स कम्पनी द्वारा भूमि का अर्जन**

5026 : **श्री मधु लिमये** : क्या प्रधान मंत्री 27 नवम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 383 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा या अपने ही साधनों से आवास बोर्ड द्वारा मकान बनाने के लिये अर्जित भूमि के स्वामित्व या किरायेदारी के अधिकारों और उसके बाद उसे परमानेन्ट मैगनेट्स कम्पनी को हस्तान्तरित करने के बारे में और जानकारी एकत्रित करली है;

(ख) क्या सरकार ने इस व्यापार के औचित्य के बारे में पुनः जांच की है;

(ग) क्या सरकार का विचार विशेषकर इस मामले की जांच के बारे में एक जांच आयोग की नियुक्ति करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) राज्य सरकार ने निम्नलिखित मजीद जानकारी भेजी है :

महाराष्ट्र आवास बोर्ड ने वह भूमि अक्तूबर, 1958 में एक निजी पार्टी से खरीदी थी। बयनामे को अन्तिम रूप देने से पहले बोर्ड के कानूनी सलाहकार के द्वारा प्रस्तावित बिक्री के बारे में एक विज्ञापन दिया गया था और ऐतराज मांगे गये थे। किसी ने कोई दावा या ऐतराज पेश नहीं किया।

खरीद के पहले भूमि, कागजात में, बिलिमोरिया परिवार के नाम दर्ज थी।

दूसरे विश्व-युद्ध के दौरान सरकार ने सैनिक उद्देश्यों के लिये भूमि अधिगृहीत करली थी, और सन् 1956 में ही उसे अनधिगृहीत करके बिलिमोरिया परिवार के हवाले किया। तब तक वह भूमि सरकार के कब्जे में रही।

कुछ व्यक्ति भूमि के एक भाग को जोत रहे थे। किसानों ने माल अधिकारियों को, जिनमें महाराष्ट्र के 'रेवन्यु ट्रिब्युनल' के अध्यक्ष भी शामिल थे, इस आशय की अपीलें की थीं कि उन्हें खेतिहर किरायेदार माना जाय। उनकी अपीलें 10-7-61 को ट्रिब्युनल ने

नामंजूर कर दी थीं। तदुपरांत बोर्ड की भूमि से महाराष्ट्र आवास बोर्ड के समर्थ अधिकारी द्वारा अनधिकृत किसानों को हटा दिया गया, परन्तु अनधिकृत कब्जा जारी है और बेदखली की कार्यवाही भी जारी है। समर्थ अधिकारी द्वारा किये गये बेदखली के आदेशों के विरुद्ध अब कुछ अनधिकृत कब्जा करने वालों ने महाराष्ट्र सरकार के आगे अपीलें दायर की हैं।

कुछ व्यक्तियों ने ट्रिब्युनल के फैसले के बाद मामलातदार, अंधेरी के आगे नई दरखास्तें पेश की थीं, जिनमें भूमि अधिकारियों की मांग की गई थी। अधिकांश दरखास्तें रद्द कर दी गई हैं, परन्तु तीन दरखास्तें मामलातदार, अंधेरी के आगे, अभी विचाराधीन हैं। राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि उन्हें यह मालूम नहीं है कि किसान आदिवासी हैं या नहीं।

(ख) से (घ) : यह विषय राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। भारत सरकार किसी जांच की आवश्यकता नहीं समझती।

**पश्चिम बंगाल की विकास योजनाएं**

5027 : **श्री जुगल मण्डल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओ में सम्मिलित की गई पश्चिम बंगाल की विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन योजनाओं की संख्या और नाम क्या हैं जो पूर्ण हो चुकी हैं;

(ग) क्या ये सब विकास योजनाएं निर्धारित समय में पूरी हो गई थीं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) से (घ) : सिंचाई बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों की योजनाओं के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी 2767/68**]

आगे और सूचना एकत्रित की जा रही है और जैसे ही उपलब्ध होगी सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

**बंगाली चलचित्रों को मनोरंजन कर से छूट**

5028 : **श्री जुगल मण्डल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों में बंगाली चलचित्र उद्योग द्वारा निर्मित किसी बंगाली चलचित्र को मनोरंजन कर से छूट दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस चलचित्र का नाम क्या है और उसको मनोरंजन कर से छूट दी जाने के क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)** : (क) और (ख) : अपेक्षित जानकारी राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

**पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय छात्र सेना दल**

5029 : **श्री जुगल मंडल :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार का राज्य में राष्ट्रीय सेना छात्र दल पर 1968--69 में कितनी-कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं०रं० कृष्ण):** एन० सी० सी० पर उठे समस्त खर्च का हिसाब अलग अलग नहीं रखा जाता । 1968--69 के दौरान पश्चिम बंगाल में एन० सी० सी० की आयोजित जनशक्ति के प्रति व्यक्ति पर उठने वाले खर्च के आधार पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा किया गया लगभग खर्च होगा क्रमश; 92.81 लाख रुपये और 75.14 लाख रुपये ।

**सलाहकार समितियां**

5030 : **श्री जुगल मंडल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 13, नवम्बर 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 547 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सलाहकार समितियों के बारे में अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) :** (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये एल. टी. 2768/68]**

**वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान में धन का विनियोजन**

5031 **श्री जुगल मंडल :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना में वैज्ञानिक और औद्योगिकीय अनुसंधान में धन विनियोजन करने के लिये संसोधनों का कोई अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) और (ख) : वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान में विनियोजन सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों प्रकार के विभिन्न संगठनों में व्यापक रूप से बिखरा पड़ा है । चौथी योजना प्रस्तावों को तैयार करते समय, सीधे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान कार्य कर रहे संगठनों के विषय में इस प्रकार की सूचना को एकत्रित करने का प्रयत्न किया जा रहा है । चौथी योजना को अन्तिम रूप देने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जायेगी ।

**परिवार साथ रखने वाले स्थानों पर तैनात सैनिकों के लिये आवास की व्यवस्था**

5032 **श्रीमती निर्लेप कौर :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोर्चे पर अपना सेवा काल पूरा करने के बाद परिवार साथ रखने वाले स्थानों पर तैनात किये गये सैनिकों को पारिवारिक क्वार्टर दिये जाते हैं और स्कूलों में उनके बच्चों के प्रवेश के लिये व्यवस्था की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इसके बावजूद पालम (दिल्ली) में तैनात अनेक सैनिकों के लिये आवास की व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन सैनिकों की संख्या कितनी है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) :** (क) ऐसे स्थानों पर कि जहां कुटुम्ब साथ रह सकते हैं, नियुक्त किये सैनिक सेविवर्ग अधिकृत विवाहित संख्या के निर्धारित प्रतिशत तक कुटुम्ब वास्य भवनों के अधिकारी हैं। जहां पर्याप्त रक्षा गृहीत वास्य भवन प्राप्य नहीं हैं, उनकी किर ये पर लिये गये भवनों द्वारा यथासम्भव अनुपूर्ति की जाती है जबकि शेष अधिकारी सेविवर्ग भवनों के बदले किराये की पुनः वसूली या मुआवजे की दावेदारी कर सकते हैं। विवाहितों के लिये वास्य भवनों की कमी प्रावस्थित कार्यक्रम के अनुसार नये निर्माण द्वारा लगातार कम की जा रही है।

यद्यपि ऐसे स्थानों पर कि जहां कुटुम्ब साथ रह सकते हैं, नियुक्त किये गये सैनिक सेविवर्ग के बच्चों के लिये स्कूल में प्रवेश की गारंटी नहीं की जाती, ऐसे प्रवेशों में प्रायः कोई कठिनाई नहीं होती।

(क) और (ग) : पालम स्टेशन के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है, और एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

**विद्रोही नागाओं के साथ मुठभेड़**

5033 **श्री हेम बरुआ :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सुरक्षा दल तथा भूमिगत नागाओं के बीच कोहिमा से दस मील दूर मेमोएना में हाल में ही मुठभेड़ हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है तथा दोनों ओर से कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) और (ख) : 2 दिसम्बर. 1968 को हमारी सुरक्षा सेना ने चीन से लौटे हुये छिपे नागाओं की खोज करते हुये कोहिमा से 10 किलोमीटर दूर मेमोएना के नजदीक एक शिविर पर धावा बोला था, जिसके बारे में बताया गया था कि वह शिविर उन्हीं लोगों का एक अड्डा था। करीब एक घण्टे तक दोनों ओर से गोली चली और उसके बाद शिविर वासी जंगल में चले गये। उनका शिविर नष्ट कर दिया गया था, कुछ शस्त्र और गोला

बारूद बरामद कर लिये गये। सुरक्षा सेनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ। छिपे नागाओं में कितने हताहत हुए, यह अज्ञात है।

**हिन्द महासागर में रूसी नौसेना के स्वबोड्रन**

5034 : **श्री हेम बरुआ** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी नौसेना के दो छोटे स्वबोड्रन हाल ही में हिन्द महासागर में आये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा करने के निर्णय की सूचना सरकार को दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था; और

(घ) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) इस मामले में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

**बर्मा में नजरबन्द भारतीय राष्ट्रिक**

5035 : **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि कुछ भारतीय नागरिक पिछले एक वर्ष से बर्मा सरकार द्वारा नजरबन्द किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) और (ख) : हमारे पास सुलभ सूचना के अनुसार 81 भारतीय राष्ट्रिक आर्थिक व अप्रवासन सम्बन्धी अपराधों के अन्तर्गत बंदी हैं। इसके अतिरिक्त, 1968 के पहले कुछ महीनों में 10 भारतीय राष्ट्रिक और गिरफ्तार किये गये थे लेकिन उनके अपराधों की प्रकृति से सूचित नहीं किया गया है।

**परमाणु विकास कार्य**

5036 : **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में परमाणु विकास कार्यों पर खर्च करने के लिये धनराशि का नियतन अन्तिम रूप में कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर कुल कितना धन खर्च किया जायेगा और किन-किन परियोजनाओं पर ?

**प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) : जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**भारतीय आयोजन के लिये विदेशी विशेषज्ञ**

5037 **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय आयोजन के बारे में परामर्श हेतु विदेशों से कुछ आयोजना विशेषज्ञों को बुलाने का है;

(ख) यदि हां, तो कब और वे कौन हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**प्रधान मंत्री अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यह आवश्यक नहीं समझा जाता ।

**अमरीका में भारतीय दूतावास में सांस्कृतिक सहचारी के कर्त्तव्य**

5038 : **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका में भारतीय दूतावास में सांस्कृतिक सहचारी के कर्त्तव्य क्या है;

(ख) क्या वर्तमान सांस्कृतिक सहचारी इन कर्त्तव्यों का पालन करता है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** (क) : संयुक्त राज्य अमरीका के भारतीय दूतावास में सांस्कृतिक सहचारी नाम का कोई अधिकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

**क्यूबा में पृथक भारतीय राजदूत**

5039. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्यूबा में एक पृथक भारतीय राजदूत रखने को सरकार की योजना है ;

(ख) यदि हां तो कब, और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी नहीं, फिलहाल नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान व्यवस्था के अनुसार मेक्सिको में भारत का निवासी राजदूत ही क्यूबा में में भी राजदूत के रूप में प्रत्यायित कर दिया जाता है और यह व्यवस्था प्रायः संतोषजनक है।

**1965 का भारत-पाक संघर्ष**

**5040. श्री शिवचन्द्र झा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 में भारत-पाक सघर्ष कितने घण्टे चला था ;

(ख) भारत द्वारा पाकिस्तान के कितने टैंक नष्ट किये गये थे ;

(ग) उस संघर्ष में कितने भारतीय तथा पाकिस्तानी सैनिक मारे गये थे ;

(घ) उस सघर्ष के दौरान भारत ने पाकिस्तान की कितनी भूमि पर कब्जा कर लिया था ;

(ङ) उसमें से कितनी भूमि अभी तक भारत के पास है ; और

(च) क्या कब्जे में की गई भूमि पाकिस्तान को लौटा दी गई है और यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : संघर्ष भारतीय भूक्षेत्र में सशस्त्र संक्रिया के विचार से पाकिस्तान ने सशस्त्रों के व्यक्तियों द्वारा भारी संख्या में घुसपैठ के साथ 5 अगस्त, 1965 को शुरू हुआ था। युद्धविराम 23-12-65 को प्रातः साढ़े तीन बजे लागू हुआ। उपरोक्त अवधि लगभग 1180 घटों की है।

(ख) 475 पाकिस्तानी टैंक विध्वस्त कर दिए गए थे या क्षतिग्रस्त। इन में से 39 चालू हालत में पकड़ लिए गए थे।

(ग) अपनी ओर 32950 व्यक्ति मारे गए हैं, जिन में वह भी शामिल हैं, जिन्हें पहले गुम घोषित किया गया था। परन्तु अब लगता है वह भी मारे गए हैं। 5800 से अधिक पाकिस्तानी सेविवर्ग मारे गए थे।

(घ) 470 वर्ग मील। इसके अतिरिक्त 270 वर्गमील पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी अधिकार जमा लिया गया था।

(ङ) कुछ भी नहीं।

(च) जी हां, ताशकन्द घोषणा के अन्तर्गत, जिस में भारत और पाकिस्तान के सेविवर्ग के 5 अगस्त, 1965 से पहले के उनके कब्जे में स्थानों तक लौटाए जाने के लिए उपबंध किया गया था।

## ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो सेट

5041. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो सेटों की संख्या कितनी है,

(ख) कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या इन का लाभ उठा सकती है,

(ग) इन में से कितने सेट ठीक कार्य कर रहे हैं, और

(घ) समस्त ग्रामीण जनसंख्या के लिये सामुदायिक रेडियो सेटों की व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (घ): सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

## 1971 तक प्रत्येक भारतीय के लिये एक रेडियो सैट का लक्ष्य

5042. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनैस्को का अनुमान है कि 1971 तक भारत में प्रत्येक घर में एक रेडियो सैट हो जायेगा ;

(ख) क्या 1971 तक इस दृष्टिकोण की प्राप्ति संभव है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) देश में रेडियो सेटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन )राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ): एक विवरण सभा-पटल पर रख जाता है ।

### विवरण

यूनैस्को ने इस बात पर बल दिया है कि विकास शील देशों में प्रति 200 व्यक्तियों के लिए कम से कम एक रेडियो रिसीवर होना चाहिए, और कि अंतिम लक्ष्य यह होना चाहिए कि हर एक कुटुंब के लिए एक रेडियो होना चाहिए । प्रसारण रिसीवरों की संख्या कि जिनके लाइसेंस जारी किए गए । 31-12-67 को 76 लाख थी । 1968 के दौरान रेडियो रिसिवरों की उत्पादन संख्या ऐसी प्रत्याशा है कि 20 लाख की होगी । ऐसी आयोजना बनाई गई है कि 1973 तक वार्षिक उत्पादन 70 लाख तक का हो जाना चाहिए ।

भारी संख्या में अच्छी किस्म के सस्ते रेडियोओं का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए पग उठाए गए है । रेडियोओं के निर्माण के लिए स्थापित की जा रही नई क्षमता का 75 प्रतिशत सस्ते रेडियोओं के लिए हैं । रेडियोओं में लगाए जाने वाले संघटकों का भारी संख्या में

निर्माण स्थापित किया जा रहा है संघटकों और रेडियोओं की कीमतें नीचे आ रही हैं, और आशा है और नीचे आएंगी।

स्थापित की जा रही अतिरिक्त क्षमता तथा सस्ते रेडियो सेटों के भारी संख्या में निर्माण के साथ ऐसी आशा है कि प्रति 20 व्यक्तियों के लिए कम से कम एक रिसीवर का लक्ष्य चौथी योजना के अन्त तक पूरा किया जा सकेगा।

**कम लागत वाले रेडियो सेटों की कीमतें**

5043. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कम लागत वाले रेडियो सेटों की कीमतें अन्य देशों जैसे जापान में निर्मित्त ऐसे सैटों की कीमतों की तुलना में बहुत अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो भारत में निर्मित सैटों की कीमतें अधिक होने के क्या कारण है; और

(ग) सरकार ने भारत में बनाने वाले कम लागत वाले रेडियों सेटों की कीमतें और निर्मित्त अधिक कम करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) और (ख): देश में बनाए गए कम लागत के रेडियो रिसीवरों की कीमतें काफी नीचे आ गई हैं, यद्यपि अब भी वह जापान या अन्य देशों में बने वैसे ही सैटों की कीमतों से अधिक हैं। उच्चतर कीमतों का मुख्य कारण है देशीय निर्मित वैद्यूती सघटों की लागत, जो रेडियो रिसीवरों के निर्माण में लगाए जाते हैं।

(ग) ऐसे पग उठाए गए है कि संघट सस्ते मूल्यों पर प्राप्य हो जाएं, कि जिससे भारतीय निर्माण के कम लागत के रेडियो रिसीवरों की कीमतें और नीचे आ जाएंगी।

**Hindi Work in I. & B. Ministry**

5044. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the arrangements made by his Ministry to achieve following objectives in view of the orders issued by the Ministry of Home Affairs in regard to the implementation of the Offical Languages Act :

( i ) bringing out all the Publications of his Ministry in Hindi,

( ii ) maintaining the service books of class IV employees in Hindi.

( iii ) getting prior allocation of funds done by the Ministry of Finance for providing translators and typewriters in view of the increasing demand of Hindi translation-work,

( iv ) teaching of Hindi to all the officers and employees below 45 years of age as on the 1st January, 1961, under the Hindi Teaching Scheme,

( v ) directing Hindi-knowing employees to do their work in Hindi.

( vi ) appointing Hindi-knowing persons against the post of Joint Secretary. Deputy Secretary and Under Secretary with a view to implement Hindi introduction Scheme and Hindi Teaching Scheme ; and

(b) the dates on which orders were received from the Ministry of Home Affairs :gard to the aforesaid objectives and the dates from which arrangements were made by Ministry therefor as also the results thereof ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) :**

(a) (1) The Publications Division of this Ministry has a Hindi Wing headed by a Deputy Director assisted by other complement of staff for bringing out Hindi editions of the literature brought out by the Division. Similar arrangements also exist in the Unit editing Collected Works of Mahatma Gandhi.

All the literature meant for wide distribution, relation to National campaigns such as Five Year Plan, Food, Family Planning, Savings, etc. is brought out by the Directorate of Advertising and Visual Publicity of this Ministry in Hindi (as well as each of the other regional languages). For this purpose there is the requisite editorial staff.

The Hindi version of Part I of Annual Report of the Registrar of Newspapers for India, entitled. Press in India' is published every year. The programme journals of I. A. R. are published in Hindi, English and a few other regional languages.

(a) (2) Ministry of Home Affairs have decided in August, 1968 that the entries in the Service Books of Class IV working in Central Government offices located in Hindi-speaking areas should be made in Hindi. They have also informed that the Service Books in diglot form (Hindi and English) are under print. These will be indented in January 1969 from the Central Forms Store, Calcutta while submitting the indent for the year 1969.

(a) (3) This Ministry has one Hindi Unit consisting of one Hindi Officer, One Hindi Assistant, one U. D. C. fully conversant with Hindi and one Hindi typist. The strength of staff is considered adequate. A programme for purchase of additional Hindi typewriters has been chalked out and this will be completed by next financial year.

(a) (4) According to arrangements made by Ministry of Home Affairs for teaching Hindi to the officers and employees below 45 years of age as on 1st January 1961, under Hindi Teaching Scheme, this Ministry releases 20% of the staff every year to learn Hindi.

(a) (5) As envisaged in para 4 of the Ministry of Home Affairs, O. M. No. 2/29/68-OL, dated the 6th July 1968, there is no restriction on the use of either Hindi or English in official business. The Officers/Officials are free to make a choice of the medium for noting and drafting.

(a) (6) There are no such orders as to appoint Hindi knowing persons against the post of Joint Secretary, Deputy Secretary and Under Secretary with a view to implementing Hindi introduction scheme and Hindi Teaching Scheme. However in terms of the Ministry of Home Affair's standing instructions, one Joint Secretary has been nominated for supervising implementation of various instructions relating to the use of Hindi and Hindi Teaching Scheme.

(b) The receipt of various orders issued by the Ministry of Home Affairs from time to time and the action taken thereon is summarized below ;-

(1) The Ministry of Home Affairs issued instructions in 1955 vide their O.M.NO. 59/2/54-Pub., I dated the 8th December 1955 regarding publication of

administrative reports, official journals etc., in Hindi as well as in English. This Ministry issued the Annual Report and some other publicity literature in Hindi as well as in English in 1956-57.

(2) In terms of presidential order regarding Offiticial Languages Act notified by the Ministry of Home Affairs vide their notification No. 2/8/60-OL dated 27th April, 1960, the in-service training in Hindi was made obligatory for the Central Government servants who were below 45 years of age on 1-1-1961. This Ministry has been progressively releasing its officials to be trained in Hindi.

(3) The Ministry of Home Affairs issued instructions regarding utilisation of Hindi trained and Hindi knowing staff for doing Hindi work in offices vide their O. M. No. 16/30,60-OL dated the 4th Oct., 1960. In this Ministry the Hindi typing work is done by the Hindi type knowing officials who were trained under Hindi Teaching Scheme. In so far the noting drafting in Hindi is concerned, the Ministry of Home Affairs recently clarified the position vide their O. M. NO. 2/29/68-OL dated the 6th July, 1968 that there should not be any restriction on use either Hindi or English in official business. The officers are free to make a choice of the medium for noting and drafting.

(4) In pursuance of Official Languages (Amendment) Act, 1967, the Ministry of Home Affairs issued instructions in August, 1968 for making prior allocation of funds for additional translating facilities and Hindi typewriters. This Ministry has already made provision in revised budget estimates to purchase 50 percent of additional Hindi Typewriters during current financial years.

(5) The instructions regarding maintaining the Service Books of Class IV employees in Hindi have been received from the Ministry of Home Affairs recently in August, 1968. As the Service Books in diglot forms are under print, these will be indented form from Central Forms Store, Calcutta next year.

**Stopping Broadcasts of Provocative Songs From A. I. R. Programmes**

5045. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that many Judges of Delhi and other parts of the country have attributed the main cause of juvenile delinquncy to films and provocative songs etc. broadcast in the 'Vividh Bharati' programme and from different A. I. R. Stations :

(b) if so, whether Goverament propose to cut provocative and crime sequences from films and stop the broadcast of such songs from the Vividh Bharati programme and various A. I. R. Stations ; and

if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri K K. Shah)** : (a) Government is aware of this opinion held by some people.

(b) All films are required to be certified by the Central Board of Film Censors before they are released for public exhibition and are subjected to cuts whenever the Censor Board so directs. The suitability of each film song is also examined for purposes of broadcast from A. I. R. Stations, notwithstanding certification of the film concerned by the Central Board of Film Censors

(c) Does not arise.

**'केवल व्यस्कों के लिये' चलचित्र**

5046 **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा पास की गई उन फिल्मों के नाम क्या हैं जिन्हें केवल व्यस्कों के दिखाने के लिए पास किया गया है, और

(ख) उन फिल्मों के नाम क्या हैं, जिनका कोई भी भाग उपरोक्त अवधि में इस बोर्ड द्वारा नहीं काटा गया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)** : (क) और (ख): सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

**विदेशों में हिन्दी फिल्मों का प्रदर्शन**

5047. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म उद्योग द्वारा जनवरी, 1968 से नवम्बर 1968 तक की अवधि में बनाई गई किसी फिल्म को प्रदर्शन के लिए विदेशों में भेजा गया है,

(ख) यदि हां, तो इन फिल्मों के नाम क्या है तथा क्या उसे गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा भेजा गया है, अथवा भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा, और

(ग) यदि इसे गैर-सरकारी फिल्म एजेंसियों द्वारा, भेजा गया है तो उन गैर-सरकारी एजेंसियों के नाम क्या हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)** : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

**कुछ वितरकों द्वारा दिखाने के लिये दी गयी फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगाना**

5048. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में तथा नवम्बर, 1968 के अन्त तक (1) पैरामाउन्ट फिल्म (2) कोलम्बिया फिल्म्स लिमिटेड तथा (3) ट्वेंटियथ सेंचरी फौक्स द्वारा भारत में वितरित की गयी किन्हीं फिल्मों पर केन्द्रीय फिल्म बोर्ड द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया था, और

(ख) यदि हां, तो उन फिल्मों के नाम क्या हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)** : (क) और (ख): जी, हां । फिल्मों के नाम तथा उनको प्रमाण-पत्र देने के लिए आवेदन करने वालों के नाम इस प्रकार हैं :—

| अवधि | फिल्म का नाम | आवेदन कर्ता का नाम | केफियत |
|---|---|---|---|
| 1966–67 | 1. बीच बाल | पैरामाउन्ट फिल्म्स | |
| | 2. डाई : डाई माई डार्लिंग | कोलम्बिया फिल्म्स | |
| | 3. दि चेज | कोलम्बिया फिल्म्स | |
| | 4. बाट इज न्यू पुस्सोकेट | ट्वेंटियथ सेंचरी फौक्स | |
| | 5. कास्टए एजियांट शैडो | ट्वेंनियथ सेंचरी फौक्स | संशोधित संस्करण को स्वीकृति दी गई। |
| 1967–68 | 1. फार ए फियू डालर्स मोर | ट्वेंटियथ सेंचरी फौक्स | |
| | 2. दि जेकाल्ज | ट्वेंटियथ सेंचरी फौक्स | |
| | 3. डैड हाट आन. ए, चैरी गो राऊंड | कोलम्बिया फिल्म्स | |
| | 4. एलफो | पैरामाउन्ट फिल्म्स | संशोधित संस्करण को स्वीकृति दी गई । |
| | 5. दि आइडल | पैरामाउंट फिल्म्स | |
| 1-4-1968 से 30-11-1968 तक | 1. दि इन्सीडेंट | ट्वेंटियथ सेंचरी फौक्स | केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाण-पत्र देने से इन्कार करने के निर्णय के विरूद्ध आवेदनकर्त्ताओं से अपील प्राप्त होने पर, केन्द्रीय सरकार ने बोर्ड को केवल वयस्कों के समक्ष प्रदर्शन के लिए स्वीकृति देने का आदेश दिया था। |
| | 2. नवजो जौए | ट्वेंटियथ सेंचरी फौक्स | |

## 'गौरी' चलचित्र

5049. **श्री बसुमतारी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रदर्शित किये गये "गौरी" नामक चलचित्र में, जिसका निर्माण मद्रास के श्री शिवाजी गणेशन ने किया है, आंख के आपरेशन के भयानक दृश्य दिखाये गये है,

(ख) यदि हां, तो इस चलचित्र को केवल वयस्कों को दिखाने के लिए प्रमाणित न किये जाने के क्या कारण है, और

(ग) क्या चलचित्र उद्योग द्वारा निर्मित किसी चलचित्र में इसी प्रकार से आंख का आपरेशन दिखाया गया है और यदि हां, तो उन चलचित्रों के नाम क्या हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :** (क) और (ख): आंख का आपरेशन सम्बन्धी दृश्य निस्सन्देह अप्रिय दृश्य है परन्तु इसे भंयकर नहीं कहा जा सकता। इस फिल्म को केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड ने अन्तर्निहित सभी बातों पर विचार करने के बाद 'यू' प्रमाणपत्र दिया था, अतः सरकार के लिए हस्तक्षेप करना ठीक नहीं होगा।

(ग) इस प्रकार के आंख के आपरेशन फिल्म "शान्ती", फिल्म "गौरी" के मूल तेलुगु रूपान्तर और एक डाकुमेन्ट्री शाट समेत अनेक भारतीय फिल्मों में दिखाए गए है।

## ताशकंद फिल्म समारोह

5050. **श्री बसुमतारी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में हुए ताशकद फिल्म समारोह में जिन फिल्म अभिनेताओं। अभिनेत्रियों ने भाग लिया उन के नाम क्या है तथा उन्हें वहां किस आधार पर भेजा गया था ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :** ताशकंद समारोह में हमारी सरकारी प्रविष्टियां इस प्रकार थी–(1) अनुपमा तथा (2) चम्मीन। समारोह के नियमों को शर्तों के अनुसार, प्रत्येक फिल्म के दो प्रतिनिधि नामजद किये गये :

(1) श्री हरीकृष्ण मुकर्जी, निर्देशक, अनुपमा फिल्म्स

(2) श्री एल० बी० ठाकुर, निर्माता अनुपमा फिल्म्स

(3) श्री रामू करियात, निर्देशक, फिल्म 'चम्मीन'

(4) श्री बाबू, निर्माता, फिल्म 'चम्मीन'

2. सूचना और प्रसारण उप मंत्री के नेतृत्व में भारतीय फिल्म प्रतिनिधिमण्डल, मास्को में अपना काम समाप्त करने के बाद, सोवियत अधिकारियों के नियन्त्रण पर ताशकन्द भी गया था। प्रतिनिधिमण्डल में निम्न व्यक्ति शामिल थे :–

(1) श्री राजेन्द्र कुमार

(2) श्री रामानन्द सागर

(3) श्री ए. एल. राघवन

(4) श्री अमृत लिंगम

3. इसके अतिरिक्त ताशकद समारोह के अधिकारियों ने फिल्म जगत के कई व्यक्तियों को सीधे निमन्त्रित किया था जिनमें से निम्न व्यक्तियों के समारोह में वास्तव में शामिल होने की सूचना मिली थी :—

(1) श्री एफ० सी० मेहरा

(2) श्री बलराज साहनी

(3) श्री जलाल आगा

(4) श्री राज कपूर

(5) श्री ओ० पी० रल्हन

(6) श्री गोपालकृष्णन्

**Lord Mounabatten's Speech on Shri Jawahar Lal's Last Birthday Anniversary**

**5051. Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of External Affairs be pleased to State :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the speech delivered by Lord Mountbatten in front of Cambridge University, London on the 14th November, 1968 in which he made a reference to his meeting with Shri Jawahar Lal Nehru when the latter visited Malaya (Malayasia) in 1946 ;

(b) whether the attention of Government has also been invited to that portion of Lord Mountbatten's speech in which he had said that Shri Jawaharlal Nehru did not lay or refused to lay wreath on the memorial of Azad Hind Fauj (I. N. A.) in Malaya when requested by him to do so ; and

(c) if so, whether this incident is true ?

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs) Shrimati Indira Gandhi) :** (a) and (b): Yes, Sir.

(c) No information is available with Government regarding the advice reported to have been given to Shri Jawaharlal Nehru.

**भारत नेपाल सीमा पर गिरफ्तार किये गये नेपालियों की रिहाई**

**5052. श्री बाल्मीकि चौधरी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत नेपाल पर सुसता में भारतीय अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किये गये चार नेपालियों की रिहाई की मांग नेपाल सरकार ने की है;

(ख) यदि हां, तो इन व्यक्तियों को किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया था तथा क्या इस मामले से भारत और नेपाल के बीच कुछ सीमा विवाद संबंधित है और यदि हां; तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नेपाल सरकार की प्रार्थना के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** : (क) से (ग) 11 दिसम्बर, 1968 को उपविदेश मंत्री द्वारा सदन में दिए गए ब्यान की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

**फिल्मों को प्रदर्शन की स्वीकृति प्रदान करना**

5053. **श्री अर्जुनसिंह भदौरिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड ने (1) साधू और शैतान, (2) दिवाना, (3) संघर्ष, (4) एन ईवनिंग इन पेरिस, (5) झुक गया आसमान को प्रदर्शन की स्वीकृति प्रदान कर दी है, और

(ख) उक्त फिल्मों की बोर्ड द्वारा कब जांच की गयी थी तथा या इन फिल्मों के कुछ अंश काटे गये है यदि हां तो किन फिल्मों में ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)** : (क) जी, हां ।

| (ख) फिल्म का नाम | प्रमाणपत्र देने की तारीख |
|---|---|
| (1) साधू और शैतान | 15-11-1968 |
| (2) दिवाना | 21-10-1967 |
| (3) संघर्ष | 19-9-1968 |
| (4) एन ईवनिंग इन पैरिस | 31-10-1967 |
| (5) झुक गया आसमान | 25-5-1968 |

केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड ने 'साधू और शैतान' 'संघर्ष' तथा 'एन ईवनिंग इन पैरिस' का कुछ अंश काटने के उपरान्त प्रमाणपत्र दिये थे । 'झुक गया आसमान' को 'यू' प्रमाणपत्र उन अंशों को काटने के बाद किया गया जिन अंशों को काटना उन्होंने मान लिया था 'दिवाना' फिल्म को सीधे ही 'यू' प्रमाणपत्र दिया गया था ।

(घ) विभिन्न मंत्रालयों विभागों को कतरनें भेजने के लिये जिन हिन्दी दैनिकों और साप्ताहिकों का निरीक्षण किया जाता है उनका हाल में ही पुनरीक्षण किया गया है और उसमें चार दैनिक और जोड़ दिये गये हैं । सूची का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जायेगा । वर्तमान व्यवस्था को सन्तोषजनक पाया गया है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

## प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन में नाम निर्देशन

5054. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में फिल्म फैडरेशन आफ इण्डिया, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड आफ इण्डिया तथा इण्डियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के सदस्यों के नाम क्या हैं,

(ख) इण्डियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन में गत ग्यारह महीनों में कितनी फिल्मों के 'नामों' को रजिस्टर कराया गया और इन 'नामों' को किन 'बैनरों' में रजिस्टर किया गया था,

(ग) फिल्म कम्पनियों ने अपनी फिल्मों के नामों को रजिस्ट्रर कराने के लिए कोई फीस दी थी, और

(घ) यदि हां, तो उसकी राशि कितनी थी।

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)** : (क) से (घ): ये गैर-सरकारी संगठन है और सरकार को इन विवरणों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही सरकार ने इन संगठनों में सदस्यों को नामजद ही किया है।

## भूतपूर्व विदेश सचिव श्री आर० के० नेहरू को साम्यवादी चीन के बारे में गोपनीय फाइलें सौंपना

5055. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
**श्री चं० चु० देसाई :**
**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने साम्यवादी चीन से संबंधित गोपनीय फाइलें/कागजात भूतपूर्व विदेश सचिव, श्री आर० के० नेहरू को सौंप दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रयोजन के लिये ;

(ग) क्या नेहरू को ये फाइलें/कागजात मंत्रिमंडल की पूर्व अनुमति लेकर सौंपे गये हैं अथवा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के किसी अधिकारी की मंत्रणा पर ऐसा किया गया है ; और

(घ) यदि इन फाइलों/कागजात में दी गई जानकारी का प्रयोग किन्हीं लेखों में किया जाता है, तो क्या यह सरकारी रहस्य अधिनियम का उल्लंघन नहीं होगा ?

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)**: (क) से (ग): श्री आर०के० नेहरू ने चीन पर एक पुस्तक लिखने की अपनी योजना के सिलसिले में विदेश मंत्रालय के रिकार्ड देखने की अनुमति मांगी थी। वर्तमान नियमों के अनुसार तीन सचिवों की सिफारिश पर उन्हें अनुमति प्रदान कर दी गई थी लेकिन चीन से संबद्ध कोई

गोपनीय फाइल या कागजात वास्तव में श्री आर० के० नेहरू को नहीं दिखाए गए क्योंकि सरकार संबद्ध नियमों पर विचार कर रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**अतारांकित प्रश्न संख्या 403 दिनांक 18.12.68 के उत्तर में शुद्धि**

**Correction of Answer to U S R No. 403 dt. 18.12.68**

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)** : अतारांकित प्रश्न संख्या के भाग (क) के मूल उत्तर के स्थान पर निम्न उत्तर रख दिया जाए :–

(क) फिल्म 'महात्मा' फिल्म प्रभाग के सहयोग से मुख्य रूप से गांधी स्मारक निधि के धन से, निधि द्वारा निर्मित की गई। फिल्म प्रभाग ने निधि को अपने कुछ स्टाफ की सेवायें दीं और कुछ उपकरण प्रयोग करने के लिये दिये जिनका मूल्य लगभग 2,18,800 रूपये है।

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

**टाटा उर्वरक परियोजना से विदेशी सहयोग वापस लिया जाना**

**श्री सु० कु० तापड़िया** (पाली) : मैं पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री का ध्यान निम्न लिखित अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

"अमेरीका कैमिकल कम्पनी, मैसर्स एलाइड कैमिकल्स द्वारा मीठापुर गुजरात में 176 करोड़ रुपये की टाटा उर्वरक परियोजना से अपना सहयोग वापस लिये जाने का समाचार"

**पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)** : मिथापुर में उर्वरक सन्यन्त्र की स्थापना के लिये टाटा कैमिकल्स ने जो प्रस्ताव दिया था, उसकी ईक्विटी पूंजी में यू० एस० ए० के अलाइड कैमिकल्स के 5 करोड़ रुपये तक भाग लिये जाने की व्यवस्था थी। अलाइड कैमिकल्स ने टाटा कैमिकल्स को प्रक्रिया प्रयोग के तरल अमोनिया, फोस्फोरिक एसिड और सल्फर की सप्लाई भी करनी थी। अन्तिम रूप से, अमेरिकन कम्पनी ने, हाइड्रो-क्लोरिक रूट (Route) से फास्फोरिक एसिड के उत्पादन के लिये अलाइड-आई एम आई प्रोसैस में अपनी तकनीकी का नि:शुल्क प्रयोग किए जाने की पेशकश की थी।

टाटा कैमिकल्स ने अब सरकार को सूचित किया है कि अलाइड कैमिकल्स ने परि-योजना में भाग लेने की अपनी पेशकल वापिस लेने का निर्णय किया है। टाटा कैमिकल्स ने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है, किन्तु उन्होंने परियोजना को पूर्णतयः भारतीय स्वामित्व कम्पनी के रूप में अपने आप स्थापित करने के अपने निश्चय के बारे में सरकार

को सूचित किया है। टाटा कैमिकल्स को पता चला है कि ईरान की नेशनल पैट्रोकैमिकल कम्पनी तरल अमोनिया, फोस्फोरिक एसिड और सल्फर की सप्लाई, उन्हीं शर्तों पर जिन पर अलाइड कैमिकल्स ने पहले से प्रस्ताव दिया था, करने की पूरी जिम्मेवारी संभाल ले लेगी। इसलिये अलाइड कैमिकल्स के अपने प्रस्ताव को वापिस ले लेने से केवल उनके इच्छित इक्विटी भाग की मात्रा तक की अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। लगभग 47 करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा की कुल आवश्यकता की तुलना में यह भाग सापेक्षतः थोड़ा है। साधारण तौर पर आवश्यकता पड़ने पर, पूर्वोक्त अलाइड आई-आई एम-प्रोसैस में अलाइड कैमिकल्स की तकनीकी खरीदनी पड़ेगी।

**श्री सु० कु० तापड़िया :** भारत सरकार का अर्थ है वह सरकार जो कार्यवाही करने में विलम्ब करती है तथा कोई निर्णय लेने में अक्षम है। देश इस समय इतनी गम्भीर स्थिति से गुजर रहा है कि एक पूंजी विनियोजक के असन्तुष्ट होने से सैंकड़ों पूंजी विनियोजक जो पूंजी लगाना चाहते हैं, पूंजी लगाने का इरादा छोड़ देते हैं। भारत सरकार की नौकरशाही तथा निर्णय लिये जाने में होने वाले विलम्ब ने स्थिति इतनी खराब कर दी है कि भारत सरकार के अभिन्न मित्र अर्थात रूसी भी इससे सन्तुष्ट नहीं हैं। वैसे तो व्यक्तिगत रूप से बोलते हुए प्रधान मंत्री अथवा उप प्रधान मंत्री अथवा वाणिज्य मंत्री बार-बार अविलम्ब औद्योगिकरण की आवश्यकता पर जोर देते हैं तथा विदेशी पूंजी विनियोजन का स्वागत करते हैं, परन्तु जब मंत्रिपरिषद् में सामूहिक निर्णय का समय होता है, तो वे असमंजस में पड़ जाते हैं। यद्यपि अपने वक्तव्य में मंत्री महोदय ने तथ्यों को छिपाने का पूरा प्रयास किया है तथा उनका वक्तव्य अपर्याप्त है तथापि इससे यह ज्ञात होता है कि अमरीकी फर्म द्वारा सहयोग वापस लिये जाने के कारण देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की हानि होगी। इस करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि की जिम्मेदारी सरकार द्वारा कोई निर्णय करने में असफल रहने पर है। अतः मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि एक उचित समय सीमा के अन्दर सरकार द्वारा निर्णय न किये जा सकने के कारण अमरीकी कैमिकल कम्पनी मैसर्स एलाईड कैमिकल्स ने अपना सहयोग वापस ले लिया और क्या यह भी सच है कि रसायन मंत्रालय ने इस परियोजना का अनुमोदन कर दिया था तथा क्या मंत्री उन वास्तविक कारणों को बतायेंगे जिनके कारण योजना आयोग तथा मंत्रिपरिषद ने इस परियोजना का निरनुमोदन किया तथा इसमें विलम्ब किया ?

**श्री रघुरामैया :** माननीय सदस्य ने सरकार पर जो आक्षेप किया है, वह निराधार है। टाटा कैमिकल्स ने हमें बताया है कि मैसर्स एलाईड कैमिकल्स द्वारा सहयोग वापस लेने का एक विशिष्ट कारण यह है कि क्यों टाटा कैमिकल्स भारत सरकार को इस परियोजना में साझीदार बनाने को सहमत हो गया था, इसलिये मैसर्स एलाईड कैमिकल्स ने अपना सहयोग वापस ले लिया।

जहां तक आई० एम० आई प्रक्रिया का सम्बन्ध है, इसकी आवश्यकता सात वर्ष बाद पड़ती थी। यह प्रक्रिया अभी अपने प्रयोगात्मक चरणों में है तथा वाणिज्यिक स्तर पर इसे विश्व में कहीं भी नहीं अपनाया गया है। टाटा कैमिकल्स ने स्वयं कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर इसे खरीदा जा सकता है।

**श्री सु० कु० तापड़िया** : उन्होंने केवल एक विशिष्ट कारण ही बताया हैं। अन्य कारण क्या है जिन की वजह से सहयोग वापस लिया गया है ?

**श्री रघुरामैया** : टाटा कैमिकल्स ने कोई अन्य कारण नहीं बताया है तथा मैं और क्या अन्य विशिष्ठ कारण बता सकता हूं ?

**श्री नारायण दांडेकर** (जामनगर) : महोदय, यह उत्तर बिल्कुल अपर्याप्त है। उन्होंने केवल एक कारण बताया हैं। हमें सब कारण बताये जाने चाहिये।

**श्री बे० कु० दास चौधरी** (कूच-बिहार) : महोदय, मैं श्री तापड़िया के इस कथन से सहमत हूं कि भारत सरकार अनिर्णय तथा निष्क्रियता का शिकार है। प्राक्कलन समिति ने भी अपनी 51 वीं रिपोर्ट (चौथी लोक सभा) में इस बात की पुष्टि की है कि सरकार द्वारा निर्णय लेने में बहुत देर की जाती है। अतः केवल इसी मामले में विलम्ब नहीं किया गया, अपितु सरकार प्रत्येक मामले में विलम्ब करती है। आसाम में खनन लाइसेंसों का मामला वर्ष 1944 से लटक रहा है। अतः माननीय सदस्य स्वय अनुमान लगा सकते हैं कि भारत सरकार में निर्णय लेने में कितना अधिक विलम्ब किया जाता है।

इस विशेष मामले के बारे में वक्तव्य में ही कहा गया है 'इसलिये एलाईड कैमिकल्स के अपने प्रस्ताव को वापस लेने से केवल उनके इच्छित इक्विटी मांग की मात्रा तक की अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी" अतः इससे यह सिद्ध होता है कि यह सरकार इस मामले को अन्तिम रूप न दे सकी और अब वह कहते हैं कि अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि उर्वरक परियोजनायें हमारी अपनी होनी चाहिये। परन्तु इन सब उर्वरक परियोजनाओं को अन्तिम रूप देने से पहले हमें यह देखना चाहिये कि क्या हमारे पास तकनीकी जानकारी है तथा क्या हमारे पास आवश्यक संसाधन हैं ? यह सच है कि सिन्दरी उर्वरक कारखाने ने कुछ अच्छा काम किया है। सिन्दरी उर्वरक परियोजना में एक अनुसन्धान विभाग है तथा उसमें काफी तकनीकी जानकारी प्राप्त कर ली गई हैं। मैं नही जानता कि सरकार संसाधनों के लिये विदेशी सहयोग चाहती है अथवा किन्हीं अन्य कारणों से ? जहां तक संसाधनों का प्रश्न हैं उनकी तरल अमोनिया तथा कुछ अन्य वस्तुओं के लिये जरूरत होगी। अमरीकी सहयोग के प्रश्न के अतिरिक्त हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि टाटा कम्पनी ईरान की नेशनल पेट्रोलियम कम्पनी के साथ बातचीत कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार समझती है कि ईरानी कम्पनी की तकनीकी जानकारी बेहतर है तथा उनके पास हमारे से अधिक संसाधन है ? दूसरे मैं जानना चाहता हूं कि क्या बदली हुई परिस्थितियों के कारण सरकार इस परियोजना को सरकारी क्षेत्र में लगायेगी ?

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न के केवल अन्तिम भाग का उत्तर दिया जाये।

**श्री रघुरामैया** : जैसा आप चाहें। प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर यह है कि ईरान की शाहपुर कैमिकल कम्पनी ने तरल अमोनिया, फासफोरस ऐसिड और गंधक की सप्लाई

करने की जिम्मेदारी ली है। जहां तक तकनीकी जानकारी का सम्बन्ध है, इस मामले में हम विदेशी तकनीकी जानकारी पर निर्भर नहीं है।

**श्री स० कुन्डू** (बालासौर) : देखा गया है कि इस सभा में जब कभी उर्वरक परियोजनाओं पर चर्चा की जाती है तो टाटा, बिड़ला अथवा धर्म से मोरारजी के हित की बातें कही जाती हैं तथा देश के वास्तविक हित को भुला दिया जाता है। हम सब यह जानना चाहते हैं कि एलाईड कैमिकल्स द्वारा सहयोग वापस लिये जाने के बाद यह परियोजना अब किस स्थिति में है तथा क्या एलाईड कैमिकल्स ने पहले ही यह सोच लिया था कि मध्य पूर्व में उन्होंने जो कारखाने स्थापित किये हैं, उनमें से किसी एक कारखाने से उन्हें तरल अमोनिया मिलना चाहिये ? मैं यह जानना चाहता हूं कि यह परियोजना इस समय किस स्थिति में है तथा टाटा इस परियोजना के लिये आवश्यक तकनीकी जानकारी तरल अमोनिया, गंधक तथा अन्य वस्तुएं कहां कहां से प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं ? मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि टाटा परियोजना के समक्ष कठिनाइयां पेश आने का कारण योजना आयोग द्वारा कुछ आपत्तियां उठाई जाना था। योजना आयोग ने इस आधार पर इस परियोजना का विरोध किया था कि इस परियोजना को उस तकनीकी ज्ञान से सम्बद्ध किया जा रहा है, जिसका वाणिज्यिक स्तर पर अभी तक अमरीका में भी परीक्षण नहीं किया गया है। आयोग ने इस बात पर भी इस परियोजना का विरोध किया था, क्योंकि धन जुटाने के बारे में यह मुख्यतया सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर है। मंत्री महोदय को इन सब बातों का स्पष्टीकरण करना चाहिये। यह कहा गया है कि टाटाओं का नवीनतम प्रस्ताव मंत्रिपरिषद को भेज दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि टाटाओं का नवीनतम प्रस्ताव क्या है ?

**श्री रघुरामैया** : वित्त विनियोजन के सम्बन्ध में टाटाओं ने बताया था कि एलाईड कैमिकल्स का भाग अन्ततः 3.25 करोड़ रु० होना था। कुल 46.77 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है तथा इसके अधिक मांग की पूर्ति विदेशों से ऋण लेकर करनी है। रुपये भाग की पूर्ति टाटाओं द्वारा अंश पूंजी को 3.93 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये तथा अशांतया 119.11 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन और अल्पकालीन ऋण लेकर करनी है। इसलिये टाटा कैमिकल्स का कहना है कि एलाईड कैमिकल्स के सहयोग वापस लेने से परियोजना के वित्तीय ढांचे पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। यह सच है कि सहयोग वापस लेते समय एलाईड कैमिकल्स ने विलम्ब का उल्लेख किया था। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है उन्होंने कई अन्य बातों का भी उल्लेख किया है, जिनकी हमें जानकारी नहीं है। उन्होंने केवल एक ही कारण बताया है और वह है भारत सरकार को भाग लेने की अनुमति देना। कच्चा माल सप्लाई करने के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि कच्चा माल सप्लाई करने का स्रोत वही है। ईरान की नेशनल पेट्रोलियम कम्पनी के साथ एलाईड कैमिकल्स भी उसके साझीदार हैं। शाहपुर कैमिकल्स ने कच्चा माल सप्लाई करना है। ईरानी तकनीकी ज्ञान का कोई प्रश्न ही नहीं है। योजना आयोग ने कुछ बातें उठाई हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है नवीनतम प्रस्ताव का जो उल्लेख किया गया है, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। यह सच है कि सम्बद्ध विभाग और टाटा कैमिकल्स के बीच बहुत दिनों से लिखा पढ़ी चल रही है तथा नवीनतम बात

यह है कि कुछ दिन पहले वे कुछ शर्तों के साथ गहरे समुद्र में जैटी के सार्वजनिक नियंत्रण पर सहमत हो गये हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** क्या सरकार इस नवीनतम प्रस्ताव से सहमत है ?

**श्री रघुरामैया :** यह मामला सरकार के विचाराधीन है तथा मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि इस मामले में शीघ्र ही निर्णय किये जाने की संभावना है।

**श्री पीलू मोदी (गोधरा) :** यह सरकार अनिर्णय और विलम्ब का शिकार हो गई है। विलम्ब करने का कारण सरकार को 67 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का घाटा हुआ है। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या इस विलम्ब का कारण बतायेंगे ? क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कितनी विदेशी मुद्रा का घाटा हो रहा है तथा क्या वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे ? दूसरे मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को पता है कि एलाईड कैमिकल्स के सहयोग वापस लेने के परिणामस्वरूप यह परियोजना कुली निधि से वंचित रह गयी है तथा उस निधि के स्थान पर दूसरी निधि बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ? वर्ष 1975 तक देश की उर्वरक सम्बन्धी आवश्यकतायें बहुत बढ़ जायेंगी। वर्ष 1975 तक 50 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता होगी और सरकार ने केवल 20 से 24 लाख मीटरी टन की ही व्यवस्था की है। 20 लाख मीटरी टन फासफोरिक उर्वरक की आवश्यकता होगी और केवल 8 लाख मीटरी टन की व्यवस्था की गई है। 10 लाख मीटरी टन पोटाशियम उर्वरक की आवश्यकता होगी, परन्तु इसके लिये कोई बन्दोबस्त नहीं किया गया है।

इसलिये यदि टाटा कैमिकल्स की स्थापना में, जिससे की आशा की जाती है कि वह तीनों प्रकार के उर्वरकों की 10 से 15 प्रतिशत तक पूर्ति करेगी, विलम्ब किया जाता है तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उर्वरकों की आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार करेगी ? मुझे यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि फिलिप्स परियोजना, गोआ परियोजना तथा मंगलूर परियोजना के बारे में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि सरकार किस प्रकार देश की उर्वरक सप्लाई करेगी ?

**श्री रघुरामैया :** शीघ्र ही कोई निर्णय लेने से पहिले शांति से और सोच समझ कर कोई ठोस तथा स्पष्ट निर्णय लेना कहीं अच्छा है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि यह एक छोटी परियोजना नहीं है। यह एक ऐसी परियोजना है जिस पर 200 करोड़ रु० की पूंजी लगाई जानी है और भी एक गैर-सरकारी व्यापार गृह द्वारा। इससे कुछ मूलभूत प्रश्न पैदा हो गये हैं, जिन पर अच्छी तरह विचार किया जाना है। इसीलिये इस परियोजना के बारे में सरकार ने कुछ समय लिया है, हालांकि हम इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के इच्छुक हैं। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस मामले में शीघ्र निर्णय किया जायेगा।

जहां तक कूली निधि का सम्बन्ध है टाटा कैमिकल्स ने स्वयं कहा है कि पहले भी वे इस सब पर अधिक निर्भर नहीं थे। अतः इससे उन्हें कोई खास हानि नहीं हुई है।

माननीय सदस्य का यह कहना सही नहीं है कि मैंलूर परियोजना को छोड़ दिया गया है। इसे ब्रिटिश तथा किसी अन्य देश के ऋण की सहायता से लगाया जा रहा है। अन्य परियोजनाओं के बारे में भी यह कह सकता हूँ कि उन्हें भी लगाया जा रहा है।

**श्री नरेन्द्रसिंह महीडा (आनन्द)** : गुजरात के लोग इस योजना के लिये बहुत इच्छुक है क्योंकि इससे उस पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास होगा। हमारे निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति नर्बदा तथा मीठापुर परियोजना के बारे में पूछ रहा हैं तथा स्वभावतया वे इसके बारे में बहुत इच्छुक हैं। इसके अतिरिक्त टाटाओं ने कहा है कि यह योजना केवल मीठापुर में ही संभव है तथा भारत में किसी अन्य स्थान पर इसे लगाना संभव नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि योजना आयोग द्वारा उठाई गई आपत्तियों को देखते हुए इस प्रस्ताव में क्या-क्या महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं ? क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि ईरान के शाह अगले महीने में भारत आ रहे हैं तथा ईरान सरकार के साथ बातचीत करनी है। इस बात को देखते हुए क्या सरकार शाह ईरान के भारत आने से पहले निर्णय करेगी ? मुझे दक्षिण पूर्व एशिया देशों की यात्रा करने का अवसर मिला है और मैंने देखा है कि वहां सब देशों में कृषि उद्योगों की सहायतार्थ उर्वरक बनाने के लिये भारी प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस बात को देखते हुए क्या सरकार किसानों की सहायतार्थ इस मामले में शीघ्र निर्णय करेगी ?

**श्री रघुरामैया** : सरकार माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की भावना से पूर्णतया अवगत है तथा कोई निर्णय करते समय इसे ध्यान में रखा जायेगा। जहां तक संशोधनों का सम्बन्ध है, मैं कुछ एक संशोधन का पहले ही उल्लेख कर चुका हूं।

---

## सभा पटल पर रखे गय पत्र

### PAPERS LAID ON THE TABLE

**इंडियन एयरलाइन्स का वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रमाणित लेखे और रेलवे सुरक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन**

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : मैं डा० कर्णसिंह की ओर से निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत इंडियन एयरलाइन्स के 1967–68 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(2) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत वर्ष 1967–68 के लिये इंडियन एयरलाइन्स के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(3) रेलवे सुरक्षा आयोग के वर्ष 1966-67 के कार्य सम्बन्धी प्रतिवेदन की एक प्रति । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 2759/68] ।

**उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिनियम**

**वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया)** : मैं उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के निम्नलिखित अधिनियमों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) उत्तर प्रदेश राहदारी मान्यकरण अधिनियम, 1968 (1968 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 33) जो दिनांक 2 दिसम्बर, 1968 के भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(2) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धन (बकाया की वसूली) संशोधन अधिनियम, 1968 (1968 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 34) जो दिनांक 2 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था । [पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 2760/68]

---

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
## COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

**42वां प्रतिवेदन**

**श्री खाडिलकर** : (खेड़) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 42 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

---

## अत्यावश्यक सेवाये बनायें रखने का विधेयक-जारी
## ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE BILLContd.

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr) : Mr. Speaker, Sir, you might be aware that when the Essential Services Maintenance Bill was being debated here then certain objections were raised by the hon. Members here and the hon. Deputy Speaker has been kind enough to refer to matters to the Committee on Subordinate Legislation. I wanted to give evidence before the committee. I presented myself before the committee and gave oral as well as written evidence. I thought that the Committee would give thought to my oral as well as written evidence. As I went out of station after giving my evidence, I had a doubt that the Committee might ignore my oral evidence. So I wrote a letter from

Lucknow. Now I find thought my written evidence had been incorporated in the Committee's Report, no thought had been given to my oral evidence.

**अध्यक्ष महोदय :** आपको लम्बा भाषण देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रश्न यह है कि आप समिति के समक्ष पेश होना चाहते थे। आपको समिति के समक्ष पेश होने का मौका दिया गया। आप वहां गये तथा आपने गवाही दी। आपकी बातों को सुनकर ही समिति ने अपना प्रतिवेदन तैयार किया है।

इसके अतिरिक्त यह विधेयक का तृतीय वाचन है तथा इस समय यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इसके अतिरिक्त बहुत अधिक वित्तीय कार्य बाकी पड़ा है और उसे आगामी दो दिन में पूरा करना है। मैं समझता हूं यदि आवश्यक हुआ तो सभा को 8, 9 अथवा 10 बजे रात तक बैठना होगा।

**श्री स० मो० बनर्जी :** सभा का सत्र क्यों नहीं बढ़ा दिया जाता ?

**अध्यक्ष महोदय :** इस बारे में कार्य मंत्रणा समिति द्वारा विचार किया गया था तथा उसने कहा है कि सभा को 20 तारीख को स्थगित कर दिया जाना चाहिये, क्योंकि निर्वाचन हैं तथा अन्य भी कई बातें हैं। अत: यह समिति का निर्णय है और इसे नहीं बदला जा सकता। मैं किसी माननीय सदस्य की कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूं। सभा 6 बजे के बाद काम पूरा होने तक बैठेगी। श्री इमाम मध्यान्ह भोजन के बाद अपना भाषण शुरू करें।

दो सदस्य इस ओर से और दो सदस्य उस ओर से बोलेंगे तथा मंत्री महोदय 2.45 बजे म० प० उत्तर देंगे।

अब मैं सभा को मध्यान्ह भोजन के लिये स्थगित करता हूं।

**इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।**

**The Lok Sabhan the adjourned for Lunch till fourteen of the Clock.**

**लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात 2 बजे म० प० पुन: समवेत हुई।**

**The Lok Sabha re-assembled after Lunch at fourteen of the Clock.**

**{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }**

**Mr. Madhu Limaye :** I do not want to intervene in this Bill. Pleased let me allow to speak for atleast five minutes.

**उपाध्यक्ष महोदय :** यह माननीय सदस्य अधीनस्थ विधान समिति के प्रतिवेदन के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिये सूचना देनी होगी और अध्यक्ष की अनुमति लेनी होगी। यदि आप इस चर्चा को स्थगित कर इस प्रतिवेदन पर विचार करने की मांग

करते हैं तो इस स्तर पर ऐसा करना अध्यक्ष के विवेक पर है। किसी भी मामले को अन्य तरीके से उठाया जा सकता है लेकिन किसी विषय पर की जा रही चर्चा के समय नहीं।

**Shri Madhu Limaye :** If you will permit half an hour discussion after the third reading on the report of the Committee. I will not intervene.

**अध्यक्ष महोदय :** यदि उन्होंने मुझे या अध्यक्ष महोदय को लिखा होता तो मैं अनुमति दे देता। आपको प्रतिवेदन पर चर्चा करने का अवसर दिया जायेगा। लेकिन सभा में किसी विषय पर चर्चा करने का समय नहीं।

**श्री मुहम्मद इमाम** (चित्रदुर्ग) सभा के सब वर्गों में यह विधेयक विवाद का विषय बना हुआ है। हमें सरकारी कर्मचारियों से सहानुभूति है और हम उनकी कठिनाइयों से अवगत हैं। लेकिन ऐसी स्थिति सरकार द्वारा गलत नीतियों के अनुसरण करने के कारण उत्पन्न हुई है। मूल्यों में भारी वृद्धि हो रही है। इन परिस्थितियों में न केवल सरकारी कर्मचारियों बल्कि जनता को भी सीमित और निर्धनता का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। इन कठिनाइयों। इन कठिनाइयों को राष्ट्रीय कठिनाइयां समझना चाहिये। सरकारी कर्मचारियों को भी अन्य औद्योगिक कर्मचारियों की भांति हड़ताल करने का अधिकार है। यदि औद्योगिक संस्थाओं के कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो उन औद्योगिक संस्थाओं के मालिक ही इससे प्रभावित होते हैं। यदि वे कर्मचारियों को अधिक वेतन देते हैं तो वे उनसे अधिक उत्पादन की भी आशा करते हैं। लेकिन ऐसा सरकारी कर्मचारियों के साथ नहीं है।

यदि सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने के अधिकार का दुरुपयोग किया जाता हैं तो सरकार को कठिनाई नहीं होगी बल्कि जनता को कठिनाई होगी। यदि सरकारी कर्मचारियों की मांग को स्वीकार कर लिया जाता हैं तो उसके परिणामस्वरूप 500 करोड़ रुपये के खर्चे में वृद्धि होगी। यह धन सामान्य जानता से ही प्राप्त किया जायेगा। अतः इसके परिणामस्वरूप सामान्य जनता को अधिक कर देने होंगे।

सरकारी कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिये। लेकिन उन्हें भी जनता के हित के बारे में सोचना चाहिये। इसके साथ-साथ सरकार को जनता को दी जाने वाली सुविधाओं और नीति में परिवर्तन करना चाहिये। सरकार को ऐसी नीति का अनुसरण करना चाहिये जिससे कि मुद्रास्फीति कम हो। सरकार को अपने खर्च में कमी करनी चाहिये और जनशक्ति की हानि को रोकना चाहिये।

मेरा सुझाव है कि हड़ताल करने के अधिकार ले लिया जाना चाहिये।

सरकारी कर्मचारियों और सरकार के बीच विवाद को हल करने के लिये एक उच्च स्तरीय आयोग या बोर्ड की नियुक्ति की जानी चाहिये। जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश द्वारा की जानी चाहिये। उसका निर्णय अन्तिम होना चाहिये और दोनों पक्षों के लिये होना बन्धनकारी होना चाहिये।

सरकार को सरकारी कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति का रुख अपनाना चाहिये और उनको हड़ताल में भाग लेने के कारण अधिक सजा या परेशान नहीं करना चाहिये।

**श्री राणे** (बुलडाना) : विधेयक को इस समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसके परिणामस्वरूप हड़तालों की संख्या में कमी होगी और किसान भी हड़ताल से होने वाली हानि से बच जायेंगे।

सरकारी कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार वेतन देने से पहले सरकार को किसानों को आवश्यकतानुसार वेतन देना चाहिये। सरकार को शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को भत्ता देने की योजना चालू करनी चाहिये।

सरकार को श्रम कानून के अन्तर्गत आने वाली सेवाओं का वर्गीकरण करना चाहिये।

श्रमिक नेताओं को भी हड़ताल के प्रति अपने रूख में परिवर्तन लाना चाहिये। उन्हें हड़ताल करने के अधिकार पर अधिक बल नहीं देना चाहिये।

हड़तालों की संख्या में दिन प्रति दिन वृद्धि हो रही हैं। गत 20 वर्षों में हड़ताल के परिणामस्वरूप देश को 2000 करोड़ रुपये की हानि हुई।

1967 में हड़ताल के परिणामस्वरूप केवल हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को ही 40 करोड़ रुपये की हानि हुई। 1966 में इसी कारण इसे 20 करोड़ रुपये की हानि हुई।

हड़ताल के लिये सरकार तथा श्रमिक नेता दोनों ही दोषी हैं। सरकार ने वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में न रख कर आवश्यकतानुसार वेतन के सिद्धान्त को स्वीकार कर भारी गलती की।

दूसरे सरकार ने गत वर्षों में श्रमिकों और सरकारी कर्मचारियों के प्रति उदार रुख अपना कर गलती की। श्रमिक नेता हड़ताल करने के अधिकार पर जोर देने के लिये दोषी है।

कोई भी अधिकार अपने पड़ौसी के लिए कठिनाई न हो इसके लिये संविधान में व्यवस्था की गई है। सरकार को अधिकार है कि वह कानून बनाकर उन अधिकारों पर रोक लगा दे।

कोई भी सरकार चाहे वह कांग्रेसी सरकार हो अथवा गैर-कांग्रेसी सरकार 20 वर्ष तक आवश्यतानुसार वेतन नहीं दे सकती।

**श्री बलराज मधोक** (दक्षिण दिल्ली) : यह दुःख की बात है कि हम अपने भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी सरकार को विधेयक के बारे में दिये गये निर्णय पर पुनः विचार करने और विधेयक को वापिस लेने में सफल नहीं हुए हैं।

यह अच्छी बात है कि गृह-कार्य मंत्री ने यह घोषणा की है कि एक ऐसा विधेयक लाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत अनिवार्य मध्यस्था की व्यवस्था होगी। यदि इस विधेयक को वापिस लेकर कोई नया विधेयक लाया जाता जिसमें इस उपबन्ध की व्यवस्था होती तो अच्छा होता।

सरकारी कर्मचारियों ने आवश्यकतानुसार वेतन की मांग की है। सरकार ने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है। कर्मचारियों की महंगाई के बराबर महगाई भत्ते की मांग है। इस सिद्धान्त को सरकार स्वीकार कर चुकी है। यदि सरकार वर्तमान परिस्थितियों में उसको क्रियान्वित करने में असमर्थ थी तो सरकार को कर्मचारियों से देश के प्रति वफादार रहने की अपील करनी चाहिये थी। अधिकांश सरकारी कर्मचारी देश भक्त हैं और वे देश भक्त की अपील को अवश्य स्वीकार करते। अतः सरकार ने स्थिति का गलत ढंग से सामना किया।

यह कहना कि सरकार उनको इतना वेतन देने की स्थिति में नहीं है ठीक नहीं है क्योंकि सरकार ऐसी आर्थिक स्थितियों का अनुसरण कर रही है जिसके परिणामस्वरूप धन की फजूल खर्ची हो रही है। हमारे देश में प्राकृतिक स्रोतों का भंडार है। यदि हम इनका उचित प्रयोग करें तो हम सरकारी कर्मचारियों को न केवल आवश्यकतानुसार वेतन देने में समर्थ हो सकते है बल्कि हम उन्हें इससे भी अधिक वेतन दे सकते हैं। जब तक सरकार की आर्थिक नीति में परिवर्तन न होगा तब तक सरकारी कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार वेतन नहीं दिया जा सकता। सरकार को अपने कर्मचारियों के लिये आदेश प्रस्तुत करना चाहिये। यदि सरकार कोई उचित समझती है तो सरकार को इसे अपने कर्मचारियों को देने से इन्कार भी नहीं करना चाहिये। सरकार कहती है कि ये उपलब्धियां सबको नहीं दी जा सकती, अतः हम इसे सरकारी कर्मचारियों को भी नहीं दे सकते। उस सभा ही में मन्त्री संसद् सदस्यों को से कहीं अधिक उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। यह कोई तर्क नहीं है।

सरकार मालिक है और यदि कर्मचारियों ने किसी के बहकावे में आकर या दुखी होकर कोई चीज की है तो मेरा यह निवेदन है कि सरकार को उसके प्रति उदारता का रुख अपनाना चाहिये और कर्मचारियों के प्रति सख्ती का रुख नहीं अपनाना चाहिये। यह अच्छी बात है कि सरकार ने बहुत से कर्मचारियों को सेवा में वापिस ले लिया है। लेकिन अभी भी लगभग 10,000 कर्मचारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। उनके विरुद्ध चलाये गये मुकदमे वापिस ले लिये जाने चाहिये। और उनके प्रति उदारता का रुख अपनाया जाना चाहिये।

यदि सरकार विधेयक को वापिस नहीं लेगी तो हमारा दल उसका विरोध करेगा।

**Shri Amrit Nahata ( Badmer ) :** Government should not take such action that the Government employees may join politics with opposition parties. I hope that the Government will use the power given under this Bill with great care because there are still some things which are not clear in this Bill. If a comprehensive Bill is brought at present, according to the assurances given by the Government all the opposition parties will become quiet. The Trade Union Movement has taken a wrong direction. I want to know the reasons why so many people in Rajasthan alone have been retrenched ? In fact the excesses of police compelled the people to strike.

People in large number have been victimized in Rajasthan. The State Government have stated that she is prepared to with-draw all the cases on the recommendation of the Central Government. I request that the Government should reconsider the persent ordinance before it become law and lenient view should be taken in respect of cases of suspension and retrenchment of Government employees and prosecution against them should be withdrawn.

**श्री वी० कृष्ण मूर्ति** ( कुडालौर ) : सरकार द्वारा की गई इस कार्यवाही से कर्मचारी वर्ग और सरकारी कर्मचारियों में व्यापक असन्तोष है । अपनी हमेशा अपनी सत्ता बनाये रखना चाहती है । सरकार का विचार था कि यदि हड़ताल सफल हो जाती है तो सरकार बिल्कुल समाप्त हो जायेगी । इसलिये सरकार ये उपाय काम में लाई ।

देश के कुछ भागों में यह कानून लागू नहीं किया जा सका । मेरे विचार से इस कानून का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये ।

हमने 13 तारीख के बाद कभी भी हड़ताल करने के लिये कर्मचारियों को नहीं भड़काया । लेकिन सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों में विरोध की भावना उत्पन्न हुई । सरकार कर्मचारियों को परेशान कर रही है । आज लगभग 20,000 कर्मचारियों के विरूद्ध मुकदमे चलाये जा रहे हैं । 12000 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है और 8,000 से अधिक कर्मचारियों के विरूद्ध मामले चल रहे हैं । सरकार को अपने वास्तविक शत्रु का पता लगाना चाहिये । सरकार के वास्तविक शत्रु नेता है न कि टेलीफोन एक्सचेंज या रेलवे में काम करने वाले कर्मचारी । सरकार को उनके विरूद्ध कार्यवाही करनी चाहिये ।

बहुत से राज्य पहले ही लिख चुके हैं कि मामले वापिस लिये जाने चाहिये । कुछ राज्यों में गिरफ्तार किये गये कर्मचारियों को फिर से सेवा में लगाया जा चुका है लेकिन कुछ राज्यों में कर्मचारियों को स्थायी तौर पर निकाल दिया गया है । इस प्रकार की दो तरफा नीति अपनाने के क्या कारण हैं । मुझे आशा है कि जब कर्मचारियों के विरूद्ध चलाये गये मुकदमे वापिस ले लिये जायेंगे । मुझे आशा है कि ऐसा अवसर कभी उत्पन्न नहीं होगा जबकि विधेयक का प्रयोग कर्मचारियों के विरूद्ध किया जायेगा ।

**श्री क० नारायण राव** ( बोबिली ) : सार्वजनिक प्रयोजनों और सामान्य उद्योगों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों में अन्तर है औद्योगिक विवादों में केवल कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां हड़ताल पर रोक लगी होती है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत भी इस प्रकार की हड़ताल नहीं की जा सकती । कुछ क्षेत्रों में विचार विमर्श की सम्भावना है और यदि बातचीत असफल रहती है तो हड़ताल की जा सकती है । यदि बातचीत असफल होती है तो मामला निबटारा बोर्ड को सौंपा जा सकता है । यदि मामला निबटारा बोर्ड के विचाराधीन होता है तब कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते । यदि ऐसा किया जाता है तो वह हड़ताल गैर कानूनी होती है ।

कार्मिक संघों को अपने नेतृत्व को सुदृढ़ करना चाहिये । उन्हें किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालना चाहिये । उद्योगों में की जाने वाली हड़ताल के लिये कड़ी सजा की व्यवस्था की जानी चाहिये । इस प्रकार सरकारी कर्मचारियों की एक संयुक्त सेवा समिति होनी चाहिये । लेकिन कार्मिक संघ की गतिविधियां इसमें नहीं आनी चाहिये । यदि सरकारी कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो समस्त प्रशासन अस्तव्यस्त हो जाता है ।

श्री हो० ना० मुकर्जी ( कलकत्ता-उत्तर पूर्व ) : सरकार द्वारा इस विधेयक को पास करना बहुत दुःख की बात है। सरकार आपत्तिजनक बातें करने पर तुली हुई है। सरकार सामूहिक सौदेबाजी पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रयास कर रही है।

हम एक अत्यधिक हानिकारक प्रथा को जन्म दे रहें हैं। एक बार अध्यादेश जारी किया, फिर उसे स्थायी कानून का रूप दे दिया। यह एक स्थायी रीति बन गई है। ऐसा करना संसदीय नीतियों के पूर्णतः प्रतिकूल है। हम जानते हैं कि यह सरकार मनमानी शक्तियां मिल जाने पर जैसा कि इसे आपात् काल में भारत रक्षा कानून तथा निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त थी, किस प्रकार कार्य करती है यह सरकार ऐसी नीतियों का अनुसरण करती है जिनके बारे में श्री सितलवाड जैसे अत्यन्त रुढ़ीवादी विधिवेत्ता भी कुछ समय पहले यह कहने को मजबूर हो गये थे कि यह संवैधानिक तानाशाही है।

प्रस्तुत विधेयक की दूसरी विशेषता यह है कि कर्मचारियों के दमन के सम्बन्ध में सरकार की कुछ कार्यवाहियों को भूतलक्षी प्रभाव से उन्मुक्त रखा जा रहा है, संविधान से विदित होता है कि फौजी-शासन के अलावा सामान्य परिस्थितियों में किसी विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता, परन्तु इस विधेयक में चोर-दरवाजे से ऐसी चीज घुसेड़ दी गई है।

हड़तालों के सम्बन्ध में हमारे कानू पहले ही काफी कठोर हैं। हमारे देश को कुछ अन्तर्राष्ट्रीय परम्पराएं निभानी होती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन परम्परा 87 तथा 98 संस्था तथा सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों से सम्बन्धित है जिनका इस विधेयक में उल्लंघन किया गया है। मुझे याद है कि जापान के सम्बन्ध में एक मामला हुआ था जबकि कार्मिक संघों की शिकायत पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को ऐसे अतिक्रमणों की छान-बीन करने के लिये वहां एक मिशन भेजना पड़ा था और जापान सरकार को उन्हें ठीक करना पड़ा था। हमारे मामले में भी ऐसा हो सकता है।

कार्मिक संघ आन्दोलन हड़तालों पर कानूनी रोक लगाने के प्रस्ताव पर कभी सहमत नहीं हो सकता चाहें अनिवार्य मध्यस्थ निर्णय अथवा न्यायनिर्णयन की कानूनन व्यवस्था करने का आश्वासन क्यों न दिया गया हो। हम जानते हैं कि सरकार श्रमजीवी लोगों को कुचलने के लिये क्या कार्यवाही करने को उद्यत है लेकिन देश में वर्ग शान्ति प्राप्त करने का यह तरीका नहीं है।

हमारे श्रमजीवी लोग सरकार को यह नोटिस दे चुके हैं, जिसे दुहराने का मेरा काम है, कि यदि सरकार ने उन नीतियों का जिनका इस विधेयक में स्पष्ट उल्लेख है, अनुसरण किया तो वे सरकार के विरूद्ध अपना संघर्ष करेंगे। पंडित नेहरू ने एक फ्रान्सिसी मुहावरे का उद्धरण करते हुए कहा था, प्रहार किये जाने पर यह पशु बड़ा दुष्ट है, वह अपनी रक्षा करता है। सरकार श्रमजीवी वर्ग आन्दोलन पर जब प्रहार कर रही है तो स्वाभाविक है कि वह अपनी रक्षा करेगा, सरकार को दीवार पर हस्त-लेख देखना चाहिए, यदि वह एक नया फासिल्ट समाज की स्थापना करने जा रही है तो वह ऐसा लक्ष्य है जिसकी कभी पूर्ति नहीं होगी। अब परिस्थितियां बदल गई हैं और श्रमजीवी वर्ग आन्दोलन को कभी मात नहीं दी जा सकती। अतः मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अध्यक्ष महोदय ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि पौने तीन ( म० प० ) बजे मन्त्री महोदय से उत्तर देने के लिये कहा जायेगा। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि उन सदस्यों को जो विधेयक के हर प्रक्रम पर उसके पक्ष अथवा विपक्ष में बोले हैं, उन्हें इस समय थोड़ा-सा मौका दिया जाना चाहिए, इसके अलावा कुछ सदस्यों को इस प्रक्रम पर बोलने का अवसर देने का आश्वासन भी दिया गया है। लेकिन हम इस विधेयक पर वाद-विवाद के लिये कई बार समय-सीमा बढ़ा चुक है और इसलिये समय-सीमा को और आगे बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी परिस्थिति तथा वातावरण को देखते हुए मैं अपना स्वविवेक प्रयोग कर सकता हूं लेकिन शर्त यह है कि प्रत्येक सदस्य दो मिनट से अधिक समय न ले ताकि दोनों ओर के सदस्यों को बोलने का मौका दिया जा सके।

**Shri S. M. Joshi** (Poona) : Sir, I opposed this Bill at every stage and now I rise to oppose it once again with all the force at my command. This legistation is deterimental to the interests of the country and the democracy as well. It strikes at the trade union movement in the country. The Government is pursinig a policy to suppress the working class and this Bill is a glaring example of their policy of repression and victimiseation of workers. If the Government impose a statutory ban on strikes and puresue policies which are clearly indicated in the present measure, the working class will defend iself and fight its battle against the Government.

**Shri Bibhuti Mishra** (Motihari) : I support the Bill. The Government should very carefully exercise these powers which are given to them in the Bill. They should not use these powers against the workers and employees, and that these should not be misused. But these powers should be used against those elements or forces who try to instigate the employees. At the same time, I would request the Government to treat their employees as members of their families and give a sympathetic consideration to their difficulties. But the elements which misguide, misdirect and instigate the employees should be dealt with firmly.

**श्री के० रमानी (कोयम्बत्तूर)** : मैं इस फासिस्टवादी काले कानून का पूर्णतः विरोध करता हूं। इसे पारित न कर वापस लिया जाना चाहिए। गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री ने कहा है कि सरकार कर्मचारियों के हड़ताल करने के अधिकार को नहीं छीनती और प्रस्तुत विधेयक उनकी हड़ताल पर रोक नहीं लगाता। लेकिन यह सर्वथा गलत है क्योंकि प्रस्तुत विधेयक के खण्ड 2 (1)(क)(नौ) में स्पष्ट व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत वे सभी मामले आते हैं जिनके संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है और उसके अन्तर्गत ऐसी हड़तालें भी आती हैं जो सरकार की राय में समाज के जीवन के लिये हानिकारक हों। इस धारा के अन्तर्गत सरकार को लगभग सभी उद्योगों के सम्बन्ध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।

यह विधेयक पूर्णतः एक फासिस्टी कानून है। आज सरकार में शोषक वर्ग, सत्तारूढ़ वर्ग, पूंजीवादी वर्ग, भू-स्वामी वर्ग का प्रतिनिधित्व है और अन्ततोगत्वा इन्हीं वर्गों को बचाने तथा लोगों को कुचलने के लिए ही सरकार यह विधेयक लायी है, अब 20,000 से भी अधिक कर्मचारियों को बाहर निकाला जा रहा है और यदि सरकार इन कर्मचारियों को जिन्हें पहले ही उत्पीड़ित किया जा चुका है, जेल भेजने के लिये इस विधेयक के अन्तर्गत शक्ति प्राप्त करना चाहती है, तो मैं इस सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि ये कर्मचारी तथा देश के लोग सरकार का तख्ता पलट देंगे।

**श्री चेंगलराया नायडू** (चित्तूर) : कर्मचारियों को हड़ताल करने तथा कानूनों को तोड़ने के लिए भड़काने वाले समाज विरोधी तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों की दण्ड देने की व्यवस्था करने वाले महत्वपूर्ण खण्डों को भी इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए था ।

कानून का आदर करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हैं । कुछ माननीय सदस्य कानून बनाते हैं लेकिन फिर भी वे बाहर जाकर लोगों को कानून तोड़ने की सलाह देते हैं ऐसे लोगों को दण्ड दिया जाना चाहिए लेकिन खेद है कि सरकार ने ऐसा नहीं किया है । इसलिये सरकार को इस विधेयक में उन समाज विरोधी तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों को जो देश का विकास नहीं होना देना चाहते और जो केवल देश का नाश करने में ही रुचि रखते हैं, कड़ा दण्ड देने की व्यवस्था भी करनी चाहिए ।

**श्री समरगुह** (कन्टाई): यह विधेयक केवल काला विधेयक ही नहीं अपितु तानाशाही विधेयक भी है । सरकार व्यवस्था तथा अनुशासन की बात करती है । सरकार चलाने तथा प्रशासन में हर सरकारी कर्मचारी निष्ठा से भाग लेना चाहता है, लेकिन उसके लिए उचित हालत पैदा करना जरूरी हैं , हम देखते हैं कि सरकार ने राजपत्रित अधिकारियों तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के बीच मनोरंजन कक्षों, जलपान-गृहों, शौचालयों आदि जैसे मामलों में ही काफी भेद-भाव बरता हुआ है, जो अनुचित है । किन्तु फिर भी वह समाजवाद की बात करती है ।

समाचारपत्रों में ऐसी खबर छपी हैं कि सरकार अगले सत्र में एक नया विधेयक ला रही है । यदि यह बात सच है, तो उसे इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिए और इस विधेयक को इस समय पारित नहीं करना चाहिए और अन्य लोगों से विचार-विमर्श करके इस विधेयक को रद्द कर देना चाहिए ।

**Shri Randhir Singh** (Rohtak): Sir, some political elements use employees and workers as a tool of gainning their political ends and selfish-motives and the employees should not be allowed to be misguided by such elements. They should be given proper protection. I hope that the hon. Home Minister will pay due attention to the fe.lings of employees and adopt a sympathetic attitude to their legitimate demands. The Bill should not be applied in normal conditions It can be done only when the situation really demands it as was done in the situation arising out of the 19th September strike.

**Shri Abdul Gani Dar** (Gurgaon) : Sir, the Government should win the hearts of their employees by dint of their love for them. They should not create unrest among their employees. No Government can continue to be in power if it adopts the course of cruelty and repression.

The plight of the commonman in the country in general is miserable. The proper course to adopt is the opposition parties and the party in power should sit together round a table and find out ways and means of distribution of wealth in the country.

**डा० मैत्रेयी बसु** (दार्जिलिंग) : मैं नहीं समझ सकी कि सरकार इस विधेयक द्वारा अपने कर्मचारियों में अनुशासन स्थापित करने में किस प्रकार सफल होगी । मैं चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार व्यवहार करे जिससे उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे और कि उसमें प्रतिदिन कमी न हो । परन्तु सरकार जिस प्रकार से बर्ताव कर रही है उससे कर्मचारियों तथा कर्मकारों में उसकी प्रतिष्ठा कम होगी ।

मैं पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के बारे में जिन्होंने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर कभी हड़ताल नहीं की बोलना चाहता हूं। उन्होंने 19 सितम्बर की हड़ताल में भाग नहीं लिया था परन्तु फिर भी उनको इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में शामिल कर लिया गया है। यह बात अन्यायपूर्ण है। इस विधेयक में परिवर्तन किया जाना चाहिए जिससे कि यह देश को स्वीकार्य हो।

Shri S. N. Banerjee (Kanpur) : The unrest prevailing amongst the labour class is not going to be suppressed in that way.

**श्री नो० श्रीकांतन नायर** (क्विलोन) : हमें यह आश्वासन दिया गया था कि गृह-कार्य मन्त्री स्वयं इस चर्चा का उत्तर देंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय :** यह उचित नहीं है। मैंने उनसे उत्तर देने का निवेदन किया था। परन्तु मैं निदेश नहीं दे सकता। यदि माननीय मन्त्री अन्त में कुछ कहना चाहें तो वह कह सकते हैं। मैंने श्री शुक्ला को उत्तर देने के लिए बुलाया है।

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : तीसरे पठन पर बोलने वाले अधिकांश सदस्यों ने पुराने तर्कों को दोहराया है। इस समस्या के बारे में हमारा जो मूलभूत दृष्टिकोण है वह सहानुभूति का है। हम यह नहीं चाहते कि सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य मजदूरों की समस्याओं को दलगत नीति का विषय बनाया जाये।

हम इस बात पर सहमत नहीं हो सकते कि सरकारी कर्मचारियों को राजनीति में स्वतन्त्रता से हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाये। वे राजनीति का अध्ययन कर सकते हैं और इस बारे में अपनी राय रख सकते हैं। परन्तु हम उनको दलगत नीति का विषय बनने की अनुमति नहीं दे सकते।

कुछ परिस्थितियों के कारण इस विधेयक को अन्य विधेयकों के साथ मिलाकर प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस विधेयक को उस अध्यादेश का स्थान लेने के लिए लाया गया है जो कि हमें अपनी इच्छाओं के विपरीत जारी करना पड़ा था। इस अध्यादेश को आपात तथा कुछ अन्य परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए जारी करना पड़ा था। यह देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई और हमें ऐसा अध्यादेश जारी करना पड़ा। ऐसी स्थिति की उत्पत्ति की जिम्मेवारी इन लोगों पर है।

मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि समस्याओं के दल के लिए हम एक अन्य व्यापक विधेयक सभा में प्रस्तुत करने वाले हैं। अभी कल ही हमने श्री शिकरे के संशोधन को स्वीकार कर इस विधेयक को पांच के बजाये तीन वर्ष तक लागू करना स्वीकार कर लिया है। इससे यह सिद्ध होता है कि हम इस विधेयक को आवश्यकता से अधिक समय तक लागू करने के लिए उत्सुक नहीं हैं।

मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों के प्रति हमारा रवैया उनको दण्ड देने तथा पीड़ित करने का नहीं है और न ही उनको उनके वैध

अधिकारों से वंचित करने का है। हम केवल यह चाहते हैं कि कोई भी उनका अपने दलगत हितों के लिए शोषण न कर सके। यदि कोई माननीय सदस्य कोई ऐसा मामला हमारे सामने लाते हैं जिसमें कोई गलत निर्णय किया गया हो तो हम उसकी जांच के लिए तैयार है। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य राजनीति से ऊपर उठकर सरकार से सहयोग करें जिससे कि हम सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं को हल कर सकें।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है 'कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।" जो सदस्य इसके पक्ष में है वे 'हां' कहें और जो विपक्ष में हैं वे 'न' कहें।

**कुछ माननीय सदस्य :** 'हां'।

**कुछ माननीय सदस्य :** 'न'।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मेरे विचार में 'हां' वाले सदस्य अधिक हैं।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : इससे पूर्व कि आप मतदान के लिए कहें, हमें आशा है कि सरकार इस विधेयक को वापस ले लेगी क्योंकि देश में इसके विरुद्ध राय है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** हमें इसको समाप्त करना चाहिये। उनको जो कुछ कहना है एक वाक्य में कहना चाहिये।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** हम इस विधेयक को पास करने में सहयोगी नहीं हो सकते। हम विरोध प्रकट करने के लिए हम सभा से उठकर जा रहे हैं।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी तथा कुछ अन्य सदस्य सभा से उठकर चले गये।**

**Shri Surendranath Dwivedi and some others Members then left the House.**

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं इस प्रश्न को पुनः मतदान के लिए रखता हूं

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

**जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे 'हां' कहें।**

**अनेक माननीय सदस्य :** 'हां'।

**उपाध्यक्ष महोदय :** जो सदस्य विपक्ष में हैं वे 'न' कहें।

**कुछ माननीय सदस्य :** 'न'।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मेरे विचार में 'हां' वाले सदस्य अधिक हैं।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

**श्री बलराज मधोक** (दिल्ली दक्षिण): मत विभाजन के बारे में क्या हुआ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने कहा था कि 'हां' वाले सदस्य अधिक हैं। इसको किसी ने चुनौती नहीं दी है।

**श्री सु० कु० तापड़िया** (पाली) : मैं इसको चुनौती देता हूं।

**श्री जगन्नाथराव जोशी** (भोपाल) : हमने इसको चुनौती दी है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि आप इसको चुनौती देते हैं तो मैं आप लोगों को सन्तुष्ट करने के लिये इसको पुनः मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

**लोक सभा में मतविभाजन हुआ**
**The Lok Sabha divided**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **पक्ष में** | **135,** | **विपक्ष में** | **14** |
| **Ayes** | **135,** | **Noes** | **14** |

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**
**The motion was adopted.**

---

## अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे)—जारी
## SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS)-Contd.

**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब वर्ष 1968-69 के बजट (रेलवे) के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर तथा 14 दिसम्बर, 1968 को प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्तावों पर आगे विचार करेगी।

**श्री गाडिलिंगन गौड** (करनूल) : इस सरकार की यह आदत हो गई है कि बजट में मंजूर की गई राशि को अपव्यय करने के पश्चात वह पुनः अनुपूरक अनुदानों के लिए सभा के समक्ष आती है। इस सम्बन्ध में मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं, परन्तु मैं केवल दो घटनाओं का ही उल्लेख करूंगा क्योंकि मेरे पास समय कम है।

सरकार रेलवे सुरक्षा बल पर लाखों रुपये व्यय कर रही है परन्तु यात्रियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। चलती गाड़ियों में चोरी, कत्ल तथा महिलाओं से छेड़-छाड़ की घटनायें अभी भी घट रही हैं। मेरे एक मित्र का पत्र मुझे दो दिन पूर्व मिला है जिसमें उसके पुत्र के

अपहरण तथा उसको किसी अन्य व्यक्ति के रूप में काम करने के लिए बाध्य किये जाने का उल्लेख किया गया है ।

मेरा निवेदन है कि यह सब बातें चलती रेलगाड़ियों में हो रही हैं । यह घटना 22 नवम्बर को हुई थी और यह कर्मचारी वर्ग से साठगांठ से ही हुई है । अन्यथा यह सम्भव नहीं है । मैं इस पत्र को सभा पटल पर रखने अथवा मन्त्री महोदय को देने को तैयार हूं । मैं चाहता हूँ कि माननीय मन्त्री इस मामले की पूरी तरह जांच करें ।

एक वर्ष पूर्व मेरे चुनाव क्षेत्र में कोसीजी नामक स्टेशन पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी । एक अपराधी एक कांग्रेसी विधायक का भाई था इसलिए इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई । यदि ऐसी घटनायें घटती रही तो लोग लोकतन्त्र ढांचे में अपना विश्वास खो बैठेंगे ।

मैं प्रथम लोक सभा का सदस्य था तब उस समय मैंने करनूल से अदोनी होते हुये सीरीगुप्पा तक एक रेलवे लाईन बिछाने का सुझाव दिया था । मुझे मन्त्री महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इसको पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया जायेगा । अब जबकि पन्द्रह वर्ष गुजर चुके हैं मैं माननीय मन्त्री से पुनः निवेदन करूंगा कि वे इस पर विचार करें ।

मैं माननीय मन्त्री से नागाजनासागर से हैदराबाद तक रेलवे लाइन बिछाने का काम तुरन्त आरम्भ किया जाये ।

{ श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R.D. Bhandare *in the Chair* }

अदोनी एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केन्द्र है । परन्तु वहां पर कोई विश्रामालय नहीं है। मन्त्रालय जो कि एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है, वहां पर भी कोई विश्रामालय नहीं है । मैं माननीय मन्त्री से इन मामलों की जांच करने का भी निवेदन करूंगा ।

अदोनी रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म बहुत छोटा है । रेलगाड़ी के अधिकांश डिब्बे प्लेटफार्म आते ही नहीं । इसके फलस्वरूप लोग स्टेशन पर नहीं उतर सकने । माननीय मन्त्री को इस मामले पर भी जांच करनी चाहिये ।

मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि गुंताकल स्टेशन से लगभग 500 रुपये का कोयला प्रतिदिन चोरी हो जाता है । यह काम कर्मचारियों की साठगांठ से हो रहा है । बिना टिकट के सैकड़ों लोग यात्रा करते हैं । वे गार्डों तथा टिकट परीक्षकों से मिले होते हैं ।

माननीय मन्त्री से मेरा निवेदन है कि वह इन सभी मामलों की जांच करायें ।

**श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (रायगंज)** : मैं खाजुरापघाट-गोहाटी से बोनगाव तक बड़ी रेलवे लाइन के विस्तार की योजना थी । उस समय के रेलवे मन्त्री ने अपने बजट भाषण में

कहा था कि इस रेलवे लाइन का विस्तार दिनाजपुर जिले तक किया जायेगा। परन्तु इस लाइन का विस्तार जिले के मुख्यालय अर्थात बालुरघाट तक भी नहीं किया गया है। मुख्यालय को रायगंज तक बदलने का है परन्तु लाइन को इस स्टेशन तक भी नहीं लाया गया है। ओल्ड मालपा से बालुरघाट तक लाइन बिछाने का भी प्रस्ताव था। इस का दो बार सर्वेक्षण भी किया जा चुका है। सर्वेक्षण के प्रतिवेदन से पता लगता है कि वहां पर बड़ी लाइन बिछाना लाभदायक रहेगा। परन्तु इसके बावजूद भी कुछ नहीं किया गया है। श्री जगजीवनराम ने कहा था कि बारसोई और राधीकापुर की ब्रांच लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जायेगा। परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है। मूल योजना कलकत्ता से दार्जिलिंग तक सीधी रेलवे लाइन बिछाने की थी। परन्तु कुछ प्रभाव पड़ने के कारण इस लाइन को रायगंज से बिहार में मोड़ दिया गया। इससे सफर भी अधिक हो गया और टिकट का मूल्य भी बढ़ गया। इसका अर्थ यह है कि श्री जगजीवनराम के आश्वासन को क्रियान्वित नहीं किया गया। मेरा सुझाव यह है कि इस लाइन को बड़ी लाइन में बदल कर इसको बालुरघाट के साथ मिलाया जाना चाहिये। राधीकापुर की लाइन को बड़ी लाइन में बदले बिना इस लाइन को दूरपूर्व तक ले जाया जा रहा है। यदि सारे काम को एक साथ नहीं किया जा सकता तो इसको धीरे-धीरे चार अथवा पांच वर्षों में किया जा सकता है। वर्तमान लाइन को बोगागांव तक यथा-सम्भव शीघ्र बढ़ाया जाना चाहिये। दूरपूर्व के स्थानों को मिलाते समय मार्ग में पड़ने वाली लाइनों को बड़ी लाइनों में बदल दिया जाना चाहिये। बदेल-कटवा लाइन पर यथासम्भव शीघ्र बिजली से रेलगाड़ियां चलाई जानी चाहिये।

उत्तर बंगाल के बारे में मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर माननीय मन्त्री को विचार करना चाहिये।

**Shri Onkar Lal Berwa** (Kota) : Rajasthan has always been neglected so far as the question of laying railway lines is concerned. It appears from the demand that Government is laying the railway lines where subversive activities are going on.

Kota-Chittorgarh railway line was first surveyed in 1949. It was again surveyed in 1964-65 and 1965-66. The then Railway Minister declared this line uneconomic. If a railway line from Kotah to Boondi is constructed I can guarantee that it will not run into loss. If the government has not enough money for laying down the railway line they can sell the shares to the public. We are even prepared for 'Shramdan'.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

A memorandum was also presented to the Railway Minister, Shri Poonacha by the Chamber of Commerce in when the former visited Kota.

Three fourth work relating to Gunamaksi has already been completed. The rest one fourth work should be completed.

The work on the Sawai Madhopur–Niwai, Niwai–Tonk and Tonk–Indergarh should be taken up immediately. A railway line from Sawai Madhopur to Shivpuri via Khandar should be constructed immediately. It will help in earning foreign exchange as 'Kotha' and 'Alsi' are produced in this area in abundance.

The report of the D. A. Commission has not been made applicable to the Guards, Commercial clerks and other employees. It should be made applicable to them.

In delux compartments provision for the attendants of the passengers has not been made. It should be made to avoid thefts etc.

I would request the government to include a railway line from Sawai Madhopur to Jaipur in their proposal of constructing three thousand long board guage railway line. A metre guage railway line from Delhi to Ahmedabad should also be converted into broad guage line.

**रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष)** : ये सांकेतिक अनुदान कुछ सर्वेक्षण कार्यों के लिये मांगे गये हैं। सर्वेक्षण कार्य संसद के पिछले सत्र के बाद हाथ में लिये गये थे। बांनगागांव और गोहाटी के बीच की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने तथा दक्षिण मध्य रेलवे में नादीगुदी और सिकन्दराबाद के बीच नई रेलवे लाइन बिछाने के लिये यह मांग रखी गई है।

मांग सख्या 14 फरक्का बांध पर रेलवे पुल बनाने के लिये है। मांग संख्या 15 कल्याण-लोनावला और कल्याण-इन्नतपुरी सैक्शनों में भूमिगत संचार व्यवस्था करने के बारे में है। मांग संख्या 2 उत्तरी रेलवे में ट्रंडला-दिल्ली तथा दक्षिण पूर्वी में बेलाडीला-कुटा-वालना सक्शन पर बिजली से रेलगाड़ियां चलाने के लिए सर्वेक्षण करने के बारे में है।

हमने ये मांगे नई रेलवे लाइने बिछाने के लिए नहीं बल्कि सर्वेक्षण कार्यों के लिये रखी है।

श्री लोधो प्रभु ने कहा है कि यद्यपि कई लाइनों का सर्वेक्षण कार्य किया जा चुका है तथापि हमने इन मार्गों पर रेलवे लाइन नहीं बिछाई हैं। परन्तु मेरा निवेदन है कि लागत का पता लगाने के लिए तथा इस बात का पता लगाने के लिये कि लाइन बिछाना लाभदायक होगा कि नहीं, सर्वेक्षण करना जरूरी होता है। सर्वेक्षण के पश्चात कई लाइनों का बिछाना लाभप्रद सिद्ध होता है अतः उस मार्ग पर रेलवे लाइन नहीं बिछाई जाती। कई बार वित के अभाव के कारण भी रेलवे लाइन बिछाने का काम हाथ में नहीं लिया जाता।

यह भी कहा गया है कि 80 लाख रुपये की इस मांग को बजट में शामिल क्यों नहीं किया गया। हमारा विचार था फरक्का बांध परियोजना 1968-69 के कार्यक्रम में शामिल की जायेंगी। परन्तु अब सूचना मिली है कि यह योजना 1971 में पूरी होगी। इसलिये यदि हम इस कार्य को अब शुरु नहीं करते तो फरक्का बांध के पूरा होने के साथ-साथ हम इस कार्य को पूरा नहीं कर सकेंगे।

जहां तक नई रेलवे लाइनें बिछाने का सम्बन्ध है चौथी योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। जब तक मिलने वाले धन के बारे में पता न लग जाये नई लाइनों के बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता।

**उपाध्यक्ष महोदय :** यदि कोई महत्वपूर्ण बात है तो माननीय मन्त्री उसका उत्तर सम्बन्धित सदस्य को सीधे भेज सकते हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।**

**The cut motion were then put and negatived.**

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1968-69 के लिए रेलवे की अनुदानों की अनुपूरक मांगे मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई ।**

**The supplementary demands for grants for railways were put and adopted.**

| मांग संख्या | शीर्षक | मांग तथा राशि |
|---|---|---|
| 2 | विविध व्यय | 4000 |
| 14 | नई लाइनों का निर्माण | 1000 |
| 15 | छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना | 3000 |

## विनियोग (रेलवे) संख्या 5 विधेयक

## APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 5 BILL.

**रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) :** "कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की रेलवे की सेवा के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये"

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की रेलवे की सेवा के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The Motion was adopted**

**श्री परिमल घोष :** मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की रेलवे की सेवा के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की रेलवे की सेवा के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**The Motion was adopted.**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 तथा 3, अनुसूची, खण्ड / अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**The motion was adopted.**

खण्ड 2 तथा 3, अनुसूची, खण्ड/ अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

**Clause 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.**

श्री परिमल घोष : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**The motion was adopted.**

---

## अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1966-67

## DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS) 1966-67.

वर्ष 1966-67 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें (रेलवे) प्रस्तुत की गई :-

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| 2 | विविध व्यय | रुपये 7,68,074 |

**श्री लोबो प्रभु** (उदीपी) : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | श्री लोबो प्रभु | केन्द्रीय आसूचना विभाग से देय ऋण के बारे में तुरंत आंकड़े प्राप्त करने मे विलम्ब की पुनरावृति को किया। | 100 रूपये |

**श्री राजाराम** (सेलम) : सितम्बर की हड़ताल के परिणामस्वरूप 4500 रेलवे कर्मचारियों के मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं। हजारों लोग बेरोजगार हो गये हैं। मैं रेलवे मन्त्री से निवेदन करुंगा कि उनको पुनः काम पर लगाया जाये तथा उनके विरुद्ध मामले वापिस लिये जायें। मंत्रालय द्वारा कड़ी कार्यवाही किये जाने के कारण 14 लाख रेलवे कर्मचारी विक्षुब्ध हैं।

सेलम से धर्मपुरी तथा धर्मपुरी से बंगलौर तक प्रति दिन मालगाड़ियां चल रही हैं। मैं नहीं समझता कि उस लाइन पर यात्री गाड़ियां चलाने के लिये रेलवे बोर्ड को क्या हिचकचाहट है। सेलम बंगलौर लाइन पर यथाशीघ्र सवारी तथा एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई जानी चाहिये।

**श्री दत्तात्रेय कुन्टे** (कोलाबा) : हम अतिरिक्त अनुदानों पर विचार कर रहे हैं। अतः हमें मांगों तक ही सीमित रहना चाहिये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : जब अनुपूरक मांगों पर चर्चा की जा रही हो तो हमें केवल वित्तीय मामलों तक ही सीमित रहना चाहिये। परन्तु स्थानीय शिकायतें बताने के लिये इस अवसर का लाभ उठाया जा सकता है।

**Shri Abdul Gani Dar** (Gurgaon) : The Members should have an opportunity to ventilate their grievances. Also, no reference has been made to Haryana.

**श्री राजाराम** : रेलवे मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है कि मंत्रालय अंग्रेजों द्वारा बनाई गई चार रेलवे लाइनें उखाड़ना चाहता है। ऐसी लाइनें मेन्तुपलयम से ऊटी, मायावरम से थारंगमपाड़ी तथा दो अन्य तटीय लाइनें हैं। सरकार उन्हें इसलिये उखाड़ना चाहती है

कि वे लाभप्रद नहीं हैं। अंग्रेजों ने यह लाइनें बनाई थी और अब हमारी सरकार तथा रेलवे मंत्रालय उन लाइनों को हटाना चाहती है। यह उचित नहीं है। मंत्री महोदय को आश्वासन देना चाहिये कि उन लाइनों को बन्द नहीं किया जायेगा।

मद्रास के विलुपुरम तक विद्युतीकरण किया जा चुका है। मैं रेलवे मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि इसे नेवेली तक बढ़ाया जाये क्योंकि वहां पांच तापीय बिजली घर हैं जहां पर काफी बिजली पैदा की जा सकती है। परन्तु हम उस बिजली का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं।

सेलम-बंगलौर लाइन पर धर्मापुरी नाम का एक स्टेशन है। वहां पर कुछ विश्राम कक्ष बनाये जाने चाहिये। सेलम से मद्रास को जाने वाली बल्लु मांउनटेन एक्सप्रेस के साथ एक तीन शायकों वाला डिब्बा सेलम स्टेशन से लगाया जाना चाहिये।

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh): Although much has been done by the Railway Ministry during past twenty years, still a lot has to be done in this connection. The progress made so far is in adequate and the Minister should reconsider his policy in this connection.

It is often said that such and such line is not economical. We did not set up this democracy for considering everything from the angle of profit and loss. It is difficult to agree with such a point of view. Railways are meant for meeting the requirements of the public and therefore the question of profitability should not be considered while thinking of setting up new lines.

The question of Chittor-Kotah line has been discussed a number of times during last fifteen years. The work on the line should commence as early as possible. A direct rail link between Udaipur, and Delhi should be set up so that the people of Doongarpur, Banswara and Pratapgarh should benefit thereby. The railway line from Rohtak to Gohana should be extended upto Panipat and work on this twenty mile track should begin as early as possible. The Government should also consider the demand for electrifi ation of Bandel-Katwa line in West Bengal. The demand of setting up a flag station at Mahesh should also be set up.

Attention should be paid for increasing the speed of trains on shorter routes. Calcutta is 900 miles away from Delhi, while Udaipur is only 400 miles away, but trains to both these places take 24 hours. Speeds of trains to Rajasthan should also be accelerated.

**डा० रानेन सेन** (बारसाट): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रेलवे का निर्माण कार्य कभी-कभी ऐसी लाइन पर होता है जहां पर स्थान और क्षेत्र को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। उदाहरण के लिये, पूर्वी रेलवे के स्यालदेह डिवीजन में एक सेक्शन बोगांव सेक्शन है। यह एक प्रश्न से सीमान्त रेलवे है। वहां स्थानीय लोग बहुत समय से दोहरी लाइन बनाने की मांग कर रहे हैं। परन्तु सरकार ने अभी तक उस मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण मांग है और सरकार को इस बारे में अवश्य कुछ न कुछ करना चाहिये। जोगीगोपा तथा पचंतन्त्र को मिलाने के लिये ब्रह्मपुत्र नदी पर एक अन्य पुल की आवश्यकता है। मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि इन दोनों प्रस्तावों पर पुनर्विचार करें।

Shri Shinkre (Panjim): There is a talk of balancing in different regions of the country. On going through the map of the country, I find that that there has not been a balanced development throughout the country. A railway line in the coastal area from Bombay to Manglore should be constructed. If that line is constructed, the development of Karwar, Konkan and Goa areas will be possible thereby. A lot of foreign exchange will be earned therby. A small territory of Goa is already earning a foreign exchange of Rs. forty crores. The hon. Minister should consider this question.

**श्री लोबो प्रभु** (उदीपी) : अब सभा में अतिरिक्त मांगों पर विचार किया जा रहा है। अतः चर्चा इसी मामले तक सीमित रहनी चाहिये। केन्द्रीय सूचना विभाग को रेलवे द्वारा 14 लाख रुपये दिये गये हैं। यह राशि प्रति वर्ष आय-व्ययक तथा अनुपूरक आय-व्यय के बाद दी जाती है। लोक लेखा समिति ने रेलवे से कहा है कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस भुगतान में विलम्ब न हो। मैं समझता हूं कि स्थिति अब भी वैसी ही है। पिछले वर्ष कार्यकारी व्यय 361 करोड़ रुपये था जबकि इस वर्ष व्यय 377 करोड़ रुपये है। मैं रेलवे मन्त्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस बात पर ध्यान दें कि हमें अपनी आय से अधिक व्यय नहीं करना चाहिये।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : There is no over bridge on Zamania railway station on Calcutta-Delhi railway line. I request that an overbridge should be provided there. A branch railway line from Gajranla to Sambhal should be set up.

**श्री क० नारायण राव** (बोब्बिली) : बंगलौर, कुडप्पा तथा ओंगोल को मिलाने वाली एक लाइन बनाई जानी चाहिये ताकि आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर के बीच वाले भाग को मिलाया जा सके। मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि हैदराबाद तथा कलकत्ता के बीच एक तेज़ गाड़ी चलाई जाये। रेलवे जैसी लोक उपयोगिता वाली सेवा में लाभप्रद होने के प्रश्न को सबसे अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिये।

**रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष)** : श्री अब्दुल गनी दार ने सामरिक महत्व की लाइनों के बारे में कहा है। सामरिक महत्व की लाइनों के बारे में निर्णय रेलवे मन्त्रालय नहीं करता है। यह निर्णय प्रतिरक्षा मन्त्रालय करता है। प्रतिरक्षा मन्त्रालय से यह प्रस्ताव प्राप्त होने पर कि अमुक लाइन बनाई जानी चाहिये, रेलवे मन्त्रालय कार्य शुरू करता है।

हरियाणा, राजस्थान, मैसूर, दिल्ली तथा अन्य राज्यों के बारे में कई सुझाव दिये गये हैं। बंडेल-कटवा लाइन तथा बोंगाईगांव रेलवे लाइन को दोहरा करने के बारे में भी कहा गया है। अभी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई है। इन सभी सुविधाओं पर विचार किया जायेगा तथा धन उपलब्ध होने पर कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

**The cut motion was put and negatived.**

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 1 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।**

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1966-67 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगे (रेलवे) मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| 2 | विविध व्यय | रुपये 7,68,074 |

---

## विनियोग ( रेलवे ) संख्या 6 विधेयक 1968

### APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 6 BILL, 1968

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री परिमल घोष ) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे की कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे की कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The Motion was adopted.**

श्री परिमल घोष : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ।

"कि 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे की कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे की कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन, सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

श्री परिमल घोष : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :
The Lok Sabha divided :

पक्ष में 82 : विपक्ष में 8
Ayes 82 : Noes 8

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted.

## सदस्य द्वारा आज की कार्यवाही मे प्रयोग किये गये कुछ शब्दों का वापिस लिया जाना

## WITHDRAWAL BY MEMBER OF CERTAIN WORDS USED BY HIM IN TODAY'S PROCEEDINGS

उपाध्यक्ष महोदय : आज एक अल्प सूचना प्रश्न के सम्बन्ध में श्री जार्ज फरनेन्डीज़ ने कुछ अशिष्ट शब्द कहे थे। वह उन्हें वापिस लेने के लिये तैयार हैं। क्या उन्हें ऐसा करने की सभा से अनुमति है।

Shri George Fernandes ( Pombay South ) : I withdraw the words used by me in the morning that the Blood of Britishers are running in veins.

---

## अनुदानों की अनुपूरक मांगें ( पंजाब ) 1968-69

## SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS ( PUNJAB ) 1968-69

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | श्री के० एम० अब्राहम | मजदूरों के हितों के विरुद्ध औद्योगिक विवाद में होमगार्डों का प्रयोग | 100 रुपये |
| 26 | 2 | श्री के० एम० अब्राहम | बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं का निर्माण पूरा करने में विलम्ब | 100 रुपये |

श्री के० एम० अब्राहम ( कोट्टयम ) : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 1 तथा 2 प्रस्तुत करता हूं।

मैं पठानकोट में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वहां 19 सितम्बर को पुलिस ने कर्मचारियों पर गोली चलाई थी। क्या 500 व्यक्तियों को हटाने के लिये अश्रु गैस छोड़ना आवश्यक था। क्या भीड़ शस्त्रों से पुलिस पर आक्रमण करने लगी थी। सरकार ने ऐसा नहीं कहा है।

मेरा अनुरोध है कि इस मामले की जांच की जाये।

दूसरी बात परिवहन कर्मचारियों की है। उन्होंने फरवरी के महीने में हड़ताल की थी। उनकी मांगें पूरी नहीं की गयी थी और अनेकों व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त कर दी गयी थीं। इस सम्बन्ध में सरकार तथा एक विधायक श्री हरकिशन सुरजीत सिंह के बीच समझौता हुआ

था परन्तु सरकार ने समझौते को कार्यान्वित नहीं किया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसे अविलम्ब कार्यान्वित करे।

सरकार ने नलकूपों के लिये बिजली की जो दरें लागू की है उनसे बड़े-बड़े किसानों को तो लाभ है परन्तु छोटे किसानों को हानि है। इस बारे में आवश्यक परिवर्तन किया जाना चाहिये।

पंजाब की संयुक्त मोर्चा सरकार ने 5 एकड़ तक की जोत पर भूराजस्व को समाप्त करने का निर्णय किया था। उस निर्णय को तुरन्त लागू किया जाना चाहिये।

सतलज नदी के तट पर जो किसान बस गये है, उन्हें अब वहां से उठाया जा रहा है। ये लोग पाकिस्तान से आकर वहां बसे थे। वहां पर अब एक बीज फार्म बनाने का प्रस्ताव है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि फार्म कहीं ओर बनाया जाये और उन किसानों को वहीं रहने दिया जाये।

भाखड़ा बांध में गाद के जमा होने की एक गम्भीर समस्या है। इस बारे में वन लगाने की योजनाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिये। आंकड़ों के स्थान पर वास्तविक कार्य पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

चुनाव निकट आ रहे है और पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण हो रहे है। हमें न्यायोचित चुनाव के हित में ऐसा नहीं करना चाहिये।

{ श्री गादिलिगन गौड पीठासीन हुए
Shri Gadilingana Gowd *in the Chair* }

पंजाब विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ ने अपना आन्दोलन पुनः चालू कर दिया है। उन्होंने अपनी मांगें प्रस्तुत की थी परन्तु उपकुलपति उनसे बातचीत के लिये सहमत नहीं हुए। उन्होंने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री से बातचीत की है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस बारे में सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाये।

**श्री गु० सिं० ढिल्लों** ( तरनतारन ) : इन मांगों पर चर्चा के दौरान हम सभी विषयों पर बात नहीं कर सकते। इनमें उल्लिखित विषयों पर मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ।

चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों की पद के लिये बड़ी धनराशि की मांग रखी गयी है। यह विभाग गत बीस वर्षों से चला आ रहा है। प्रत्येक बार यह कहा जाता है कि यह एक अस्थायी विभाग है और इसे चार पांच वर्षों बाद समाप्त कर दिया जायेगा और इसका कार्य लगभग पूरा हो गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसे इस प्रकार क्यों चलाया जा रहा है। इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिये। इस विभाग में निदेशकों तथा सहायक निदेशकों की संख्या बहुत अधिक है। इस बारे में कहा गया था कि इनकी संख्या सितम्बर, 1968 तक घटा दी जायेगी। अब वर्ष के अन्त में यह कहा गया है कि उन्हें जारी रखा

जायेगा । मेरा सुझाव है कि इस विभाग को समाप्त करके इसे राजस्व विभाग के साथ मिला दिया जाये ।

राज्य के पिछले मंत्रिमंडल ने शराब के लिये अनेक लाइसेंस दिये हैं । और ठेकेदारों को शीरा, सिप्रिट सप्लाई करने का आश्वासन दिया था । बाद में उन्हें पता चला कि यह नियन्त्रित दरों पर नहीं मिल सकते ।

इसके फलस्वरूप सरकार को हानि हुई है । अनुदान संख्या 16 पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को भुगतान देने के लिये है । इस बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार तथा हरियाणा सरकार ने इन्कार कर दिया था और केन्द्रीय सरकार से इसके प्राप्त किये जाने का सुझाव दिया था । मुझे विश्वविद्यालय के बारे में मालूम है । उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है । कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार की दरों पर मंहगाई भत्ते का भुगतान होना है । अतः मैं चाहता हूं कि इस पर दस लाख रुपया और बढ़ा कर दिया जाये ।

पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों पर वृक्ष 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान बमबारी में नष्ट हो गये थे । इन वृक्षों को पुनः लगाने के लिये प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

**Shri Kanwar Lal Gupta** (Delhi-Sadar) : Sir, Punjab is the gainary of our country. It meets the better part of need of foodgrains of the country. It is very necessary that the needs of farmer there should be met. It is a matter of concern that the adequate credit facilities are not made available to the farmers.

Our farmers have to suffer for want of water for irrigation, because our country is supplying water to Pakistan. Now we should stop this supply of water, as Pakistan has constructed Mangla dam in our territory which is illegal possession of that country. I was surprised to learn hat Shri Morarji Desai has suggested that Government should increase the tax on consumption of water and power in rural areas. If this step is taken, we will oppose it. We do not like that the farmers should be taxed and burdened. Actually the need of the hour is to help them with water, power and fertilizers at cheap rates. Government should think over this matter.

A memorandum containing serious allegations against Gill Ministry was submitted to the President. I demand that C.B.I. should be asked to inquiry into those allegations. The guilty persons must be punished.

Parliamentary seat representing Hoshiarpur in Punjab fell vacant as a result of court decision against the election of Shri Ram Kishan from there. A by-election is to take place there. Why is it being delayed ? It should not be delayed till the mid-term poll in Punjab. The Election Commission should look into this. Eight silk mills have been closed in Punjab because of shortage of raw material. It is due to monoply or one or two persons in the State. Steps should be taken for liberal supply of raw material.

I welcome the increase in the number of home guards in the State. It is a step in the right direction. More attention should be paid to sports in state.

**Shri Randhir Singh** (Rohtak) : Sir, Punjab is the sword arm of our country. The farmer of that state is responsible for growing foodgrains for the entire country. The state

of Punjab has great leaders like Lala Lajpat Rai, Partap Singh Kairon and Chhotu Ram. This state has provided best soldiers for the armed forces of the country.

I feel the farmers should be provided more facilities. They want water for irrigation, power, and fertilizers at cheap rates. If you provide him these things, he can perform marvels in fields agriculture. You can then put taxes on him also.

First of all Government should pay attention to the construction border areas particularly rural areas. If State Government cannot afford that, the Central Government should provide assistance. The farmers should be supplied power at cheap rates. Similarly in the matter of seeds, agricultural implements and credit they should be helped.

More schools and colleges should be opened in rural areas. More funds should be sanctioned for that. The Harijans continue to suffer even now. Some concrete steps should be taken to provide help to them. The allocations for Harijan welfare should be increased. More industries should be set up in rural areas. The dispute between Haryana and Punjab over Bhakra dam water should be amicably settled. The representation Haryana people on Punjab University senate should be increased.

**Shri Meetha Lal Meena** (Sawai Madhopur) : There is no doubt that Punjab leads in the matter industries and agriculture. The farmers of that state are very hard working and provide foodgrains in very large quantity to the country. Government is discriminating n the matter help for fertilizer factories. It is improper. Why Biju Patnaik is being a big sum for this purpose while Tatas are being denied ? I want loans should not be advanced unsrupulousiy.

The spotsmen of Punjab are famous. They should be given all encouragement. The noted persons among them should be given special allowances.

**Shri Sheo Narain** (Basti) : We are proud of the traditions of Punjab. Punjab has produced persons like Bhagat Singh. The entire country has to learn lesson from this state. Punjab has stood in good stead at the time emergencies of all types. The entire country is proud of Punjab.

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

The language of Punjab is Punjabi-a mixture of Hindi and Urdu. I feel the people of other states should learn the language of Punjabi.

I request this Government to provide all help to the state of Punjab.

**श्री समर गुह** (कन्टाई) : पाकिस्तान में आजकल आन्तरिक अस्थिरता खड़ी हो गया है। इस कारण वहां का सरकारी गिरोह 1965 की तरह फिर गड़बड़ करेगा। पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है। राष्ट्रपति अय्यूब अपनी स्थिति दृढ़ बनाने के लिये पुनः आक्रमण कर देंगे। अतः हमें अपनी ओर से पूरी तैयारी करनी चाहिये। सीमा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहिये। पंजाब के लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिये।

भारत सरकार को देश के शहीदों की स्मृति में स्मारक बनाने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में लाहोर जेल में स्मारक बनाने के लिये पाकिस्तान सरकार से बातचीत

की जानी चाहिये। 31 दिसम्बर, 1929 लाहौर में कांग्रेस पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पारित किया था। उसकी स्मृति को अमर बनाने के लिये भी कार्यवाही होनी चाहिये।

**Shri Buta Singh (Rupar) :** Sir, first of all I want to thank my friends who have showered praise on my state. The people of Punjab gave the proof of their bravery at the time of Indo-Pak conflict in 1965. We know how the women of Punjab helped in the war effort. The Jawan of Punjab made history by his heroic deeds. We should be proud of that.

It pains me to learn that allocations of funds for Punjab during the fourth plan has been reduced. The farmers of Punjab are in need of imputs. They should be provided that the consolidation of holdings work should be completed immediately. It has already been delayed. There has been bungling in the matter of purchase of molassis. It is one of the allegations levelled against the former ministry. It should be enquired into. The guilty persons should be suitably punished.

The Punjab University should be provided adequate funds, so that the employees are paid their dearness allowance. The Gill Ministry has done great harm to Punjab. The administration has become corrupt under it. A large number of employees have been subjected to harassment. It should be set right and justice given to all.

**श्री कं० हाल्दर (मथुरापुर) :** पंजाब में शीघ्र ही मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हैं। वहां राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जायेगा। कांग्रेस ने वहां गिल मंत्रिमंडल स्थापित कराया था। उसके विरुद्ध आरोपों का एक ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया गया था। उनके बारे में जांच होनी चाहिये। सरकार को इसके लिये एक आयोग नियुक्त करना चाहिये।

पंजाब रोडवेज के जो कर्मचारी फरवरी, 1968 में मुअत्तिल किये गये थे उन्हें तंग नहीं किया जाना चाहिये। सरकार ने जो वेतन आयोग नियुक्त किया था उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। इसमें उल्लिखित सभी वर्गों के बारे में शीघ्र निर्णय किया जाना चाहिये। इससे सभी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाया जाना चाहिये।

भारत सरकार चण्डीगढ़ के भविष्य के बारे में निर्णय करने में बहुत देरी कर रही है। चाहे प्रधान मंत्री ने इस प्रश्न पर मध्यस्थता करने का वचन दिया था परन्तु अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में पंजाब में कोई भी बड़ी परियोजना आरम्भ नहीं की गई थी। इसलिये पंजाब के लोग अब आशा लगाये हुए हैं कि कम से कम इस चौथी पंचवर्षीय योजना में तो ऐसी परियोजनायें आरम्भ की जायेंगी ताकि वहां के किसानों की दशा में कुछ सुधार हो सके।

केन्द्र में सत्तारूढ़ दल, अर्थात् कांग्रेस दल यह समझता है कि वह ही केवल लोकतंत्र की रक्षा करने वाले व्यक्ति हैं। परन्तु हम देखते हैं कि उन्होंने पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि की लोकप्रिय सरकारों को समाप्त कर दिया है। यह अच्छी बात नहीं है।

**Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) :** The Coalition Government of Punjab could not work for a long time because different parties had their differences. As a result the

President had to take over the administration in his own hands on 23rd August 1968. That is why these demands had been put forth. Moreover, because elections are afoot therefore the opposition parties are making election propaganda here in their speeches and are thus misleading the people.

As I have short time at my disposal therefore I would like to give a few suggestions in this regard.

Punjab is a border State. Therefore its security should be strengthened. Not only that the people living on border areas should also be provided with arms and ammunition.

Secondly, the responsibility of elections should be left over the Governor or the President.

Thirdly, the pension of retired Government servant of Punjab should be enhanced keeping in view the rising trend of prices in the country as they are very much hard up these days.

Fourthly, Himachal Pradesh should stand on equal footing with Punjab and Haryana in the division of Chandigarh.

Lastly, I would like to suggest that the people who have been uprooted because of Bhakra, Beas and Govindsagar Dam should be rehabilitated properly It is the responsibility of Punjab Government to rehabilitate them but they do not take proper action. Hence necessary instructions should be sent by Central Government to the Government of Punjab in this regard.

**Shri Prakash Vir Shastri (Hapur):** At the time of division of Punjab the responsibility for bearing the expenditure of Punjab University was fixed on two States namely Punjab and Himachal Pradesh and the Centre. But in practice we have seen that Himachal Pradesh and the Centre have been bearing the expenditure but Punjab Government has not been bearing its burden. It is good that an amount of Rs. 16 lakhs has been provided for this University in these supplementary Grants. But I feel that this thing should not be allowed to go any more. I also feel that this University has been functioning very nicely. Therefore if Chandigarh remains a Union Territory then the Centre should take it over like Aligarh and Banaras University.

My second suggestion is about Chandigarh city about which a mention has been made by many Members. It is a matter of great regret that the recommendations of the Commissions are not implemented. It would have been better if Government had accepted the recommendations of the Shah Commission in regard to Chandigarh. I feel that Government should not delay the matter in taking a decision about the future of Chandigarh.

My last submission is that Punjabi is the official language of Punjab because this State was reorganised on linguirsic basis. Keeping in view the fact that forty to forty-two per cent people of Punjab claim Hindi as their mother-tongue. Hindi should be recognised as second language in Punjab. I hope that Government will consider these suggestions sympathetically.

**Shri Sadhu Ram (Phillaur):** With regard the supplementary demands for Grants for Punjab I would like to submit that when late Sardar Pratap Singh Kairon was the

Chief Minister of Punjab then a sum of Rs. 3.16 crores was collected for Harijans Welfare Fund and Punjab Government had also agreed to contribute 1.14 crores. With 5 crores from the Centre a scheme casting 10 crores was chalked out for the welfare of Harijans. It is a matter of great regret that,that scheme has not been implemented so far. Not only that, this amount is not being spent properly on Harijans. I, therefore, feel that the Harijans should be given loans out of that fund so that they may set up small scale industries.

I would also like to say something about Muslim evacuee land. The Congress Government of Punjab hads prepared a scheme regarding distribution of Muslim land amongst the Harijans. That scheme has also not been implemented so far. The Central Government should take some steps in this regard.

My next point is regarding village roads. Most of the village roads are lying incomplete in Punjab. Much attention has not been paid towards this aspect. These should be completed without any further delay.

Punjab is a state inhabited by the brave. They had given proof of their bravery during Indo-Pak conflict. They can stand Pakistani aggression single handedly. But, for that heavy industries should be set up in Punjab.

**Shri Kikar Singh** (Bhatinda) : I would like to say only one thing here today. There is a proposal to set up a fertiliser factory in my constituency. But I have come to know that some interested parties have tried to shift it to Sirhind. In this regard I would like to say that Bhatinda is the most suitable place from the point of view of proximity to raw material. Not only that power is also available in Bhatinda in abundance. I would, therefore, like to submit that no change should be made in this proposal.

As far as Chandigarh is concerned it should be made a part of Punjab because it was Punjab who had made efforts to build it.

**The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Jagannath Pahadia)**: Most of the hon. Members have made their speeches regarding the development of Punjab especially in regard to the development of agriculture. In this respect I would like to submit that for the development of agriculture electricity play an important part and Government are fully aware of its importance. That is why we have provided a sum of Rs. 3 crores for the development of electricity in Punjab and this whole amount is likely to be spent during the current year.

Some hon.Members have said that much of the amount is misutilised. In this connection I would like to say that it is for the State Government to see it. Whenever anything is brought to our notice we take action on that.

A mention was made about Punjab University also. Shri Shastri had said that that University should be made a Central University. In this connection, I would like to say that as a matter of fact this is a Central University because the people, of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh enjoy the benefit of that University. Moreover this question is under consideration.

Many hon. Members and especially Shri Dhillon had said that the employees of that University are not at par with their counter-parts in the Central Government. Here I have to say that we have provided Rs. 19 lakhs for that University this year and we hope that University will take care of its employees, and will utilise this amount properly. As it is an autonomous body so it is for that University to see that the amount is utilised properly.

A mention was made about consolidation of holdings. In this respect I have to say that as soon as the work of the Department of Consolidation of Land Holdings is completed that department would be wound up. The Central Government is taking active interest in this matter.

Many hon. Members had made a mention of Bhakra-Nangal and Beas Projects. As for as these projects are concerned, they are the combined projects of Punjab, Haryana and Rajasthan. Taking this thing into consideration the Central Government have made a provision for the year 1968-69 for Rs. 5.93 crores for the Bhakra-Nangal Project and Rs. 22.27 crores for Beas Project. The work of rehabilitation is also going on along with this work.

Shri Kanwar Lal Gupta had said that Goondaism is going in Punjab.

**Shri Kanwar Lal Gupta** (Delhi Sadar) : I had not reformed to goondaism but wanted to know the reasons for savings of Rs. 20 crores out of total allocations of Rs. 40 crores for credit facilities.

**Shri Jagannath Pahadia** : I would like to submit that since President's rule in Punjab insturctions have been issued that the administration of Punjab should be conducted efficiently and without any partiality.

As far as the question of determination of boundries between Punjab and its neighbouring States is concerned I have to say that after the report of the Boundary Commission these have already been determined.

The election Commission is also seized of the matter regarding mid-term elections.

इसके पश्चात सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

**The cut motions were put and negatived**

अध्यक्ष महोदय द्वारा पंजाब के सम्बन्ध में वर्ष 1968-69 के लिये अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई ।

**The following Demands in respect of Supplementary Demands for Grants (Punjab) for 1968-69 were put and adopted.**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| 1 | भू-राजस्व | 22,01,000 |
| 2 | राज्य उत्पादन शुल्क | 2,97,03,000 |
| 6 | स्टाम्प | 1,80,000 |
| 9 | सामान्य प्रशासन | 6,10,000 |
| 12 | पुलिस | 15,93,910 |
| 16 | शिक्षा | 16,00,000 |
| 26 | बहु-प्रयोजन नदी योजनायें | 4,03,000 |

| | | |
|---|---|---|
| 27 | सिंचाई, नौपरिवहन, बांध तथा जल निकास कार्य (वाणिज्यिक) | |
| | सिंचाई, नौपरिवहन, बांध तथा जल निकास कार्य (अवाणिज्यिक) | 22,93,000 |
| 29 | सरकारी निर्माण कार्य | 10 |
| 37 | वन | 35,00,000 |
| 38 | फुटकर | 16,25,000 |
| 43 | औद्योगिक तथा आर्थिक विकास पर पूंजी व्यय | 58,00,000 |
| 51 | राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जे तथा पेशगियां | 10 |

## पंजाब विनियोग विधेयक, 1968
## PUNJAB APPROPRIATION BILL, 1968

**वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) :** श्री मोरारजी देसाई की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये पंजाब राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये पंजाब राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**
**The motion was adopted**

**श्री जगन्नाथ पहाड़िया :** मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये पंजाब राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है,

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये पंजाब राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**
**The motion was adopted.**

**अध्यक्ष महोदय :** अब हम खण्डवार चर्चा करेंगे । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted**

**खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

**Clauses 1 to 3, the schedule, the evacting formula and the title were added to the Bill.**

**श्री जगन्नाथ पहाड़िया :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये पंजाब राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पारित किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

---

## अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पांडिचेरी) 1968-69

## SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (PONDICHERRY) 1968-69

**अध्यक्ष महोदय :** अब संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के 1968-69 के आयव्ययक के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1968-69 के लिए अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें (पांडिचेरी) प्रस्तुत की गयी और स्वीकृत हुई ।

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | **राजस्व से पूरा किया गया खर्च** | **रुपये** |
| 7 | रजिस्ट्री फीस | 49,000 |
| 9 | सामान्य प्रशासन | 83,000 |

---

# पांडिचेरी विनियोग विधेयक 1968–69

## PONDICHERRY APPROPRIATION BILL, 1968-69

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) :** श्री मोरारजी देसाई की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1968–69 की सेवाओं के लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले वियधेक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष 1968–69 की सेवाओं के लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

**श्री जगन्नाथ पहाड़िया :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

**श्री जगन्नाथ पहाड़िया :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि वित्तीय वर्ष 1968–69 की सेवाओं के लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :–

"कि वित्तीय वर्ष 1968–69 की सेवाओं के लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

**अध्यक्ष महोदय :** अब खण्डवार विचार आरम्भ होगा । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 1 to 3, the Schedule, the enacting formula and title were added to the Bill.

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

---

## अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1968-69

## SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1968-69

अध्यक्ष महोदय : अब सभा वर्ष 1968-69 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर विचार करेगी । जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वे 10 मिनट के अन्दर अपनी पर्चियां सभा-पटल पर भेज दें ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : It is understood that former Finance Minister of so called "Azad Kashmir" and a relative of Commander-in-chief of Pakistan had attended the convention convened by Sheikh Abdullah, Government had also played an important role in granting them passport.

{ श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare *in the Chair* }

Shri Afzel Beg had also met High Commissioner of Pakistan in New Delhi. Shri Bhutto has challenged President Ayub Khan that if he is irritated, he will disclose the understanding which was apart from Tashkent Agreement. In view of this may I know whether there is any other understanding between India and Pakistan about the division of Kashmir Valley and whether Government have issued any passport to a relative of C-in-C of Pakistan ?

Atpresent fifty thousand square miles of our land is under the occupation of China and Pakistan. This House had taken pledge to get every inch of our land vacated. I want to know whether Government still stands by that pledge.

There is move of creation of a Muslim majority district in Kerala. In case Kerala State is allowed to do so, it will have its far reaching effects. It amounts to conspiracy for creation of mini-Pakistan in India. There is also a scheme of creation of a Mopilistan which must be opposed by Government of India.

Delhi Administrati n have asked for Rs. 500 crores whereas Working Group proposed to give Rs. 155 crores for the Fourth Five Year Plan. Delhi is the capital of India and holds a special position in the country. There is lot of income to Central Government from Delhi. It is not like other Union Territories. The population of Delhi is increasing. The problems of sanitation, electricity, water are still there. In view of this Government must allot more funds to Delhi.

Russia have promised to provide technical know-how pertaining to atomic energy to Pakistan. If this know how is made available to Pakistan, they will use it against India. When Pakistan had been receiving military aid from U.S.A. and other foreign countries it was said that they will use it in self-defence but the result has been otherwise. In view of this I would suggest that we should also manufacture atom bomb for our self defence. We should not depend on the umbrella proposed to be provided by big powers.

**Shri Buta Singh** (Rupar) : I would suggest that problem of Kashmir should not be exaggerated. After all Kashmir is an integral part of India. This matter should not be raised again and again as it may create panic in that area.

Harijans and people belonging to vulnerable classes are being evicted in this winter season and put to lot of inconvenience. Delhi administration should look into this problem.

I may suggest that Punjabi should be declared as second language of Delhi. We should have confidence in minority community. Muslims are also Indians and they have produced persons like Abdul Hamid who have made supreme sacrifices for the defence of the country. The opposition parties have penetrated in Universities and Governments. I congratulate the Home Minister for his tackling the situation firmly.

**श्री समर गुह** (कन्टाई) : प्रधान मंत्री, उप-प्रधान मंत्री अथवा मंत्रिमंडल स्तर के किसी मंत्री ने उत्तर बंगाल में बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत देने अथवा पुनर्वास आदि के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। यह एक विशेष राष्ट्रीय समस्या है। परन्तु राष्ट्रीय नेता इसके बारे में उदासीन हैं। उप-प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था कि उपयुक्त राहत देने और पुनर्वास के कार्य में धन की कमी नहीं आयेगी, परन्तु पुनर्वास के कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है।

उत्तर बंगाल के क्षेत्र का सामरिक दृष्टि से विशेष महत्व है। अतः यदि राहत और पुनर्वास का कार्य शीघ्र न किया गया तो वहां पर गम्भीर समस्या पैदा हो जायेगी। मैं गृह मंत्री से फिर अनुरोध करता हूं कि वह इस समस्या की ओर विशेष ध्यान दें। यह एक गम्भीर समस्या है। पश्चिम बंगाल सरकार की 40 करोड़ रुपये की मांग स्वीकार कर लेनी चाहिये अन्यथा इस समस्या का समाधान असम्भव है। उत्तर बंगाल में बाढ़ की स्थिति प्रलय के समान थी। यदि इस समस्या के साथ निपटने के लिये धन राशि नहीं दी गयी तो इस स्थिति से ऐसे लोग लाभ उठायेंगे जो वहां अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं।

**श्री एस० कन्डप्पन** (मैटूर): अनुपूरक मांगों की पूरी की पूरी धनराशि सूती कपड़ा मिलों के कार्य संचालन में सुधार करने के लिये रखी गयी है। पिछली बार इस विषय पर जब सभा में चर्चा की गयी थी तो मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि मिलों के कार्य संचालन में

सुधार करने के लिये लगभग 5 करोड़ रुपये के अग्रिम ऋण दिये जायेंगे। केवल तामिलनाड में ही आज 60–70 मिलें बन्द पड़ी हैं। वहां कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं जिससे वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गयी है।

सरकार ने ऋण की व्यवस्था का कारण यह बताया है कि प्रभावित मिलों के पास अप्रचलित मशीनें हैं। परन्तु इसके साथ-साथ एक कारण यह भी है कि बाजार में धागे की मंदी है। इस मंदी को दूर करने के लिये तथा कपड़ा मिलों की स्थिति सुधारने हेतु मिलों और राज्य सरकार ने यह मांग की है कि उत्पादन शुल्क में कमी की जाये। अभी तक केन्द्रीय सरकार ने लगभग 5 करोड़ रुपये का ऋण भी नहीं दिया है। तामिलनाड के मुख्य मंत्री तथा एक और मंत्री को बताया गया था कि एक निगम स्थापित किया जायेगा जो यह देखेगा कि कमजोर मिलें फिर से कार्य करने लगें। परन्तु अब बताया जा रहा है कि निगम की स्थापना का प्रयोजन बन्द मिलों को चालू करना नहीं है। इस प्रकार के वचन देने से मिल मालिकों पर ही नहीं बल्कि मिलों में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों पर भी प्रभाव पड़ता है। अतः सरकार को कम से कम समय में कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे बन्द मिलें फिर से भली-भांति कार्य करना आरम्भ कर दें। यह एक गम्भीर मामला है। केन्द्रीय सरकार जितना उत्पादन शुल्क कम कर देगी, राज्य सरकार भी उतना ही बिक्री कर कम कर देगी। परन्तु केन्द्रीय सरकार इस सुझाव के बारे में भी उदासीन है।

आकाशवाणी द्वारा अंग्रेजी के समाचार बुलेटिनों का समय बदलने के कारण तामिलनाड में आन्दोलन चल रहा है। आकाशवाणी को जनता की रुचि का ध्यान रखना चाहिये। समय बदलने की बात बहुत साधारण है। परन्तु दुर्भाग्य से सरकार अंग्रेजी के समय हिन्दी के समाचार प्रसारित करने पर कटिबद्ध है। इस कारण तामिलनाड में विद्यार्थी आन्दोलन का मार्ग अपना रहे हैं। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार के साथ सहयोग करना चाहिये। सरकार का उपरोक्त निर्णय स्थगित रखा जा सकता है। यह एक अनावश्यक विवाद है। इस प्रकार के विवाद से हिन्दी की समस्या का समाधान नहीं होगा। राष्ट्रीय छात्र सेना को हिन्दी में आदेश दिये जाने की समस्या पहले ही वहां विद्यमान है। वहां यह भावना पैदा हो गयी है कि द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम की सरकार विद्यार्थियों के हित का ध्यान नहीं रखती है। अधिक कठिनाइयां पैदा करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समाचार बुलेटिनों के समय का मामला प्रतिष्ठा का मामला नहीं बनाया जाना चाहिये।

**श्रीमती इलापाल चौधरी** (कृष्णनगर) : वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की मांग संख्या 13 के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि कुछ खर्च बुलगारिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में नये दूतावास खोलने पर किया जायेगा। नये दूतावास खोलते समय भारत के सम्मान के अतिरिक्त हमें भारत में निर्मित वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिये भी प्रचार करना चाहिये। इन वस्तुओं में चाय भी सम्मिलित करनी चाहिये।

[ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Speaker *in the Chair*** ]

हमें इन देशों में भारतीय चाय का प्रचार करना चाहिये । इससे हमारी विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि होगी । 'टी बोर्ड' द्वारा किये जा रहे प्रचार को अधिक सफलता नहीं मिली है ।

वर्ष 1939 में भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत कुछ भूमि का अर्जन किया गया था । वह अभी तक सम्बन्धित व्यक्तियों को नहीं दी गयी है । इस प्रकार की कुछ भूमि नदिय और धुकेला में है । इस क्षेत्र के किसान इस सम्बन्ध में चिन्तित हैं कि उनकी सम्पत्ति का क्या होगा । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस मामले की जांच करेंगे ।

उत्तर बंगाल में बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिये 40 करोड़ रुपये की मांग की गयी है । परन्तु पश्चिम बंगाल सरकार को अब तक केवल 15 करोड़ रुपये मिले हैं । आशा है कि पुनर्वास कार्य पूरा करने के लिये शेष धनराशि पश्चिम बंगाल सरकार को शीघ्र मिल जायेगी ।

बागडोगरा हवाई अड्डा सेना के अधिकार में है और हवाई अड्डे की इमारत असैनिक उड्डयन विभाग के नियन्त्रण में है । यह एक पर्यटन केन्द्र भी है । परन्तु इस इमारत, शौचालयों, प्रतीक्षा गृहों आदि की स्थिति बहुत खराब है । सरकार को इन बातों पर विचार करना चाहिये और इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

**Shri Rabi Ray** (Puri) : I oppose the supplementary Demands. Through you I want to inform the hon. Home Minister that a public movement is going on in Manipur since the 15th November, for getting their demand for statehood accepted, I have made a number of efforts to raise this matter in this House but failed. The hon. Home Minister has also not given any statement in this regard. A number of M.L.As, of that area are in jails where they are not being treated properly. I want to appeal to the hon. Minister that Manipur should be given the status of a State immediately.

A conference of our ambassadors in all Asian countries was held in Delhi a few days ago and we expected that the Govt. of India would issue certain should instructions in regard to our policy relating to China. But the Govt. have not been having any fixed policy in regard to China, and, on the other hand, our Foreign Secretary in a dinner attended by the Chinese Ambassador in India. met the attendees very happily.

I fail to understand this Governments neutral policy. Many a times we have demanded in this House that we should severe our diplomatic relations with China and her membership in the U.N. should not be supported, but the Govt. have not applied their mind to both of these issues. They are fanatic about colombo proposals in accordance with which they will have to give 14,000 sq. miles of land to China. I demand that we should break our diplomatic relations with China who has captured our one lakh sq. miles of land-including 50 thousand sq. miles of Tibbet. I firmly believe that we can never have good relations with China.

We allege that the Govt. of India have no foreign policy at all. Had they any good foreign policy, they must have recognised the Taiwan, Chiang Kai Sheikh and G. D. R. Governments, If you adopt such a good foreign policy you would get better results.

**The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Jagannath Pahadia)** : The hon. Members have raised many issues which are not connected with the supplementary demands. They have also raised some big policy matters which cannot be raised on the supplementary demands.

**Shri Kanwar Lal Gupta** (दिल्ली-सदर) : Why not ? When else can these be raised then?

**अध्यक्ष महोदय :** उनका अभिप्राय है कि वह बड़ी नीतियों के बारे में उत्तर नहीं दे सकते । उनका यह मतलब नहीं कि नीति सम्बन्धी मामले उठाये ही नहीं जा सकते ।

**श्री कंवर लाल गुप्त :** वरिष्ठ मंत्री यहां बैठे हैं, वह उत्तर दें । अन्यथा यहां सदन में बैठने का क्या लाभ है ?

**श्री एस० कण्डप्पन (मैटूर) :** मंत्री महोदय को स्पष्ट रूप से ज्ञात होगा कि कितने मिलों पर कुप्रभाव पड़ा है तथा कितने लोग बेरोजगार हुए हैं और अपनी जिम्मेवारी समझते हुए उन्होंने इस बारे में पिछले महीनों के दौरान कुछ विचार भी किया होगा । अनुपूरक मांगों में दिखाया गया है कि वह इन कुप्रभावित मिलों के सुधार हेतु 136 करोड़ रुपय का अतिरक्त व्यय करेंगे । इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि वह इस पैसे को किस ढंग से खर्च करके इस समस्या का समाधान करेंगे ।

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** इस बारे में हमने मद्रास सरकार से समय समय पर सम्पर्क किया है तथा उसने इन कताई मिलों की सहायता करने हेतु हम से वित्तीय सहायता मांगी थी जो कि हमने दी । कुप्रभावित मिलें का मामला बड़ा लम्बा है जिसके लिये सूती-कपड़ा निगम हेतु हमने 1.25 करोड़ रुपये मांगें हैं । आने वाले वर्षों में इस स्थिति में सुधार करना ही होगा । आगामी वित्त वर्ष समीप ही है तथा हमें इस बीच और अधिक धन की आवश्यकता नहीं होगी ।

**Shri Kanwar Lal Gupta :** The hon. Home Minister may kindly express Central Govt.'s attitute in regard to Muslim Majority District Kerala. Secondly, he may retreat that the Pakistani occupied Kashmir is also ours and that he would not compromise with Pakistan on this issue.

**गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :** यह मामला अनेक बार यहां उठाया गया है और हमने उसका हर बार उत्तर दिया । पाक-अधिकृत काश्मीर भारत का एक अंग है तथा उसके बारे में कोई समझौता कैसे हो सकता है ?

केरल में उस जिले की स्थापना के बारे में यही अच्छा होगा कि कोई विचार व्यक्त न किये जायें । यह राज्य का विषय है । मैं तो चाहूंगा कि ऐसा कोई जिला न बने ।

**अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1968-69 के लिए अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें (सामान्य) रखी गई तथा स्वीकृत हुई :**

**The following supplementry demands for Grants (General) for the year 1968-69 were put and adopted.**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि रु० |
|---|---|---|
| 3 | वाणिज्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | 1,36,00,000 |
| 13 | वैदेशिक कार्य | 95,80,000 |
| 34 | खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | 20,00,00,000 |
| 74 | इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | 515,000 |
| 113 | केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण भार अग्रिम | 50,00,01,000 |
| 117 | संघीय राज्य क्षेत्रों और आदिम जाति क्षेत्रों का पूंजी परिव्यय | 20,00,000 |
| 120 | सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय | 1,000 |
| 126 | उड्डयन पर पूंजी परिव्यय | 1,000 |
| 127 | पर्यटन और असैनिक उड्डयन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय | 75,00,000 |

## विनियोग (संख्या 5) विधेयक
## APPROPRIATION (NO. 5) BILL

**श्री जगन्नाथ पहाड़िया :** मैं प्रस्ताव करता हूं

कि "वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति की जाय।'

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिए भारत संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**
**The Motion was adopted**

**श्री जगन्नाथ पहाड़िया :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं :-

मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 को सेवाओं के लिए भारत की संचितनिधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

कि वित्तीय वर्ष 1968–69 की सेवाओं के लिए भारत की सचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The Motion was adopted**

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि खण्ड 2, और 3, खण्ड 1, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The Motion was adopted**

**खण्ड 2 और 3, खण्ड 1, अनुसूची अधिनियमन सूत्र और विधेयक का शीर्षक विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

**Clauses 2 and 3, Clauses 1, the Schedule, The Enancting Formula and the Title were added to the Bill.**

**श्री जगन्नाथ पहाड़िया :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक का पारित किया जाये ।"

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The Motion was adopted**

---

## अनुदानों की अनुपूरक मांगें (बिहार) 1968-69

## DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (Bihar) 1968-69

**अध्यक्ष महोदय द्वारा बिहार के सम्बन्ध में वर्ष 1968-69 के लिये अनुदानों की निम्न लिखित अनुपूरक मांगे रखी गई तथा स्वीकृत हुई :**

**The following Demands for Supplementary Grants for the year 1968-69 in respect of Bihar were put and adopted.**

| मांग संख्या | शीर्षक | रुपये राशि |
|---|---|---|
| 2 | भू-राजस्व | 97,000 |
| 4 | गाड़ियों पर कर | 40,300 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | स्टाम्प | 4,85,000 |
| 9 | राज्य विधान मंडल | 1,09,84,000 |
| 10 | सामान्य प्रशासन | 16,03,000 |
| 11 | न्याय प्रशासन | 100 |
| 12 | जेलें | 100 |
| 13 | पुलिस | 18,97,000 |
| 15 | वैज्ञानिक विभाग | 200 |
| 16 | शिक्षा | 1,18,40,500 |
| 17 | मैडीकल | 1,100 |
| 18 | लोक स्वास्थ्य | 18,76,100 |
| 19 | कृषि | 31,82,800 |
| 20 | पशु पालन | 1,000 |
| 21 | सहकारिता | 1,11,700 |
| 22 | उद्योग | 700 |
| 23 | सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य | 27,13,300 |
| 24 | श्रम तथा रोजगार | 6,48,200 |
| 25 | विविध सामाजिक तथा विकास संगठन (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण) | 2,97,800 |
| 26 | विविध सामाजिक तथा विकास संगठन (आंकड़े) | 48,700 |
| 27 | विविध सामाजिक तथा विकास संगठन (विविध योजनाएं) | 2,21,500 |
| 28 | सिंचाई जिसमें बहुप्रयोजन नदी योजनायें शामिल हैं | 30,55,200 |
| 30 | लोक निर्माण कार्य | 28,68,200 |
| 31 | लोक निर्माण कार्य —सिब्बंदी | 42,99,700 |
| 32 | अकाल सहायता कार्य | 1,50,00,000 |
| 34 | लेखन सामग्री तथा छपाई | 1,69,300 |
| 35 | वन | 98,300 |
| 36 | विविध (ग्राम पंचायत) | 5,00,000 |
| 37 | विविध | 2,06,300 |

| | | |
|---|---|---|
| 38 | विविध (जन सम्पर्क विभाग) | 1,64,300 |
| 40 | राष्ट्रीय आपात–1962 से सम्बन्धित व्यय | 7,02,700 |
| 42 | औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय | 1,94,25,900 |
| 43 | अन्य निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय | 500 |
| 46 | राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण तथा अग्रिम | 6,70,200 |

## बिहार विनियोग (संख्या 2 ) विधेयक 1968
## BIHAR APPROPRIATION (No. 2) BILL 1968

**श्री जगन्नाथ पहाड़िया :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1968–69 की सेवाओं के लिये बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**
**The Motion was adopted**

**श्री जगन्नाथ पहाड़िया :** मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हू ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1968–69 की सेवाओं के लिये बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1968–69 की सेवाओं के लिये बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग कर अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**
**The Motion was adopted**

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, 2, 3, अनुसूचि अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अङ्ग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, 2, 3, The Schedule, The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

**श्री जगन्नाथ पहाड़िया** : मैं प्रस्ताव करता हूं
'कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :
"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

---

## असैनिक रक्षा नियम 1968 में संशोधन के बारे में प्रस्ताव–जारी
## MOTION RE : MODIFICATION TO CIVIL DEFENCE RULES, 1968–CONTD

**श्री श्रीनिवास मिश्र** (कटक) : सिविल रक्षा नियमों में राज्य सरकारों को भी शामिल करने की शक्ति जो केन्द्र सरकार को प्राप्त है वह एक समर्थकारी और प्रादेशात्मक विधान है अतः राज्य सरकारों को शामिल हो सकने से वंचित करना इस अधिनियम के विरुद्ध होगा । नियम 12 तथा 13 को राज्य सरकारों पर लागू न करना एक भूल है जिसे मन्त्री महोदय ने भी अनुचित माना है । परन्तु अब भी सरकार इसमें संशोधन करने से इन्कार करती है ।

यदि केन्द्र सरकार ऐसा नहीं करना चाहती तो वह सभा को यह आश्वासन दे कि नियम 13 के सम्बन्ध में वह राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त करेगी । परन्तु ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया हैं । इससे केन्द्र व राज्यों के सम्बन्धों के बारे में सन्देह उत्पन्न होता है । राज्य सरकारों की धारणा है कि खानों और कारखानों के बारे में केन्द्र राज्य सरकारों को साथ नहीं रखना चाहती ।

परन्तु राज्य सरकारों के सहयोग के बिना आप सिविल (असैनिक) रक्षा नियम लागू नहीं कर सकते । आप उन्हें अपने साथ शामिल क्यों नहीं करते ? अथवा फिर केन्द्र यह आश्वासन दे कि वह राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त करेंगे ।

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : माननीन सदस्य ने कई महत्वपूर्ण मामले उठाये हैं तथा वह यह भी जानते हैं कि हमारी यह नीति है कि हम सिविल रक्षा के बारे में राज्य सरकारों का सदा सहयोग प्राप्त करते हैं । हम समझते हैं कि सिविल रक्षा का विषय भले ही केन्द्र का विषय हो, राज्य सरकारों के सहयोग बिना इस काम को प्रभावपूर्ण ढङ्ग से नहीं किया जा सकता । केवल अकारण के भ्रम तथा विरोधभाषी निर्देशों

से बचने के लिये ही इन दो नियमों में राज्य सरकारों को अधिकार नहीं दिये गये हैं। मैं आश्वासन देता हूं कि जब भी हम इन नियमों का प्रयोग करेंगे राज्य सरकारों का पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे। मुझे आशा है कि इस आश्वासन के बाद माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले लेंगे।

**प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया**

**The Motion was by leave, withdrawn**

---

## ** इन्द्रप्रस्थ भवन में हुई घटनाएं

## ** INCIDENTS AT INDRAPRASTHA BHAVAN

**श्री म० ला० सोंधी** (नई दिल्ली) : इस विषय पर चर्चा करने का उद्देश्य यही है कि पुलिस की ज्यादतियों से नागरिकों की रक्षा करने के बारे में सरकार की संवैधानिक जिम्मेवारियों पर प्रकाश डाला जाय। इन्द्रप्रस्थ की घटनाओं के बारे में गैर-सरकारी तौर से की गई जांच को भारतीय जनता ने महत्वपूर्ण माना है। ये घटनायें देश के लोगों में यह धारणा बनाती हैं कि सरकार अपने कर्मचारियों की रक्षा करने में असफल है।

इस चर्चा के माध्यम से मैं कोई घटिया किस्म का राजनैतिक प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि पुलिस की शक्ति का प्रयोग करते समय कानूनी नियमों का भी ध्यान रखा जाना चाहिये।

गृह-कार्य मन्त्री ने कई बार कहा है कि उन्होंने इस जांच समिति की उपलब्धियों पर ध्यान नहीं दिया है। यह कितनी विचित्र बात है जब कि स्वयं मन्त्री महोदय ने तथा अन्य मन्त्रियों ने भी अंग्रेजी शासन के दौरान पुलिस की ज्यादतियों को सहन किया हैं और उसकी याद हमारे दिलों में ताजा है। माननीय मन्त्रियों को जलियांवाला बाग कांड का तो स्मरण तो होगा ही। इसके अतिरिक्त और भी ऐसी अनेक घटनायें हुई थी जिनमें उन्होंने पुलिस की ऐसी पशुता सही थी कि जिसका उचित वर्णन करना भी असम्भव है।

वही व्यक्ति राजधानी में पुलिस की ज्यादतियों की कैसे उपेक्षा कर सकते हैं ? अंग्रेजों के समय में तो वे हर घटना के बारे में अदालती जांच की मांग करते थे। आज वही बातें गलत कैसे हो सकती हैं ?

अदालती जांच की मांग में कुछ भेद हैं और इसीलिये यह महत्वपूर्ण है कि इस विषय पर बड़े सभ्य ढङ्ग से चर्चा की जाये। यहां मेरा उद्देश्य कोई राजनैतिक लाभ उठाने का नहीं है। इस चर्चा के माध्यम से मैं देश की उन भावी समस्याओं की ओर संकेत करना चाहता हूं जो कि हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास के मार्ग में सामाजिक अवरोध उत्पन्न करेगी

** आधे घन्टे की चर्चा।

** Half-an hour Discussion.

तथा जिन्हें हल करके हमने दुनिया को दिखाना है कि हम अपनी इन समस्याओं को बड़े विश्वास, गम्भीरता तथा विवेक से हल कर सकते हैं।

दुर्भाग्य से, आयोग अधिनियम के अन्तर्गत जांच कार्य के संकीर्ण अर्थ लगाने के कारण सरकार के बारे में देशवासियों के दिल पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। गृह-कार्य मन्त्री द्वारा अदालती जांच की मांग को अनुचित कहा जाना मेरी समझ में नहीं आया। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या उन्होंने समझा है कि इससे उनके देशवासियों के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि लोगों के दिलों में यह धारणा बन गई कि सरकार कोई ऐसी बात छिपाना चाहती है जो कि उसे नहीं छिपानी चाहिये, तो काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सरकार की कितनी बदनामी होगी। लोग समझेंगे कि सरकार ने ऐसा राजनैतिक दबाव के कारण किया है।

इन सुप्रसिद्ध व्यक्तियों की गैर-सरकारी जाँच समिति के अनुसार इन्द्रप्रस्थ एस्टेट में हुई घटनाओं से ऐसा लगता है कि गुंडों और अपराधियों को भवन के अन्दर उत्पात मचाने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया गया था जिन्होंने कर्मचारियों को पीटा और सरकारी सम्पत्ति को नष्ट किया। इस समिति का यह विचार भी है कि यदि प्रशासन में थोड़ी बुद्धिमता होती तो वह इस प्रकार की अराजकता की निन्दा करता और दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करता। मन्त्री महोदय ने अपनी ओर इस मामले में तथ्यों का पता लगाने के लिये जांच का कार्य उपायुक्त को सौंपा जो कि प्रजातन्त्र के विरुद्ध था। हमें इन बातों का विरोध करना चाहिए अन्यथा एक दिन ऐसा आयेगा जब कि देश में समग्रवादी शासन हो जायेगा। मैं इस सम्बन्ध में सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश में कानून का उचित ढग से प्रयोग किया जाना चाहिए और जनता को संविधान में जो अधिकार प्राप्त हैं उनकी रक्षा की जानी चाहिए।

इस प्रकार महत्वपूर्ण परिवर्तनों से आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परस्पर प्रतिक्रियाओं का बढ़ना अवश्यंभावी है जिनसे गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिनके लिये सरकार को कानून के अन्तर्गत कुछ उपाय करने पड़ेंगे। किन्तु पुलिस ने जो कुछ भी इन्द्रप्रस्थ भवन में किया था हर कानून से परे था। यदि इस प्रकार की बातों का विरोध न किया गया और राष्ट्र की चेतना जागृत नहीं की गई तो एक दिन देश में पुलिस का तानाशाही राज्य स्थापित हो जायेगा। हम में प्रत्येक की यही इच्छा है कि देश में इस प्रकार की घटनाएं न हों। दूसरे देशों में भी ऐसा हुआ है। जब कभी भी जनता इस प्रकार की घटनाओं के प्रति जागरूक होती है तो वह उन पर चिंता व्यक्त करती है। अमेरिका में नीग्रो लोगों की समस्या है। उन नीग्रों लोगों पर अत्याचार किये जाते हैं। नागरिक अधिकार आयोग ने हाल में इस समस्या पर किया था। अभी हाल मे शिकागों से प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि डा० मार्टिन लूथर किंग ने नीग्रो लोगों पर किये जाने वाले का विरोध किया था और विश्व के सामने उनके साथ किए जाने अत्याचार से अवगत कराया था। हमें इन सब बातों से सबक लेना चाहिए। इन्द्रप्रस्थ की घटनाओं के प्रति सरकार का जो दृष्टि-कोण रहा है वह अशोभनीय है। हमें इस प्रकार की घटनाओं को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए।

अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय किस प्रकार अपना वचन पूरा न करके जनता की आशंका को किस प्रकार दूर नहीं कर पाये हैं। उपायुक्त ने दूसरा प्रतिवेदन

दिया है जिसमें श्री कंवर लाल गुप्त के नाम का उल्लेख किया गया है । इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि महिलाओं का अपमान नहीं किया गया । ऐसा लगता है कि उन्हें लाठी प्रहार से कोई चोट आई हो । इन घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत अपने प्राचीन गौरव खो चुका है । उपायुक्त केवल कुछ व्यक्तियों के साक्ष्य के आधार पर ही इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पुलिस ने समाचार संवाद्दाताओं अथवा अधिकारियों के साथ किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया ।

नेशनल हरेल्ड के समाचार संवाद्दाता सर्वश्री जी० वी० कृष्णन तथा नाजमुल हसन द्वारा भेजा गया एक पत्र है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने जांच समिति के सामने जो बयान दिये थे उनको बहुत कुछ काट छांटकर रिपोर्ट में दिया गया है । उन्होंने ए० एस० पी० श्री आर० सी० कोहली का उल्लेख किया था किन्तु इसे रिपोर्ट में नहीं लिया गया है । श्री एम० के० कवि का उल्लेख भी रिपोर्ट में केवल एक स्थान पर है जब कि उन्होंने उसके बारे में दो-तीन बार उल्लेख किया था । रिपोर्ट में डी० आई० जी० श्री टंडन के साथ जिन दो पुलिस अधिकारियों का उल्लेख है वास्तव में वे अधिकारी न थे अपितु श्री टंडन की रक्षा के लिए दो कांसटेबल थे । श्री काव को भी उन लोगों ने इन्द्रप्रस्थ भवन में प्रवेश करते हुए देखा था । उन्होंने यह भी सुना था कि कोई पुलिस अधिकारी संवाद्दाताओं को पीटने का आदेश दे रहा था । बाद में पता चला कि आदेश देने वाले अधिकारी श्री आर० सी० कोहली थे । उन लोगों ने अपने बयान में इन सब बातों का उल्लेख किया था किन्तु रिपोर्ट में ये बातें नहीं हैं ।

यदि इन घटनाओं की न्यायिक जांच करायी जाती तो ये सारी बातें प्रकाश में आ जाती । किन्तु इस जांच में हम ऐसा देखते हैं कि बयानों को काट छांटकर रखा गया है । इसके लिये हम किसी व्यक्ति को दोषी नहीं मानते हैं । हमें इस सम्बन्ध में समूचे शासन तन्त्र पर विचार करना होगा । साम्यवादी देशों में भी नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठानी पड़ती है क्योंकि वहां पर नागरिक स्वतंत्रता सीमित है । हम नहीं चाहते हैं कि भारत में भी वही स्थिति उत्पन्न हो इसलिये आज हमें इसके प्रति पहले से ही जागरूक रहना है ।

हमें आज इस बात से उत्पन्न सरकारी कर्मचारियों तथा दिल्ली की जनता में उत्पन्न भय को अच्छी तरह से समझना होगा क्योंकि यह कोई मामूली बात नहीं है । मैं गृह-मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार की ठोस नीति क्या है ? क्या सरकार यह समझती है कि खुले तौर पर जाच न करने से सरकारी कर्मचारियों का सरकार में विश्वास बना रहेगा ? क्या सरकार यह समझती है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में जो कुछ भी कार्यवाही की है उससे दिल्ली में अधिक कार्यकुशल प्रशासन चल रहा है ? क्या लोग समझते हैं कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया है ? जब कोई संकट पैदा होता है तो सरकार को ऐसी नीति से काम लेना चाहिए जिससे लोगों में असंतोष की भावना न रहे । गत वर्ष 'नव वर्ष' की पूर्व संध्या को जो अप्रिय घटनाएं हुई थी उस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये समाज-विरोधी तत्वों को दबाया जाना चाहिए । किन्तु सरकार को कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करनी चाहिए जिससे सरकार में जनता का विश्वास ही उठ जाये । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं गृह-कार्य मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह समय को पहचानें और उसी के अनुसार नीति अपनाए जिससे देश में स्वच्छ वातावरण पैदा हो सके और सरकार में जनता का विश्वास की भावना बनी रहे ।

जनता को स्वतन्त्रतापूर्वक सुखी जीवन बिताने का अवसर मिलना चाहिए। यह हमारी प्रबल इच्छा कि देश में प्रजातन्त्र सुदृढ़ बने और जनता को सामाजिक न्याय मिले।

**Shri Rabi Ray (Pusi) :** Mr. Speaker, I congratulate Shri M. L. Sondhi for raising this issue. The demand of judicial inquiry was rejected by the hon. Home Minister when I raised this issue through a question last month. We doubt that this demand will be accepted even today.

The incidents which took place at Indraprastha Estate were very unfortunate. The Government should order a judicial inquiry into the happenings at Indraprastha Bhawan so that the true facts may come to light.

The wife of Arjan Singh had filed a suit for a compensation of Rs 2 lakhs. The official had Rs. 5 thousand in cash to her in order to hush up the matter. The judicial inquiry will reveal full facts.

**Shri Kanwar Lal Gupta** (Delhi-Sadar) : The Home Minister says that judicial inquiry is not called for in this case after the inquiry already conducted by the Deputy Commissioner. In this connection I beg to submit that the inquiry conducted by the Deputy Commissioner is incomplete and biased. The Deputy Commissioner called the witnesses he liked. He did not call Shri M. L. Sondhi, who was present on the spot and the D.S.P. who had recorded the F.I.R.

What action was taken by the Deputy Commissioner when there was a difference of opinion between Shri Kaw and Shri Pandey ?

The inquiry does not reveal full facts about the attack on pressmen. Shri Kohli D. S. P. has been aquitted becanse of certain pressure from the Home Ministry.

What action has been taken on the recommendations of the Police Commissioner?

**श्री एस० कंडप्पन (मैटूर) :** स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जब हम लोग घटना के दूसरे दिन घटना स्थल पर गये तो हमने देखा कि सरकारी कर्मचारी अत्यन्त क्षुब्ध और भावावेश में थे। सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने भी इस बारे में एक वक्तव्य दिया गया था। इन सब बातों से ऐसा लगता था कि पुलिस ने कर्मचारियों के साथ कुछ अधिक ज्यादती की है। यह ठीक है कि शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ता है किन्तु उसकी भी एक सीमा होती है और उस सीमा से बाहर बल प्रयोग उचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस मामले में वास्तविक अपराधियों का पता लगाया जाना चाहिये। इस सन्दर्भ में मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस मामले की न्यायिक जांच कराने में क्या कठिनाई है। न्यायिक जांच से ही तथ्य सामने आ सकते हैं। हमारे पास ऐसे उदाहरण भी जिनमें इससे छोटे मामलों हैं की न्यायिक जांच कराई गई है। अतः मेरा अनुरोध है कि अपने को दोष मुक्त प्रमाणित करने के लिये सरकार को इस मामले की न्यायिक जांच करानी चाहिये।

**श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) :** गृह कार्य मन्त्री महोदय समझते हैं कि पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा के प्रति कुछ उत्तरदायित्व हैं। किन्तु मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह उपायुक्त की रिपोर्ट से वास्तव में सन्तुष्ट है और यदि हैं तो कैसे। इस मामले

में उपायुक्त के विरुद्ध भी आरोप लगाये हैं अतः उन्हें न्याय का कार्य क्यों सौंपा गया। इन्द्रप्रस्थ एस्टेट में पुलिस तैनात करने का क्या प्रयोजन था ? यदि पुलिस उन लोगों की सहायता करने के लिए तैनात की गई थी जो निष्ठापूर्वक कार्य करना चाहते थे तो क्या वास्तव में पुलिस ने उनकी सहायता की। क्या पुलिस ने गृह कार्य मन्त्री के आदेश का पालन किया था ? मंत्री महोदय ने सभा में स्वीकार किया था कि पुलिस ने कर्मचारियों की पीटा था। इन सब बातों को देखते हुए सरकार इस मामले की न्यायिक जांच क्यों नहीं करती है ?

**गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : इन्द्रप्रस्थ एस्टेट में हुई घटनाओं के बारे में इस सभा में अनेक बार प्रश्न उठाया गया है और उस पर चर्चा हो चुकी है। किन्तु माननीय सदस्य श्री म० ला० सौंधी ने फिर इसे उठाकर अपने विचार व्यक्त किये और भारत की जनता से जागरूक होने की अपील की है। मैं यह मानता हूं प्रजातन्त्रात्मक सरकार के कुछ उत्तरदायित्व है किन्तु इसके साथ-साथ प्रजातन्त्र में विपक्षी दलों के भी कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्द्रप्रस्थ में पुलिस ने जो कुछ भी किया उस पर भी इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही विचार करना होगा। सरकार को प्रशासन ठीक ढंग से चलाना होता है और ऐसे अवसरों पर सरकार की योग्यता की परीक्षा होती है। मैं इस संबंध में निष्पक्ष और व्यापक दृष्टिकोण रखकर बताना चाहता हूं।

इन्द्रप्रस्थ में जो कुछ हुआ है वह वास्तव में प्रजातन्त्र के लिए अशोभनीय है और मैं उसे कभी न्यायोचित नहीं कहूंगा। पुलिस को वहां पर अपना कर्तव्य निभाने के लिए भेजा गया था किन्तु दुर्भाग्यवश उनके अधिकारी ने उन्हें भवन के अन्दर प्रवेश करने की अनुमति देने का गलत निर्णय किया अब कहा जा रहा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है और इस घटना पर पर्दा डालने का प्रयत्न कर रही है।

माननीय सदस्य ने गैर-सरकारी जांच समिति का उल्लेख किया है। सरकारी तौर पर मैंने इसे कोई महत्व नहीं दिया है किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैंने इसे पढ़ा ही नहीं। मैंने इसे पढ़ा है और यह पाया कि उपायुक्त की रिपोर्ट और गैर-सरकारी जांच समिति की रिपोर्ट के बुनियादी निष्कर्ष एक ही हैं। दोनों ही रिपोर्टों के अनुसार पुलिस भवन के अन्दर गई और उसने बिना सोचे समझे बल प्रयोग किया तथा उपायुक्त के आदेश की पूरी अवहेलना की।

उपायुक्त ने उन घटनाओं की जांच की है कि जो भवन के अंदर घटी और वही मामले विवादस्पद हैं तथा उन्हीं पर विचार किया जाना है। माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है कि उपायुक्त ने कुछ बयानों को बदला है। किन्तु उनका यह कहना गलत है क्योंकि इन बयानों में बयान देने वाले व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराये गये थे। मैं इस सम्बन्ध में केवल यह कह सकता हूं कि उपायुक्त के बुनयादी निष्कर्ष लोगों द्वारा दिये गये बयानों पर ही आधारित है।

मैं यह मानता हूं कि समाचार पत्र संवाददाताओं के साथ इन्द्रप्रस्थ की घटनाओं में उचित व्यवहार नहीं किया गया था और उसके लिए मैं उनसे क्षमाप्रार्थी हूं। यदि यह कहा जाये कि उनको पीटा गया है तो उसे साबित करना पड़ेगा। श्री कोहली के बारे में जो कुछ कहा है उसके बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से जांच करूंगा।

मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि पुलिस जनता की सेवा के लिये है। पुलिस जनता के साथ मनमाना व्यवहार नहीं कर सकती है। पिछले वर्ष 'नव वर्ष' की पूर्व सन्ध्या को कुछ अप्रिय घटनाएं हुई थी और हमने उन घटनाओं के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की थी। इस मामले में भी हमने उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की है किंतु विपक्षी दलों के सदस्यों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि केवल एक व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

जहां तक पुलिस आयोग की सिफारशों का सम्बन्ध है, हमने उन पर विचार कर लिया है और समय-समय पर इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये जाते हैं। दिल्ली में पुलिस प्रशासन के भावी ढांचे के बारे में सिफारिश पर अभी तक विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में हम दिल्ली के संसद सदस्यों से परामर्श करके सभी पहलुओं से विचार करेंगे। माननीय सदस्य श्री रवि राय ने 5000 रुपयों के बारे में कुछ कहा है किन्तु मैं नहीं समझ सका कि उनका वास्तविक तात्पर्य क्या है। यदि उनके पास तथ्य है तो मैं मामले पर विचार करूंगा। मैं सभा से विश्वास के साथ कहता हूं कि अर्जन के मामले के बारे में मेरी कुछ शंकाएं हैं। इस सम्बन्ध में मैं केन्द्रिय जांच विभाग को जांच करने के लिए कहूंगा। अन्त में मैं केवल यह कहूंगा कि इस मामले में न्यायिक जांच की आवश्यकता नहीं है।

**इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार 19 दिसम्बर, 1968/28 अग्रहायण, 1890 (शक) के ग्यारह, बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, December 19, 1968/ Agrahayana 28, 1890 (Saka).**

———